"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018—ज्येष्ठ 25, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 5-14/2017/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री तोट्टलिल भास्करन नायर राधाकृष्णन, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 16-04-2018 से 27-04-2018 (12 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश एवं अवकाश पूर्व सार्वजनिक अवकाश दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल, 2018 एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 28 एवं 29 अप्रैल, 2018 का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ईमिल लकड़ा, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 20-13/2018/11/6.—राज्य शासन की विभिन्न औद्योगिक नीतियों यथा 2001-06, 2004-09, 2009-14 एवं 2014-19 के तहत औद्योगिक इकाई को उसकी पात्रता के अनुसार विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिये जाते है. इनमें मुख्य हैं-ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट प्रवेश कर से छूट इत्यादि. इसके साथ ही राज्य की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-19 एवं ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17 के तहत भी औद्योगिक इकाई को उसकी पात्रता के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाएं दी जाती है. इसमें प्रमुख है, मंडी शुल्क से छूट, पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता इत्यादि.

2. उपरोक्त योजनाओं से संबंधित अधिसूचनाओं में अनुदान स्वीकृति के उपरांत उद्योग में स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति बाबत् प्रावधान का संक्षेप में सार निम्नानुसार है :—

पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा. इस शर्त का उल्लंघन करने की दशा में अनुदान वसूली योग्य होगा.

3. औद्योगिक इकाईयों से स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आवेदन संचालनालय में आते रहे हैं. इनमें विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त इकाईयों के आवेदन भी सम्मिलित है. इस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में स्वामित्व परिवर्तन आशय एकल स्वामित्व के प्रकरणों में एकल स्वामित्व का परिवर्तन, भागीदारी इकाई में किसी भागीदार का प्रवेश/रिटायर होना/मूल अंश धारिता में परिवर्तन तथा कंपनी के मामलें में मूल शेयर-धारकों का अंश मूल अंश धारिता के 51 प्रतिशत से कम हो जाना है. अत: विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त इकाईयों के स्वामित्व परिवर्तन संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :—

1 **प्रक्रिया :—**

1. स्वामित्व परिवर्तन चाहने वाली औद्योगिक इकाई को परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन, संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में पूर्ण कर आवश्यक सहपत्रों के साथ जमा करना होगा. यदि संबंधित उद्योग का संगठन एकल स्वामित्व के भिन्न है तो वांछित प्रमाण पत्र (भागीदारी के प्रकरणों में भागीदारी संलेख/रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एण्ड सोसायटी के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के प्रकरणों में कम्पनी का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा सहकारी समिति के प्रकरणों में समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र) एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, प्राधिकृत पत्र भी हस्ताक्षर करने की आधिकारिता के पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा. इकाई की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र में होने की स्थिति में सर्वप्रथम औद्योगिक क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण, यदि लागू हो, की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी. तत्पश्चात् स्वामित्व परिवर्तन के आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति संबंधी दस्तावेज संलग्न कर आवेदन किया जायेगा.

   प्रत्येक आवेदन पत्र सशुल्क जमा किया जायेगा. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के उद्योग हेतु आवेदन शुल्क रुपये 2,000/- मध्यम एवं वृहद श्रेणी उद्योग हेतु आवेदन शुल्क रुपये 5,000/- तथा मेगा एवं अल्ट्रामेगा श्रेणी हेतु आवेदन शुल्क रुपये 10,000/- होगा. यह आवेदन शुल्क संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन के साथ जमा किया जाएगा. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र की पावती परिशिष्ट-2 अनुसार दी जावेगी. अपूर्ण आवेदन संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा इकाई को पूर्ण करने हेतु स्वत: वापिस किये जायेंगे अर्थात् इन्हें उद्योग संचालनालय को प्रेषित नहीं किया जायेगा.

2. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी सभी अनुदान, छूट एवं रियायतों का विस्तृत वर्णन देते हुए उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा. इसमें अनुदान का नाम स्वीकृत आदेश का क्रमांक, स्वीकृति दिनांक, अनुदान राशि, वितरण दिनांक, वितरित राशि, पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक की शेष अवधि, निष्पादित अनुबंध की प्रति के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक (न्यूनतम) स्तर के अधिकारी द्वारा फैक्ट्री स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र अनुसार) तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (प्रपत्र अनुसार) की स्पष्ट अनुशंसा (परिशिष्ट-3 अनुसार) के साथ प्रेषित किया जावेगा.

3. यदि उद्योग वित्त पोषित है,तो वित्त पोषित संस्था/बैंक का स्वामित्व परिवर्तन के लिये सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें प्रश्नाधीन इकाई को दिये गये समस्त ऋण खातों के समायोजन बाबत स्पष्ट विवरण होगा. ऋण के समायोजन बाबत स्पष्ट विवरण न होने पर इसे संबंधित वित्त पोषित संस्था/बैंक का सहमति पत्र नहीं माना जायेगा.

4. स्वामित्व परिवर्तन के इच्छुक दोनों पक्षकार (क्रेता एवं विक्रेता फर्म/कंपनी/एलएलपी/इत्यादि) अपनी-अपनी इकाईयों एवं समस्त हितधारकों के पैन-कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आवेदन के साथ जमा करेंगे. आवश्यक होने पर कंपनी के संचालक मंडल का संकल्प भी जमा करना होगा.

5. उद्योग संचालनालय द्वारा स्वामित्व परिवर्तन बाबत् स्वामित्व परिवर्तन की शर्तों के संबंध में संबंधित उद्योग के मूल स्वामी एवं भावी नवीन स्वामी को शर्तों के पालन बाबत्, लिखित में अवगत कराया जावेगा (परिशिष्ट-4). ऐसा अवगत कराने पश्चात (पत्र जारी दिनांक से) शर्तों/प्रक्रिया पालन हेतु दोनों पक्षकारों द्वारा तीन माह की समया-वधि में सहमती एक नोटराईज शपथ पत्र के रूप में दी जायेगी. इस तीन माह की समयावधि में सामान्यत: कोई वृद्धि नहीं की जायेगी न ही इसके पालन में कोई शिथिलता प्रदान की जावेगी.

6. उद्योग संचालनालय द्वारा इन शर्तों के तहत दी गई पूर्ति के प्रमाण के रूप में, एक नोटराईज शपथ पत्र उद्योग के मूल स्वामी एवं नवीन स्वामी द्वारा निष्पादित करते हुए, पूर्व कंडिका क्रमांक 4 में उल्लेखित सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से तीन माह की समयावधि के भीतर उद्योग संचालनालय में जमा करना अनिवार्य होगा. इसे समयावधि में जमा न करने पर स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाकर नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा और इकाई को इसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी.

7. स्वामित्व परिवर्तन की स्थिति में यदि पूर्व स्वामी एवं नवीन स्वामी की श्रेणी (तत्समय प्रचलित औद्योगिक नीति में वर्णित वर्गीकरण अनुसार) में परिवर्तन के कारण यदि अनुदान की राशि में कोई अंतर आता है तो स्वामित्व परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र के साथ अंतर की राशि के भुगतान से संबंधित प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. परन्तु यदि उक्त श्रेणी परिवर्तन के कारण किसी प्रकरण में अनुदान की अतिरिक्त पात्रता की स्थिति बनती है, उस स्थिति में कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जायेगा.

8. उपरोक्त 1 से 7 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर स्वामित्व परिवर्तन के संबंधित आदेश, (परिशिष्ट-5) संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा जारी किया जावेगा.

2. **शर्तें—** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अधिसूचनाओं में अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई के दायित्व संबंधी कंडिकाएँ हैं. अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई के दायित्व संबंधी कंडिकाओं का पालन संबंधित उद्योग के क्रेता को, अर्थात्, नये स्वामी को करना होगा. इसकी पूर्ति के लिये औद्योगिक इकाई के स्वामित्व परिवर्तन संबंधी अनुमति निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन, यथास्थिति जो लागू हो, उद्योग संचालनालय द्वारा दी जावेगी :—

1. मेसर्स ....उद्योग को स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने की दिनांक से संबंधित इकाई को प्राप्त ....अनुदान की अधिसूचना अनुसार नियत अवधि (पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक) अर्थात दिनांक ....तक इकाई को कार्यरत् रखना होगा. इस अवधि तक उक्त इकाई की उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता का स्वामित्व परिवर्तन से तत्काल पूर्व के 3 वर्षों की औसत उत्पादन क्षमता पर नियत अवधि अर्थात दिनांक ....तक निरंतर कार्यरत् बनाये रखना अनिवार्य होगा.

2. मेसर्स ....उद्योग को स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने की दिनांक से संबंधित इकाई को प्राप्त ....अनुदान की अधिसूचना अनुसार नियत अवधि (पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक) अर्थात दिनांक ....तक राज्य शासन द्वारा प्रचलित औद्योगिक नीति–अनुसार राज्य के मूल निवासियों को संबंधित उद्योग में प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराना होगा.

3. मेसर्स ....उद्योग को स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने की दिनांक से संबंधित इकाई को प्राप्त ....अनुदान की अधिसूचना अनुसार नियत अवधि (पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक) अर्थात दिनांक ....तक तक की अवधि के लिय स्वप्रमाणित उत्पादन विवरण तथा विक्रय विवरण संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दिये गये प्रारूप में वार्षिक रूप से संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करना होगा.

4. मेसर्स ....उद्योग के क्रेता को, अर्थात् नये स्वामी को, वहीं उद्योग जिसमें पूर्व के समान उत्पाद/उत्पादों का निर्माण किया जायेगा, प्रारंभ करना होगा. पूर्व के समान उत्पाद/उत्पादों से तात्पर्य उन उत्पादों से है जो उद्योग के मूल स्वामी द्वारा अनुदान लेने के लिये प्रारंभ किया गया था. अनुदान के लिये नियत अवधि (पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक) तक उद्योग संचालन करने की अवधि मे नवीन स्वामी को अतिरिक्त उत्पाद प्रारंभ करने की स्वतंत्रता होगी किन्तु यह पूर्व के उत्पादों के उत्पादन क्षमता को बाधित कर नहीं की जाना चाहिये. उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत नवीन स्वामी को उद्योग में सभी तरह के उत्पादों को बनाने की स्वतंत्रता होगी, किन्तु इसके लिये उसे आवश्यकतानुसार अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी

5. सामान्यत: मेसर्स ....उद्योग का मूल स्वामी (निवेशक) जिस वर्ग से संबंध रखता है, स्वामित्व परिवर्तन उसी वर्ग के निवेशक को करने की अनुमति दी जावेगी ताकि दिये अनुदान की मात्रा में विसंगति न हो, जैसे–उद्यमी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग/महिला उद्यमी वर्ग से संबंधित है तो उद्योग का नया स्वामी भी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग/महिला उद्यमी वर्ग से अनुमत होगा.

6. मेसर्स ....उद्योग का मूल स्वामी को यदि निवेशक के वर्ग के आधार पर मूल स्वामी के संचालन के समय, सामान्य दर से अधिक अथवा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन दिया गया है एवं स्वामित्व परिवर्तन उस वर्ग से भिन्न वर्ग के उद्यमी को होना है जिसे अधिक अथवा विशेष प्रोत्साहन की पात्रता नहीं है, तो प्राप्त किये गये सामान्य दर से अधिक अथवा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन के अंतर की राशि का भुगतान मूल स्वामी द्वारा करने की शर्त पर ही अनुमति दी जा सकेगी. इस अंतर की राशि की गणना दिये गये आवेदन पत्र के साथ ही जमा करना आवश्यक होगा. ऐसे प्रकरणों में उक्त अंतर की राशि को जमा करने के प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति जारी की जायेगी. इसी प्रकार मेसर्स..........................उद्योग यदि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है तो प्रचलित भू–आवंटन नियमों में उपबंधित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अनुमति एवं लागू भू–हस्तांतरण शुल्क आदि का भुगतान नवीन स्वामी द्वारा किये जाने उपरांत ही स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति जारी की जायेगी.

7. मेसर्स ....उद्योग का मूल स्वामी को यदि निवेशक के वर्ग के आधार पर मूल औद्योगिक क्षेत्रों में नि:शुल्क/रियायती दर पर भूमि आवंटन प्राप्त किया है एवं स्वामित्व परिवर्तन उस वर्ग के उद्यमी से भिन्न उद्यमी के पक्ष में होना है, जिसे नि:शुल्क या रियायती दर पर आवंटन की पात्रता नहीं है, तो उसकी अनुमति तभी दी जावेगी, जब स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति देने के आवेदन के समय छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 2.10.2 के पालन में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की जो तत्समय प्रचलित दरें हैं व मूल स्वामी द्वारा भुगतान की गई भू–प्रब्याजि व भू–आवंटन से संबंधित अन्य देयताओं के अंतर की राशि का निर्धारित ब्याज सहित भुगतान नवीन स्वामी अथवा मूल स्वामी द्वारा किया जा चुका हो.

8. मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन संबंधी अनुमति केवल उसे दिये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों के संदर्भ में होगी.मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन पर संबंधित पक्षकारों/अन्य हितधारकों यथा बैंक, शासकीय विभाग के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ (अथवा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारी) उसमें पक्षकार नहीं होगा व उसकी कोई देयता नहीं होगी न ही वह किसी तरह के हर्जाने/क्षतिपूर्ति/मुआवजा के लिये जिम्मेदार होगा.

9. मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन आदेश जारी होने के पश्चात् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन समस्त अधिकारों एवं दायित्वों का हस्तांतरण उद्योग के नये स्वामी को हो जावेगा.

10. मेसर्स ....उद्योग की स्थापना अथवा उद्योग संचालन हेतु उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के जो विधिक अनुमतियां/अनुज्ञप्तियां आवश्यक होगी, उन सभी में स्वामित्व परिवर्तन बाबत् कार्यवाही नये स्वामी को स्वयं करानी होगी व संबंधित विभागों के नाम परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाओं/शर्तों का पालन भी पूर्णरूपेण करना होगा.

11. मेसर्स ....उद्योग में स्वामित्व परिवर्तन आदेश जारी होने की दिनांक से नये स्वामी पर वह सभी नियम, कानून लागू होंगे जो कि इस उद्योग के मूल स्वामी पर बंधनकारी थे.

12. मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन आदेश जारी होने की दिनांक से उक्त इकाई पर मूल स्वामी का कोई अधिकार नहीं होगा.

13. मेसर्स ....उद्योग के मूल स्वामी द्वारा यदि व्यक्तिगत क्षमता में कोई विधिक उल्लंघन किया गया है/किया जाना पाया जाता है, तो उसके लिए इस उद्योग का मूल स्वामी स्वामित्व परिवर्तन के पश्चात् भी उत्तरदायी होगा.

14. मेसर्स ....उद्योग के मूल स्वामी द्वारा यदि किसी कानून का उल्लंघन किया गया है व उस उल्लंघन का प्रभाव उद्योग के स्वामित्व एवं उद्योग में उत्पादन को निरंतर रखने पर पड़ता है, तो स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश निरस्त माना जावेगा.

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित उद्योग के नये स्वामी के विरूद्ध उस उद्योग को दिये गये अनुदान की नियमानुसार वसूली के लिये कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी.

4. उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने से पूर्व उद्योग संचालनालय द्वारा आवेदनकर्त्ताओं के व्यय पर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नाधीन उद्योग में स्वामित्व परिवर्तन की आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर आपत्ति आमंत्रित की जायेगी. प्राप्त आपत्तियों का समाधान कारक निराकरण होने के उपरान्त ही स्वामित्व परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी.

5. यह पूर्ण प्रक्रिया स्वामित्व परिवर्तन के मामलों में केवल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की निरंतरता शेष अवधि में बनाए रखने हेतु की जायेगी, यह स्पष्ट उल्लेख जारी किये जाने वाले अनुमति पत्र में होगा. अन्य प्रकरणों में स्वामित्व परिवर्तन हेतु अनुमति तत्संबंधी नियमों के तहत् ही दी जावेगी.

6. स्वामित्व परिवर्तन के सभी प्रकरणों में उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने तथा संबंधित उद्योग के नये स्वामी पर आरोपित शर्तो के पालन का दायित्व उद्योग संचालनालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों का होगा. उद्योग संचालनालय इस दायित्व की पूर्ति के लिये प्रक्रिया का निर्धारिण स्वत: कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–1

औद्योगिक नीति .... के अंतर्गत स्थापित उद्योग मेसर्स ....द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने हेतु स्वप्रमाणित आवेदन

1– मूल औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– संगठन का प्रकार –

एकल स्वामित्व/साझेदारी/कंपनी/ सहकारी समिति/ सीमित दायित्व साझेदारी	

3– मूल इकाई के स्वामी का नाम व पता

4– उद्यमी का वर्गीकरण –

सामान्य /अप्रवासी भारतीय –प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ0डी0आई0) /निर्यातक/ विदेशी तकनीक से संबंधित निवेशक/अनुसूचित जाति/ जनजाति / महिला /निःशक्त/ सेवा निवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	

5– मूल औद्योगिक इकाई का प्रकार–

सूक्ष्म एवं लघु/ मध्यम/वृहद / मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	

6– मूल औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थान 2 विकास खण्ड 3 जिला 4. औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्र	

7– पंजीयन प्रमाण पत्रों का विवरण

1– लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र– ई0एम0 पार्ट–2/उद्यम आधार	
2– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र	
3– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	
4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)	
5– उत्पाद व 03 वर्षो का औसत उत्पादवार वार्षिक उत्पादन (मात्रा व मूल्य)	

8– उद्योग स्थापना स्थल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने पर –

ओद्योगिक क्षेत्र का नाम,	आबंटित भूमि का भूखण्ड क्रमांक एवं रकबा (हेक्ट. में)	भूमि आबंटन के समय भुगतान की गई राशि (भू–प्रब्याजी/भू–भाटक/ संधारण शुल्क/स्ट्रीट लाईट शुल्क/ जल शुल्क/सेवा शुल्क व अन्य)	क्या आबंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त किया गया है। (हॉ/नहीं)

कृपया आशय पत्र, आबंटन आदेश तथा भूमि हस्तांतरण, यदि लागू हो, की अनुमति संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।

8.– **मूल इकाई प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों का विवरण–**

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का नाम	आदेश क्रमांक/अवधि	राशि	अबतक जारी कुल राशि (यथालागू)
स्टाम्प शुल्क से छूट प्रमाण पत्र			
ब्याज अनुदान			
स्थायी पूंजी निवेश अनुदान			
प्रवेश कर भूगतान से छूट			
विद्युत शुल्क से छूट			
पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता			
मंडी शुल्क से छूट/अनुदान			
अन्य। कृपया विवरण दें।			

9– उद्योग के चालू रहने की अवधि – दिनांक .... से .... तक

10– उद्योग में निर्मित हो रहे उत्पादों का विवरण नाम एवं उत्पादन क्षमता के साथ दें।
क्या इनमें अनुदान प्राप्त होने के पश्चात कोई परिवर्तन किया गया है ?

11– क्या इस उद्योग में अनुदान प्राप्त करने के समय की कोई परिसम्पत्ति (जैसे भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण आदि) में कोई कमी की गई है ? कृपया पूर्ण विवरण दें।

12– स्वामित्व परिवर्तन का कारण –

13– स्वामित्व परिर्वन के संबंध में क्रेता से किये गये अनुबंध का संक्षिप्त विवरण –
कृपया अनुबंध की प्रति संलग्न करें।

14– क्या उद्योग वित्त पोषित है, (यदि हां तो बैंक/वित्तीय संस्था का नाम) –
वित्तीय संस्था से प्राप्त सुविधाओं का शेष राशि सहित विवरण दें।

15– क्या परिसम्पत्तियां वित्तीय संस्था/बैंकों में बंधक हैं ?
बंधक परिसम्पत्तियों का सम्पत्तिवार पूर्ण विवरण दें।

16– क्या उद्योग पर किसी प्रकार का वाद जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त वाद का विस्तृत विवरण वर्तमान स्थिति के साथ दें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्थान :–
दिनांक :–

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति
के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

//घोषणा पत्र//

यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि मेसर्स ....(उद्योग का नाम और पूर्ण पता) को औद्योगिक नीति .... के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं यथा 1.............. 2..............3...................4..................(अनुदान योजनाओं के नाम) का लाभ लिया है। इस उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति से संबंधित आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व–प्रमाणित अभिलेख पूर्ण रूप से सही है।

मैं/हम मेसर्स ....(उद्योग का नाम और पूर्ण पता) यह घोषित करते हैं कि औद्योगिक नीति ....के अंतर्गत प्राप्त किये गये उक्त अनुदानों के संबंध में निष्पादित अनुबंध/अधिसूचना के अनुसार इस उद्योग को कार्यरत् रहने की अवधि, दिनांक .... .को पूर्ण हो चुकी है/दिनांक ....को पूर्ण होने वाली है जिसमें अभी ....वर्ष ....माह का समय शेष है। इस अवधि तक इस उद्योग को यथा स्थिति में कार्यरत बनाये रखने के लिये नये स्वामी श्री ....(नाम और पूर्ण पता) ने सहमति दी है। उनका सहमति संबंधी शपथ पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न है।

मैं/हम मेसर्स ....(उद्योग का नाम और पूर्ण पता) की परिसम्पत्तियों के स्वामी है/हैं तथा यह घोषण करते हैं कि उक्त परिसम्पत्तियों के स्वामित्व पर अथवा अन्य किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद नहीं है। उक्त परिसम्पत्तियां किसी बैंक में अथवा वित्तीय संस्थान में बंधक नहीं रखी गयी हैं/ उक्त परिसम्पत्तियां ....बैंक/................ वित्तीय संस्थान में बंधक रखी गयी हैं/थी। इनके संबंध में उक्त बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त ऋण रूपये............ में से आवेदन दिनांक तक रूपये ....का ऋण पटाया जाना शेष है। जिसे स्वामित्व परिवर्तन के पूर्व पूर्णतः चुकता कर इस उद्योग की सभी परिसम्पत्तियों को बंधक मुक्त करा लिया जायेगा जिसकी सूचना तत्समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दी जायेगी।

इस शपथ पत्र की उपरोक्त जानकारी गलत/ त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर या किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी एवं देय राशियों की वसूली मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ की जावेगी।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर दिनांक सहित किये जावें तथा सील लगाई जाये।

परिशिष्ट–2

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.................................

छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता.. द्वारा औद्योगिक नीति .... के तहत स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र आज दिनांक ....को प्राप्त हुआ। आवेदन का पंजीयन क्रमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

प्रति,

मेसर्स..

....

....

परिशिष्ट–3

औद्योगिक नीति .... के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने हेतु मेसर्स.....................द्वारा दिये गये आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन

1 निरीक्षक अधिकारी का नाम
पद नाम
निरीक्षण दिनांक

2– **औद्योगिक इकाई का नाम व पता**

3– **संगठन –**

एकल स्वामित्व/साझेदारी/कंपनी/सहकारी समिति/सीमित दायित्व साझेदारी	

4– **उद्यमी का वर्गीकरण –**

सामान्य /अप्रवासी भारतीय –प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ0डी0आई0) /निर्यातक/ विदेशी तकनीक से संबंधित निवेशक/अनुसूचित जाति/ जनजाति / महिला /निःशक्त/ सेवा निवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	

5– **औद्योगिक इकाई का आकार–**

सूक्ष्म एवं लघु/ मध्यम/वृहद / मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	

6– **औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल**

1 स्थान 2 विकास खण्ड 3 जिला 4. औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्र	

7– **पंजीयन**

1– लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–2/उद्यम आकांक्षा	
2– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र	
3– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	
4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)	
5– उत्पाद व 03 वर्षो का औसत उत्पादवार वार्षिक उत्पादन (मात्रा व मूल्य)	

8– **उद्योग स्थल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होने पर –**

ओद्योगिक क्षेत्र का नाम	आबंटित भूमि का भूखण्ड क्रमांक व रकबा (हेक्ट. में)	भूमि आबंटन के समय भुगतान की गई राशि (भू–प्रब्याजी/भू–भाटक /संधारण शूल्क/स्ट्रीट लाईट शुल्क/जल शुल्क/सेवा शुल्क व अन्य)	क्या आबंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त किया गया है। (हॉं/नहीं)

9.– इकाई को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों का विवरण–

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का नाम	आदेश क्रमांक/अवधि	राशि	अबतक जारी कुल राशि (यथालागू)
स्टाम्प शुल्क से छूट प्रमाण पत्र			
ब्याज अनुदान			
स्थायी पूंजी निवेश अनुदान			
प्रवेश कर भूगतान से छूट			
विद्युत शुल्क से छूट			
पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता			
मंडी शुल्क से छूट/अनुदान			
अन्य। कृपया विवरण दें।			

10– उद्योग के चालू रहने की अवधि – दिनांक .... से .... तक

11– उद्योग में निर्मित हो रहे उत्पादों का विवरण नाम एवं उत्पादन क्षमता के साथ दें। क्या इनमें अनुदान प्राप्त होने के पश्चात कोई परिवर्तन किया गया है ?

12– क्या इस उद्योग में अनुदान प्राप्त करने के समय की कोई परिसम्पत्ति (जैसे भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण आदि) में कोई कमी की गई है ? कृपया पूर्ण विवरण दें।

13– क्या उद्योग वित्त पोषित है, (यदि हां तो बैंक/वित्तीय संस्था का नाम) – वित्तीय संस्था से प्राप्त सुविधाओं का शेष राशि सहित विवरण दें।

14– क्या परिसम्पत्तियां वित्तीय संस्था/बैंकों में बंधक हैं ? बंधक परिसम्पत्तियों का सम्पत्तिवार पूर्ण विवरण दें।

15– क्या उद्योग पर किसी प्रकार का वाद जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त वाद का विस्तृत विवरण वर्तमान स्थिति के साथ दें।

16– औद्योगिक इकाई के आवेदन में दर्शाये गये जानकारी/कारणों पर टीप व अभिमत, जैसे– उद्योग के मूल स्वामी की वर्तमान स्थिति, उद्योग के क्रेता की स्थिति व उनके उद्योग को चलाये जाने हेतु वित्तीय स्थिति, फैक्ट्री स्थल पर स्थित परिसंपत्तियों की जानकारी व प्रभावित रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र में हस्तांतरण आदि पर बिन्दुवार टीप दें।

17– स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में अनुशंसा

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

स्थान :–

दिनांक :–

प्रबंधक/महाप्रबंधक, जिव्याउके

हस्ताक्षर

नाम

पद

परिशिष्ट–4

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर
फोन नं0 (0771) 2583652–54, फैक्स नं0 2583651
email address : dtic-directorate.cg@gov.in

क्रमांक– /औ.नीति/20........./ रायपुर, दिनांक

सूचना पत्र

प्रति,

मेसर्स....................
....
....

विषयः– औद्योगिक नीति .... के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र क्रमांक.....दिनांक......

––00––

आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा संचालित उद्योग.........का स्वामित्व परिवर्तन कर श्री.............को देने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वामित्व परिवर्तन की अनंतिम स्वीकृति दी जाती है:–

1. मेसर्स ....उद्योग को स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने की दिनांक से संबंधित इकाई को प्राप्त......................अनुदान की अधिसूचना अनुसार नियत अवधि (*पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक*) अर्थात दिनांक ....तक इकाई को कार्यरत् रखना होगा। इस अवधि तक उक्त इकाई की उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता का स्वामित्व परिवर्तन से तत्काल पूर्व के 3 वर्षों की औसत उत्पादन क्षमता पर नियत अवधि अर्थात दिनांक ....तक निरंतर कार्यरत बनाये रखना अनिवार्य होगा।

2. मेसर्स ....उद्योग को स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने की दिनांक से संबंधित इकाई को प्राप्त......................अनुदान की अधिसूचना अनुसार नियत अवधि (*पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक*) अर्थात दिनांक ....तक राज्य शासन द्वारा प्रचलित औद्योगिक नीति अनुसार राज्य के मूल निवासियों को संबंधित उद्योग में प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

3. मेसर्स ....उद्योग को स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने की दिनांक से संबंधित इकाई को प्राप्त....................अनुदान की अधिसूचना अनुसार नियत अवधि (*पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक*) अर्थात दिनांक ....तक तक की अवधि के लिये स्वप्रमाणित उत्पादन विवरण तथा विक्रय विवरण संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को दिये गये प्रारूप में वार्षिक रूप से संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करना होगा।

4. मेसर्स ....उद्योग के क्रेता को, अर्थात् नये स्वामी को, वही उद्योग जिसमें पूर्व के समान उत्पाद/उत्पादों का निर्माण किया जायेगा, प्रारंभ करना होगा। पूर्व के समान उत्पाद/उत्पादों से तात्पर्य उन उत्पादों से है जो उद्योग के मूल स्वामी द्वारा अनुदान लेने के लिये प्रारंभ किया गया था। अनुदान के लिये नियत अवधि (*पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष बाद तक*) तक उद्योग संचालन करने की अवधि में नवीन स्वामी को अतिरिक्त उत्पाद प्रारंभ करने की स्वतंत्रता होगी किन्तु यह पूर्व के उत्पादों के उत्पादन क्षमता को बाधित कर नहीं की जाना चाहिये। उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत नवीन स्वामी को उद्योग में सभी तरह के उत्पादों को बनाने की स्वतंत्रता होगी, किन्तु इसके लिये उसे आवश्यकतानुसार अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी।

5. सामान्यतः मेसर्स ....उद्योग का मूल स्वामी (निवेशक) जिस वर्ग से संबंध रखता है, स्वामित्व परिवर्तन उसी वर्ग के निवेशक को करने की अनुमति दी जावेगी ताकि दिये गये अनुदान की मात्रा में विसंगति न हो, जैसे– उद्यमी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग/महिला उद्यमी वर्ग से संबंधित है तो उद्योग का नया स्वामी भी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग/महिला उद्यमी वर्ग से अनुमत होगा।

6. मेसर्स ....उद्योग का मूल स्वामी को यदि निवेशक के वर्ग के आधार पर मूल स्वामी के संचालन के समय, सामान्य दर से अधिक अथवा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन दिया गया हैं एवं स्वामित्व परिवर्तन उस वर्ग से भिन्न वर्ग के उद्यमी को होना है जिसे अधिक अथवा विशेष प्रोत्साहन की पात्रता नहीं है, तो प्राप्त किये गये सामान्य दर से अधिक अथवा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन के अंतर की राशि का भुगतान मूल स्वामी द्वारा करने की शर्त पर ही अनुमति दी जा सकेगी। इस अंतर की राशि की गणना दिये गये आवेदन पत्र के साथ ही जमा करना आवश्यक होगा। ऐसे प्रकरणों में उक्त अंतर की राशि को जमा करने के प्रमाण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति जारी की जायेगी। इसी प्रकार मेसर्स ....उद्योग यदि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है तो प्रचलित भू–आबंटन नियमों में उपबंधित नियमों के अन्तर्गत सक्षम अनुमति एवं लागू भू–हस्तांतरण शूल्क आदि का भुगतान नवीन स्वामी द्वारा किये जाने उपरांत ही स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति जारी की जायेगी।

7. मेसर्स ....उद्योग का मूल स्वामी ने यदि निवेशक के वर्ग के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि आबंटन प्राप्त किया है एवं स्वामित्व परिवर्तन उस वर्ग के उद्यमी से भिन्न उद्यमी के पक्ष में होना है, जिसे निःशुल्क या रियायती दर पर आबंटन की पात्रता नहीं है, तो उसकी अनुमति तभी दी जावेगी, जब स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति देने के आवेदन के समय छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 2.10.2 के पालन में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की जो तत्समय प्रचलित दरें हैं व मूल स्वामी द्वारा भुगतान की गई भू–प्रब्याजि व भू–आबंटन से संबंधित अन्य देयताओं के अंतर की राशि का निर्धारित ब्याज सहित भुगतान नवीन स्वामी अथवा मूल स्वामी द्वारा किया जा चुका हो।

8. मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन संबंधी अनुमति केवल उसे दिये गये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों के संदर्भ में होगी। मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन पर संबंधित पक्षकारों/अन्य हितधारको यथा बैंक, शासकीय विभाग के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ (अथवा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारी) उसमें पक्षकार नहीं होगा व उसकी कोई देयता नहीं होगी न ही वह किसी तरह के हर्जाने/क्षतिपूर्ति/मुआवजा के लिये जिम्मेदार होगा।

9. मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन आदेश जारी होने के पश्चात् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन समस्त अधिकारों एवं दायित्वों का हस्तांतरण उद्योग के नये स्वामी को हो जावेगा।

10. मेसर्स ....उद्योग की स्थापना अथवा उद्योग संचालन हेतु उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के जो विधिक अनुमतियां/अनुज्ञप्तियां आवश्यक होंगी, उन सभी में स्वामित्व परिवर्तन बाबत् कार्यवाही नये स्वामी को स्वयं करानी होगी व संबंधित विभागों के नाम परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाओं/शर्तों का पालन भी पूर्णरूपेण करना होगा।

11. मेसर्स ....उद्योग में स्वामित्व परिवर्तन आदेश जारी होने की दिनांक से नये स्वामी पर वह सभी नियम, कानून लागू होंगे जो कि इस उद्योग के मूल स्वामी पर बंधनकारी थे।

12. मेसर्स ....उद्योग के स्वामित्व परिवर्तन आदेश जारी होने की दिनांक से उक्त इकाई पर मूल स्वामी का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. मेसर्स ....उद्योग के मूल स्वामी द्वारा यदि व्यक्तिगत क्षमता में कोई विधिक उल्लंघन किया गया है / किया जाना पाया जाता है, तो उसके लिए इस उद्योग का मूल स्वामी स्वामित्व परिवर्तन के पश्चात् भी उत्तरदायी होगा।

14. मेसर्स ....उद्योग के मूल स्वामी द्वारा यदि किसी कानून का उल्लंघन किया गया है व उस उल्लंघन का प्रभाव उद्योग के स्वामित्व एवं उद्योग में उत्पादन को निरंतर रखने पर पड़ता है, तो स्वामित्व परिवर्तन संबंधी आदेश निरस्त माना जावेगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित उद्योग के नये स्वामी के विरूद्ध उस उद्योग को दिये गये अनुदान की नियमानुसार वसूली के लिये कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतुउद्योग के वर्तमान स्वामी एवं नवीन स्वामी का एक नोटराईज संयुक्त स्वीकृति शपथ पत्र (उद्योग के वर्तमान एवं नवीन स्वामी) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर की राशि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन की वर्तमान दरों एवं आबंटित भूमि की दरों के अंतर की राशि का भूगतान चालान के माध्यम से करते हुए, चालानों की प्रतियां इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। यह कार्यवाही, इस पत्र के जारी होने वाले की दिनांक से 03 माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। समयावधि में ऐसा न किये जाने पर स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति हेतु आपका आवेदन स्वमेव निरस्त मानते हुए, नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

पृ. क्रमांक– /औ.नीति/2015/ **संचालक उद्योग**

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

मेसर्स.........उद्योग के प्रस्तावित क्रेता श्री................ पता .... को सूचनार्थ। श्री......... पता....................ने अपने उद्योग मेसर्स.............के स्वामित्व परिवर्तन बाबत् आवेदन दिया है कि आपके द्वारा उक्त उद्योग के कय हेतु अनुबंध किया गया है। यदि यह सत्य है एवं उपरांकित शर्ते स्वीकार है तो उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु उद्योग के मूल स्वामी के साथ संयुक्त शपथ पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि स्वामित्व परिवर्तन बाबत् कार्यवाही की जा सके।

संचालक

परिशिष्ट–5

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर

फोन नं0 (0771) 2583652–54, फैक्स नं0 2583651

email address : dtic-directorate.cg@gov.in

क्रमांक– /औ.नीति/20.../ रायपुर, दिनांक

प्रति,

मेसर्स....................

....

....

विषयः– औद्योगिक नीति .... के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन (अंतिम स्वीकृति)।

संदर्भः– 1. आपका आवेदन पत्र. क्रमांक....दिनांक.......

2. संचालनालय का सूचना पत्र क.............दिनांक.............

3. संचालनालय की सूचना पत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति हेतु आपका उद्योग के क्रेता के साथ संयुक्त सहमति शपथ पत्र क............दिनांक............

––00––

उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित आवेदन पत्र क. 1. पर संचालनालय के पत्र क............... दिनांक..............पर आपके द्वारा दिये गये आवेदन पर आपकी इकाई से एवं उद्योग के क्रेता से स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति से संबंधित शर्तों पर सहमति संयुक्त शपथ पत्र के रूप में चाही गई थी जो आपके द्वारा पत्र क. ....दिनांक.... द्वारा दी गई है।

आपके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर की राशि (रू.). .... का भुगतान...........द्वारा चालान क्र.........दिनांक...........द्वारा किया गया है एवं भूमि आबंटन के अंतर की राशियों से संबंधित भुगतान चालान क.......दिनांक....... द्वारा किया गया है। इसके साथ ही स्वामित्व परिवर्तन हेतु ....का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आपके उद्योग मेसर्स................को स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति उद्योग संचालनालय द्वारा इस हेतु पूर्व में जारी सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक............... में वर्णित शर्तों के अधीन दी जाती है।

उद्योग संचालनालय द्वारा इस हेतु पूर्व में जारी सूचना पत्र क्रमांक.............. दिनांक................ . इस स्वामित्व परिवर्तन से संबंधित अनुमति का एक भाग है।

संचालक

प्रतिलिपिः–

1. श्री ....(वर्तमान स्वामी/डायरेक्टर, जैसा लागू हो) मेसर्स .... की ओर सूचनार्थ।
2. श्री ....(नवीन स्वामी /डायरेक्टर, जैसा लागू हो) मेसर्स .... की ओर सूचनार्थ।

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक एफ 1-34/2016/30/सं.—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/30/सं./07, दिनांक 4 जून, 2007 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान एवं इसके विधान में एतद्द्वारा राज्य शासन निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए विधान में शब्द "छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. ये संशोधन, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

No. F 1-34/2016/30/C.—Chhattisgarh Government, Department of Culture, by it's notification No. F 1-6/30/C./07, Dated 4 June 2007 has constituted "Sindhi Sahitya Sansthan" and made it's By Laws. The state government hereby makes the following amendment in the By Laws, namely;

AMENDMENT

1. Subject to the modification that in the By Laws for the words "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan" Wherever they occur the words "Chhattisgarh Sindhi Academy" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from the date of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
द्रोपती जेसवानी, उप-सचिव.

विधी और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्रमांक 4205/1480/21-ब/छ.ग./2018—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	विधि पदाधिकारी का नाम (2)	पद नाम (3)
1.	श्री अनिल पिल्लई	उप महाधिवक्ता
2.	श्री रतन पुस्ती	शासकीय अधिवक्ता
3.	श्री रविन्द्र अग्रवाल	शासकीय अधिवक्ता
4.	श्री आनंद ददरिया	उप शासकीय अधिवक्ता
5.	श्री सैयद माजिद अली	उप शासकीय अधिवक्ता

F. No. 4205/1480/XXI-B/C.G./18.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh appoints the following Law Officers in the Advocate General Office, Bilapur, specified in column No. (2) as publice prosecuter for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date, they has assumed charge of his office :—

S. No. (1)	Name of the Law Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri Anil Pillai	Dy. Advocate General
2.	Shri Ratan Pusty	Government Advocate
3.	Shri Ravindra Agrawal	Government Advocate
4.	Shri Anand Dadariya	Dy. Government Advocate
5.	Shri Syed Majid Ali	Dy. Government Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2018

क्रमांक 4946/1706/21-ब/छ.ग./2018—राज्य शासन एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक (FTC), रायगढ़ के पद पर नियुक्त श्री राजीव बेरीवाल, अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 01-08-2017 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्रमांक 5083/1750/21-ब/छ.ग./2018—राज्य शासन एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.) लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त श्री गौरांगो सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 18-09-2017 से तीन वर्ष के लिए या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिये विशेष लोक अभियोजक (Actrocity) नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्रमांक 5085/1748/21-ब/छ.ग./2018—राज्य शासन एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायगढ़ के पद पर नियुक्त श्री सिद्धेश कुमार पटनायक, अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 30-07-2017 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्रमांक 5087/1748/21-ब/छ.ग./2018—राज्य शासन एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायगढ़ के पद पर नियुक्त श्री अनुप कुमार साहू , अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 01-08-2017 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्रमांक 5089/1748/21-ब/छ.ग./2018—राज्य शासन एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायगढ़ के पद पर नियुक्त श्री मोहन सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 01-08-2017 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-18/2017/16.—श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक Z-13025/39/2015-LR Cell दिनांक 12-01-2016 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को प्रोन्नत किये जाने हेतु उन्हें विशेष सहायता एवं छूट दिये जाने की दृष्टि से श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 510/520/2016/16, नया रायपुर दिनांक 09-03-2016 एवं क्रमांक एफ 10-18/2017/16, नया रायपुर, दिनांक 29-11-2017 द्वारा स्टार्ट-अप वेंचर्स में श्रम अधिनियमों को प्रवर्तित करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं. उक्त अधिसूचना क्रमांक 510/520/2016/16, दिनांक 09-03-2016 में संशोधन करते हुए अधिसूचना की तालिका में क्रम संख्या 4 के पश्चात् निम्नानुसार क्रम संख्या 5 एवं अधिनियम अंत: स्थापित किया जाता है :—

क्र.	अधिनियम का नाम
05	छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्रमांक एफ 7-6/2014/26.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08-09-2015 द्वारा निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1999 यथा संशोधित 2014 के प्रावधान अनुसार राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है. जिसकी कण्डिका 1 (8.5) में अशासकीय सदस्य श्री अजय गुप्ता, सूरजपुर को नामांकित किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय गुप्ता, सूरजपुर के स्थान पर श्री अशोक गुप्ता, सूरजपुर को नामांकित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत लाल बंजारे, अपर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—हज कमेटी अधिनियम 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानानुसार राज्य हज कमेटी के नामांकित सदस्यों द्वारा दिनांक 06 मई 2018 को राज्य हज कमेटी की प्रथम सभा में सर्वसम्मति से हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर श्री सैय्यद सैफुद्दीन का चुनाव किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा हज कमेटी अधिनियम 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री सैय्यद सैफुद्दीन को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-9/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिरमी निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

हिरमी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सकलोर एवं कुथरौदा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कुथरौदा एवं हिरमी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हिरमी की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हिरमी एवं सकलोर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-10/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खपराडीह निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

खपराडीह निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सेम्हराडीह, चण्डी एवं करही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम करही एवं खपराडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खिपराडीह, सेम्हराडीह एवं भरूवाडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम भरुवाडीह एवं सेम्हराडीह की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-11/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रावन निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

रावन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम रावन, रवेली एवं झिपन ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम झिपन की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम झिपन एवं रावन ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रावन की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-12/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रवान निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

रवान निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम रवान एवं अर्जुनी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अर्जुनी एवं खैरताल ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खैरताल, भद्रापाल एवं रवान ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रवान ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-13/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हथबन्द निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

हथबन्द निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम धोधा एवं सीतापार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सीतापार एवं हथबन्द ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हथबन्द एवं उड़ेला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम उड़ेला एवं धोधा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-14/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सोनाडीह निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

सोनाडीह निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सोनाडीह की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सोनाडीह एवं रसेड़ा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रसेड़ा एवं रसेड़ी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम रसेड़ी एवं सोनाडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-15/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दामाखेड़ा एवं किरवई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम किरवाई एवं धोबनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम धोबनी एवं दामाखेड़ा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम दामाखेड़ा की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-16/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

गिरौदपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मड़वा, अमोदी एवं डेराडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम डेराडीह, मड़वा, गिरौद, दर्रा एवं महराजी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम महराजी, गिरौद एवं कौवाताल ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम महराजी, कौवाताल एवं मड़वा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक एफ 7-17/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रिसदा निवेश क्षेत्र जिला बलौदाबाजार का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

रिसदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम रिसदा की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम रिसदा, ढाबाडीह एवं पुरान ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पुरान की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम पुरान एवं रिसदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 3 मई 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/7461/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	जल्के	0.623 हेक्ट.	कोरबी से जल्के पहुंच मार्ग में अधिग्रहित भूमि में पक्की सड़क निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-05-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, जल्के में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कोरबी से जल्के मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण के लिए अर्जित होने पर.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	02 नग पेंड
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पक्की सड़क के निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि पूर्व में अर्जित हो चुकी है. सड़क निर्माण से आवागमन की सुविधा सुगम हुई है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 3 मई 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/7465/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	बाला	0.910 हेक्ट.	जटगा से गुरसियॉ मार्ग में अधिग्रहित भूमि में पक्की सड़क निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18-05-2018 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, सलिहाभाठा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जटगा से गुरसियॉ मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण के लिए अर्जित होने पर.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	42 नग पेंड
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पक्की सड़क के निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि पूर्व में अर्जित हो चुकी है. सड़क निर्माण से आवागमन की सुविधा सुगम हुई है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 3 मई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/7469/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	कोरबी	0.065 हेक्ट.	चोटिया से चिरमिरी पहुंच मार्ग में अधिग्रहित भूमि में पक्की सड़क निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-05-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, कोरबी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	चोटिया से चिरमिरी मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण के लिए अर्जित होने पर.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पक्की सड़क के निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि पूर्व में अर्जित हो चुकी है. सड़क निर्माण से आवागमन की सुविधा सुगम हुई है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 3 मई 2018

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/7473/भू–अर्जन/2018.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	सलिहाभाठा	1.793 हेक्ट.	जटगा से गुरसियॉ मार्ग में अधिग्रहित भूमि में पक्की सड़क निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18–05–2018 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, सलिहाभाठा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जटगा से गुरसियॉ मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण के लिए अर्जित होने पर.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	03 निजी मकान तथा 176 नग पेंड
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	02 शासकीय भवन का बाउण्ड्री वॉल
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु.
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पक्की सड़क के निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि पूर्व में अर्जित हो चुकी है. सड़क निर्माण से आवागमन की सुविधा सुगम हुई है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 3 मई 2018

क्रमांक/7456/भू-अर्जन/13 अ 82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (ए. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कोथारी प.ह.नं. 12	0.71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोरबा.	मुकुन्दपुर एनीकट योजना के बांध लाईन में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 मई 2018

क्रमांक/8237/भू-अर्जन/38 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (ए. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुरूडीह प.ह.नं. 12	0.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोरबा.	कुरूडीह एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 22 मई 2018

क्रमांक/8774/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	लखनपुर प.ह.नं. 35	6.825	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 22 मई 2018

क्रमांक/8777/भू-अर्जन/11 अ 82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	चीतापाली प.ह.नं. 20	0.234	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोरबा.	चीतापाली एनीकट योजना के बांध लाईन में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/780/17 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नरदहा	767	0.15	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग.	नरहदा दोंदेकला मार्ग निर्माण.
			780	0.08		
			781	0.09		
			782	0.01		
			1207/2	0.03		
			1207/3	0.03		
			1207/4	0.02		
			1207/5	0.03		
		योग	**08**	**0.44**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2018

क्रमांक 200/39/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-तखतपुर
 (ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.184 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
686/2	0.065
689/2	0.049

(1)	(2)
694	0.065
710	0.081
715	0.040
716	0.032
718	0.024
728	0.069
725	0.093
1131/4	0.150
3	0.045
4/1	0.146
29	0.125
5	0.061
10	0.045
11	0.036
12/4	0.081
186/2	0.036
13	0.028
25	0.105
26	0.008
27	0.012
28	0.085
183	0.065
184	0.057
185	0.032
189/1	0.036
727	0.073
726	0.065
186/1	0.028
187	0.142
188	0.040
719	0.069
189/2	0.036
190/1	0.020
190/2	0.024
191/2	0.016
योग 37	2.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 मई 2018

क्रमांक 202/66/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मझवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.204 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
28/19	0.405
28/10	0.121
29/6	0.263
28/25	0.202
29/5 ख	0.081
166/1 क	0.040
167	0.036
390	0.325
389/9	0.073
389/6	0.024
389/4	0.053
389/2	0.020
389/12	0.040
169/2 क	0.040
173/5	0.121
381/1 ख	0.153
173/1 ग	0.065
381/1 ग	0.081
173/14	0.150
381/4	0.134
380	0.089
379	0.061
62/3	0.081
378	0.081
166/1 ख, 168	0.101

(1)	(2)
165, 173/4	0.263
173/8	0.129
173/13	0.121
173/12 क	0.121
174	0.182
177/3	0.061
178/3, 178/4	0.065
178/1	0.101
179/2	0.040
193/3	0.281
योग 38	4.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 मई 2018

क्रमांक 201/40/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.310 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
268	0.121
271	0.065
290/2	0.004
270/1	0.032
270/2	0.028
277	0.040
275	0.125
276/1	0.032
276/2	0.032
254	0.028
250	0.036
282/2	0.012
252	0.045
312/2	0.004
322/2	0.097
251	0.125
282/1	0.036
202	0.077
203	0.085
289	0.097
296	0.101
295	0.032
310	0.032
311	0.057
320	0.040
319	0.040
318	0.028
322/1	0.016
323	0.109
324	0.032
325	0.008
890	0.077
889	0.065
550	0.138
502	0.069
503	0.036
514	0.057
505	0.073
506	0.032
474	0.016
475	0.008
476	0.020
484	0.065
483/2	0.040
477	0.008
494	0.024
499	0.008
480	0.040
814/1	0.061
814/2	0.040
813	0.020
817	0.020
818/1	0.028

(1)	(2)
811	0.008
809/2	0.024
810	0.016
791	0.024
792	0.024
794	0.032
808/2	0.085
807	0.040
806/2	0.032
802	0.024
801	0.008
800	0.024
803	0.049
805	0.032
681	0.036
680/1	0.065
680/2	0.040
679	0.061
677/1	0.073
677/2	0.089
675/2	0.073
676/2	0.012
759/1	0.008
766	0.045
759/3	0.020
514/2	0.085
514/29	0.227
767	0.061
768	0.057
774	0.053
777/3	0.227
777/4	0.105
776/15	0.065
776/1	0.150
776/18 क	0.085
776/18 ग	0.121
776/19 ख	0.138
676/1	0.016
776/17	0.032
777/10	0.117
777/1	0.032
762	0.040
760	0.024
761	0.028
686/1	0.065
763	0.089
678/1	0.008
687/1	0.032
689/1	0.020
690	0.020
756	0.040
755	0.056
728/2	0.105
727	0.040
726	0.049
725	0.028
724/2	0.024
705	0.012
706	0.117
704	0.202
703	0.089
785/1	0.093
759/2	0.053
योग 116	6.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 19 मार्च 2018

क्रमांक/482/03 अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रूसे, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.107 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
612/1	0.121
612/2	0.121
615	0.283
618	0.016
631/1	0.093
619	0.227
620	0.226
621/1	0.198
621/2	0.198
622/1	0.219
622/3	0.223
631/2, 631/3	0.093
635/2	0.089
योग 14	2.107

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जल्दानाला जलाशय योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 मार्च 2018

क्रमांक/484/01 अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रेगाबोड़, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236/6	0.324
236/7	0.364
236/1	0.125
235/4	0.097
233	0.145
232/2	0.263
232/1	0.983
232/4	0.162
232/3	0.162
239/2	0.283
279/1	0.008
239/3	0.251
245/7	0.283
245/2	0.101
267/9	0.243
275	0.210
276/1	0.567
276/5	0.162
276/9	0.085
273/2	0.174
273/1	0.008
272	0.482
267/4	0.097
271/2	0.077
267/7	0.194
267/6	0.308
267/3	0.283
267/2	0.057
267/8	0.065
297/6	0.117
297/7	0.243
264/1	0.053
297/3	0.142
265	0.081
297/8	0.081
297/1	0.145
266	0.178
297/5	1.032
299/5	0.716
योग 39	9.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोड़-कुण्डा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 19 मार्च 2018

क्रमांक/486/02 अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सोढ़ा, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.491 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	809	0.024
	808	0.121
	810/3	0.737
	810/4	1.618
	810/2	1.384
	811	0.413
	816/2	0.194
योग	7	4.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जल्दानाला जलाशय योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बंसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/7011/21/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-छिरहुंट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	268	0.032
	264	0.057
	286	0.113
	288/1	0.053
	289/1	0.008
	284/1	0.028
	284/2	0.008
	267	0.045
योग	8	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तेलसरा-छिरहुट मार्ग पर अहिरन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/7021/22/01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-जवाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.571 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	206/2	0.061
	208	0.016
	209	0.061
	210	0.057
	211	0.041
	216	0.202
	218	0.113
	215/2	0.004
	260/2	0.016
योग	6	0.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली-सिंघाली मार्ग पर खोलार नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/7025/27/02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.660 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	334	0.081
	343	0.008
	344	0.340
	345/5	0.101
	349/1	0.049
	378/2	0.032
	378/4	0.049
योग	7	0.660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली-सिंघाली मार्ग पर खोलार नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/7030/43/31/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-राहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/1	0.032
	23/2	0.032
	50/2	0.088
	51	0.026
योग	4	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राहा-रावा मार्ग पर बनवार (जटाशंकर) नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा दिनांक 25 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/7055/23/05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-तेलसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	47	0.049
योग	1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तेलसरा-छिरहुट मार्ग पर अहिरन नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा दिनांक 17 मई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/8436/04/02/अ-82/2015-16.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-विजयपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.557 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	428	0.081
	429/2	0.242
	429/1 से	0.234
योग	3	0.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा व्यपवर्तन योजना के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दहिदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.555 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33	0.154
222	0.040
35/1	0.036
141/2	0.020
136/2	0.045
45/3	0.004
102/2	0.004
107/3	0.041
109	0.116
280	0.445
146/1	0.129
148/2	0.004
224	0.239
41	0.020
39	0.028
227/2	0.032
42/1	0.069
36	0.024
146/2	0.121
45/4	0.004
105/1	0.004
107/2	0.042
138	0.049
144/1	0.012
147	0.076
221/1	0.006
226/1 घ	0.021
263	0.271
104	0.096
228	0.287
141/1	0.016
142	0.036
146/3	0.121
45/5	0.004
105/3	0.004
282/1	0.020
139	0.036
144/2	0.012
261	0.069
221/2	0.004
262	0.069
144/3	0.012
108	0.125
32/3	0.624
35/2	0.020
38	0.014
45/1	0.004
102/1	0.073
105/4	0.004
282/2	0.020
140	0.065
144/4	0.012
283	0.460
219/2, 223/2	0.097
277/1	0.028
105/2	0.004
137	0.125
32/4	0.308
42/2	0.073
136/1	0.018
45/2	0.004
284	0.128
107/1	0.042
107/4	0.041
143	0.036
145	0.174
148/1	0.004

	(1)	(2)
	226/3	0.182
	277/2	0.028
योग	70	5.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-ठाकुरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	165/8	0.020
	211/2	0.041
	213/6	0.020
योग	3	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत तारापुर माईनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उसरोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	544/4	0.041
	544/2	0.024
योग	2	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत कुसमुरा माईनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-खोखरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.116 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	27/1 क	0.032
	49	0.156
	84/2	0.100
	104/1	0.104
	110/6	0.032
	113/2	0.016
	29/1	0.016
	29/2	0.200
	48/2	0.020
	115/6	0.049
	84/1, 84/4, 105/1	0.044
	75/4	0.120
	28	0.048
	84/3	0.068
	112/2	0.100
	51	0.383
	115/8	0.121
	115/3	0.084
	50/1	0.105
	26/1	0.064
	42	0.061
	115/12	0.032
	112/1	0.073
	110/5	0.032
	50/2	0.016
	27/2	0.040
योग	26	2.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत खोखरा माईन-1 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.050 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
171	0.165
113	0.028
158	0.113
152/1	0.044
128	0.258
118/1	0.028
491/1	0.008
137/1	0.008
489/1 ख, 489/1 ग	0.012
174/2	0.036
140/12	0.020
152/7	0.049
141	0.125
122/4	0.153
118/5	0.012
489/3	0.079
137/2	0.101
489/2	0.053
174/1	0.049
152/2	0.008
159/4	0.008
142	0.045
122/2	0.012
117/2	0.024

	(1)	(2)
	156/2	0.008
	118/7	0.020
	140/10	0.028
	173	0.020
	157/2	0.008
	159/5	0.008
	312	0.202
	122/5	0.061
	489/1 क	0.117
	159/1	0.101
	118/6	0.021
योग	35	2.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव सब माईनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन संजय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 4 मई 2018

क्रमांक/334/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.27 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	199	0.15
	115	0.13
	77	0.09
	82	0.13
	270	0.03
	204	0.07
	203	0.02
	209	0.52
	114	0.05
	85	0.10
	83	0.07
	84	0.02
	287	0.22
	66	0.05
	141	0.22
	68	0.09
	122	0.13
	106	0.10
	218	0.08
योग	19	2.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरा व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 4 मई 2018

क्रमांक/334/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-रायसरई, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
472	0.10
491	0.42
500	0.02
650/1	0.22
466	0.03
468	0.05
624	0.13
646	0.15
642	0.01
720	0.12
661/1	0.14
672/1	0.03
503	0.03
502/858	0.03
661/2	0.14
32	0.07
490	0.11
496	0.17
499	0.07
504	0.01
488	0.02
713	0.02
828	0.18
497	0.02
501	0.06
28	0.17
402	0.4
462	0.17
31	0.07
722/1	0.09
29	0.05
649	0.11
660	0.1
833	0.04
642/03	0.03
522/2	0.01
642/2	0.08
642/6	0.03
30	0.05
718	0.23
834	0.07
455	0.07
456	0.15
471	0.13
651	0.15
721	0.15
465	0.02
469	0.07
625	0.02
659	0.01
717	0.14
722/2	0.22
676	0.12
467/1	0.06
योग 54	5.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय योजना की रायसरई शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देव सेनापति, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग छ.ग.

दुर्ग, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्रमांक/256/न.ग्रा.नि./दुर्ग/वि.यो.-थानखम्हरिया/2017.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) की अनुसरण में थानखम्हरिया निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21-04-2017 को प्रकाशित किया गया.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट थानखम्हरिया निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

थानखम्हरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोपेडबरी, गातापार, उमराव नगर एवं टीपनी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम टीपनी एवं दर्री की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम दर्री, करमू एवं गुवारा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम गुवारा थानखम्हरिया, कुरदा, उमराव नगर एवं कोपेडबरी की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

No./256/T&CP/Durg/D.P.-Thankhamhariya/2017.—The existing land use map & register for the Thankhamhariya planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) which has been published in C.G. Gazette on Date 21-04-2017.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map & Register of Thankhamhariya planning area, Existing land use map & Register so prepared and published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country Planning, Durg under the provision of sub-section(3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above map & Register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of the Thankhamhariya Planning Area

NORTH : Village Kopedabari, Gatapar, Umrav nagar, Tipani upto north boundary.
EAST : Village Tipani, Darri upto east boundary.
SOUTH : Village Darri, Karmu, Guwara upto south boundary.
WEST : Village Guwara, Thankhamhariya, Kurda, Umravnagar, Kopedabri upto west boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during hours office for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Joint Director, Town & Country Planning Durg C.G.

दुर्ग, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्रमांक/2396/न.ग्रा.नि./दुर्ग/वि.यो.-नवागढ़/2017.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) की अनुसरण में नवागढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16-06-2017 को प्रकाशित किया गया.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट नवागढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

नवागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मुरकुटा, साल्हेघोरी, मदनपुर, कोड़िया ग्राम लालपुर की पूर्वी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम लालपुर ग्राम मुरता की दक्षिणी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम छीतापार, छेरकापुर, समेशर, मानपुर तथा टुरासेमरिया ग्राम रिसाअमली की पश्चिमी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम टुरासेमरिया, रिसाअमली, गोपालभैयना, चकलाकुण्डा ग्राम मुरकुटा की उत्तरी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

No./2396/T&CP/Durg/D.P.-Nawagarh/2017.—The existing land use map & register for the Nawagarh planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) which has been published in C.G. Gazette on Date 16-06-2017.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map & Register of Nawagarh planning area, Existing land use map & Register so prepared and published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country Planning, Durg under the provision of sub-section(3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above map & Register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of the Nawagarh Planning Area

NORTH : Village Murkuta, Salheghori, Madanpur, Kodiya, Village Lalpur upto east boundary.
EAST : Village Lalpur, Village Murta upto south boundary.
SOUTH : Village Chhitapar, Chherkapur, Sameshar, Manpur, Turasemariya, village Risa-Amli upto west boundary.
WEST : VillageTurasemariya, Risa-Ampli, Gopalbhaiyana, Chakalakund village Murkuta upto north boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Joint Director, Town & Country Planning Durg C.G.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुंद, दिनांक 18 मई 2018

प्रारूप-चार
(नियम 8 देखिए)

क्रमांक 850/LU-34/नग्रानि/2018.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि तुमगांव निवेश क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, तुमगांव, कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुन्द, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्री कार्यालय महासमुन्द कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द को "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर भेजा जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द द्वारा विचार किया जायेगा.

No./850/LU-34/T&CP/2018.—Notice is hereby given that the existing land use map for Tumgaon (planning Area) has been prepared under sub-section (1) of section 15 (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy there of is available for inspection during office hours in the office of the Chief Municipal officer, Nagar Panchayat, Tumgaon, Office of the Collector, Distt.-Mahasamund and Assistant Director, Town and Country Planning, Regional office, Mahasamund concerned.

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director Town and Coutry Planning Regional office, Mahasamund (C.G.) within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisagrh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Assistant Director, Town and Country Planning, Mahasamund (C.G.).

एस. आर. अजगरा,
प्र. सहायक संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1235.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2015-16/6799-6800 रायपुर दिनांक 23-01-2016 द्वारा श्री एस. के. टण्डन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिथौरा को, कृषि उपज मण्डी समिति पिथौरा जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर संभाग के पत्र क्रमांक 5303 दिनांक 19-03-2018 द्वारा श्री के. आर. भगत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिथौरा को कृषि उपज मंडी समिति पिथौरा जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. के. टण्डन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिथौरा के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री के. आर. भगत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिथौरा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पिथौरा जिला-महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1385.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2016-17/3552 रायपुर दिनांक 12-02-2016 द्वारा श्री बी. बी. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मस्तूरी, को कृषि उपज मण्डी समिति जयरामनगर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 28 दिनांक 05-04-2018 द्वारा श्री जे. डी. टण्डन, कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी, जिला बिलासपुर को, कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. बी. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मस्तूरी के निलंबन हो जाने से उनके स्थान पर श्री जे. डी. टण्डन, कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी जिला बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जयरामनगर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1387.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2016-17/1905 रायपुर दिनांक 15-06-2017 द्वारा श्री इन्द्रजीत वर्मन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती को, कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 104 दिनांक 13-04-2018 द्वारा श्री पी. के. पटेल, सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि) मालखरौदा को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री इन्द्रजीत वर्मन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती के स्थान पर श्री पी. के. पटेल, सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि) मालखरौदा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1389.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2016-17/7276 रायपुर दिनांक 12-02-2016 द्वारा श्री के. डी. कुंजाम, अतिरिक्त कलेक्टर (रा.) बिलासपुर को, कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 196 दिनांक 26-04-2018 द्वारा श्री एम. के. चौहान, संयुक्त संचालक, कृषि बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. डी. कुंजाम, अतिरिक्त कलेक्टर (रा.) बिलासपुर के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री एम. के. चौहान, संयुक्त संचालक, कृषि बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1393.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2017-18/1827 रायपुर दिनांक 13-06-2017 द्वारा श्री हीरालाल नायक, अपर कलेक्टर (रा.) जगदलपुर को, कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर जिला-बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय जगदलपुर के पत्र क्रमांक 103 दिनांक 18-04-2018 द्वारा श्री एम. एस. ध्रुव, संयुक्त संचालक, कृषि जगदलपुर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला-बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री हीरालाल नायक, अपर कलेक्टर (रा.), जगदलपुर के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री एम. एस. ध्रुव, संयुक्त संचालक, कृषि, जगदलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर जिला-बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्रमांक/128/प्रशा./स्था./2018—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई-1-01/2018/एक-2 रायपुर दिनांक 16-03-2018 द्वारा श्री गौरव द्विवेदी भा.प्र.से. (1995) महानिर्देशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, के पद पर पदस्थ करते हुये अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

श्री द्विवेदी द्वारा अध्यक्ष, छ.ग.मा.शि. मंडल, के पद पर दिनांक 26-3-2018 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

कृपया भविष्य में अध्यक्ष, छ.ग.मा.शि. मण्डल, रायपुर से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर करने का कष्ट करें :—

श्री गौरव द्विवदी, भा.प्र.से. (1995)
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर
कार्यालय दूरभाष नं. - 0771-2445321, 2437002
फैक्स नं. - 0771-2429385

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2018

क्रमांक/229/प्रशा./स्था./2018—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-9-21/2018/1-8 नया रायपुर, दिनांक 18-05-2018 के अनुसार प्रोफेसर व्ही. के. गोयल द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर का कार्यभार दिनांक 21-05-2018 को ग्रहण कर लिये हैं.

हस्ता./-
सचिव.

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

कांकेर, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्रमांक/स्था./2018/4217.—मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर के पृष्ठा. क्रमांक 1069 दिनांक 17-04-2018 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 20-04-2018 को अपरान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

Certified that in according with the Chief Conservator of forest Kanker latter No. 1069 Date 17-04-2018 Shri J. Sriram , (I.F.S.) Make over to Shri B. S. Thakur (I.F.S.) charge of the D.F.O. Kanker on Afternoon Dated 20-04-2018 that the office receiving charge.

हस्ता./-
बी. एस. ठाकुर,
वन मण्डल अधिकारी.

कांकेर, दिनांक 14 मई 2018

क्रमांक/स्था./2018/4808.—मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर के पृष्ठा. क्रमांक 1069 दिनांक 17-04-2018 के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा वनमण्डल अधिकारी कांकेर वनमण्डल कांकेर का प्रभार दिनांक 14-05-2018 को पूर्वान्ह को ग्रहण कर लिया गया है.

Certified that in according with the C. C. F. Kanker latter No. 1069 Date 17-04-2018 Shri B. S. Thakur, (I.F.S.) Make over to Shri J. Sriram (I.F.S.) charge of the D.F.O. Kanker on Afternoon Dated 14-05-2018 that the office receiving charge.

हस्ता./-
जे. श्रीराम,
वन मण्डल अधिकारी.

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2018

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/178/स्थापना/रा.मं./2018.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 14-05-2018 respectively made over and received charge of the office of the OSD-Cum-Member Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E/-1-01-2018/एक-2 Naya Raipur dated 11-05-2018 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 10.30 AM (Mention dates).

Relieved Officer — RENU G. PILLAY
OSD-Cum-Member Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2018

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/193/स्थापना/रा.मं./2018.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 21-05-2018 respectively made over and received charge of the office of the Member, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E/-1-01/2018/एक-2 Naya Raipur dated 11-05-2018 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 10.30 AM (Mention dates).

Reliveing Officer — AMRIT KUMAR XALXO
Member, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2018

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक/194/स्थापना/रा.मं./2018.—Certified that we have in the AN/FN of this day on 21-05-2018 respectively made over and received charge of the office of the Secretry, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur vide GAD's order No. E/-1-01/2018/एक-2 Naya Raipur dated 11-05-2018 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 10.30 AM (Mention dates).

Relieved Officer — AMRIT XALXO
Secretary, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur.

Reliveing Officer — SHRI CHHATAR SINGH DEHARE
Secretary, Board of Revenue Chhattisgarh, Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्रमांक/195/स्थापना/रा.मं./2018.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 381/स्थापना/रा.मं./2017, बिलासपुर दिनांक 17-07-2017 को अतिक्रमित करते हुए प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्वर्तन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-7, 8 के अंतर्गत अंतर्निहीत शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण —

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	श्री के. डी. पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग (तहसील एवं शहरी क्षेत्र), बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री अमृत कुमार खलखो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	राजस्व जिला मुंगेली, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बालोद, गरियाबंद, दुर्ग (तहसील पाटन एवं धमधा) कांकेर. समय-समय पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा सौंपे गये अन्य प्रकरण.

(स) दुर्ग, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद एवं कांकेर जिलों के संहिता की धारा 165 के प्रकरण, संहिता की धारा 165 (7) के तहत् शासकीय पट्टे से संबंधित भूमि के विक्रय के प्रकरण, आबकारी अधिनियम एवं स्टांप शुल्क अधिनियम से संबंधित लंबित एवं नये प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के द्वारा की जायेगी.

(द) स्थगन आवेदन पत्र —
अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी —

क्रमांक (1)	अनुपस्थिति न्यायालयीन (2)	सुनवाई हेतु न्यायालय (3)
1.	श्री के. डी. पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री अमृत कुमार खलखो, सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.
2.	श्री अमृत कुमार खलखो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	श्री के. डी. पी. राव, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, छ.ग.

(इ) न्यायहित में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा. स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग. द्वारा संपूर्ण छ.ग. कार्यक्षेत्र में उपरोक्त व्यवस्था में किसी बात का होते हुए भी न्यायहित में किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से सुनवाई किया जा सकता है.

(ई) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है —

क्र. (1)	अध्यक्ष/सदस्य (2)		सुनवाई हेतु स्थान (3)
1.	श्री के. डी. पी. राव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1.	राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गुरूवार एवं शुक्रवार.
		2.	सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार एवं मंगलवार.
2.	श्री अमृत कुमार खलखो सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1.	राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यतः माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.
		2.	सर्किट कोर्ट, रायपुर, सामान्यतः प्रथम एवं तृतीय सप्ताह के गुरूवार एवं शुक्रवार.
		3.	सर्किट कोर्ट, जगदलपुर (बस्तर) प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार.

(उ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय —

1. न्यायालयीन प्रकरणें की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(ऊ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

(ए) उपरोक्त न्यायालय दिवसों संबंधी व्यवस्था में किसी बात के होने के बावजूद भी न्यायहित में यदि आवश्यक हो तो शासकीय आवास दिवसों को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

हस्ता./-
अवर सचिव.

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, लिमि.
(छ.ग. शासन का उपक्रम)
मुख्यालय, "बीज भवन", रविग्राम तेलीबांधा, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2018

क्रमांक/मुख्या./बीकृविनि./स्था./2018-19/393.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर का आदेश क्र./ई 1-01/2018/एक-2 दिनांक 04-04-2018 के परिपालन में मैं दिनांक 12-4-2018 को पूर्वान्ह छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. में प्रबंध संचालक के पद पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया हूं.

जन्मेजय महोबे,
प्रबंध संचालक.

संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2018

क्र./गन्ना क्षेत्र आरक्षण/2018-19/17—मैं अनुप कुमार श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर, छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 17 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये पूर्व में मेरे द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/गन्ना क्षेत्र आरक्षण/2017-18/165 दिनांक 07-11-2017 के माध्यम से गन्ना पेराई वर्ष 2017-18 के लिये भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित राम्हेपुर, कवर्धा, जिला-कबीरधाम हेतु आरक्षित क्षेत्र में संशोधन करते हुए एतद् द्वारा विकासखण्ड बोड़ला के संलग्न सूची अनुसार 38 ग्रामों के 1145 कृषकों द्वारा 1976.47 एकड़ में उत्पादित गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2017-18 के लिये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम हेतु आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. सूची में वर्णित आरक्षित किये गये ग्रामों के समक्ष

उल्लेखित बचत रकबे में उत्पादित गन्ना शक्कर कारखाना द्वारा निम्न क्रय केन्द्र में क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (एकड़)
1.	**शक्कर कारखाना द्वारा** (लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना,पण्डरिया, जिला-कबीरधाम).	बोड़ला	30	1096.47

अनुप कुमार श्रीवास्तव,
गन्ना आयुक्त.

सूची

जिला-कबीरधाम (विकासखण्ड-बोड़ला)

पेराई सत्र 2017-18 हेतु लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पण्डरिया, जिला कबीरधाम के लिए अतिरिक्त गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की जानकारी

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	कृषक संख्या (3)	बचत रकबा (एकड़ में) (4)
1.	कबराटोला	33	38.47
2.	महली	17	19.00
3.	मड़मड़ा	38	37.00
4.	खण्डसरा	41	50.50
5.	बोईरकछरा	21	42.00
7.	कुसुमघटा	110	75.60
8.	नेऊरगांवकला	35	31.89
9.	तरेगांव मैदान	52	26.28
10.	खरहट्टा	24	17.45
11.	गण्डईकला	45	33.00
12.	गण्डईखुर्द	19	30.00
13.	सारंगपुरकला	44	35.00
14.	खड़ौदाकला	47	30.00
15.	सिल्हाटी	75	75.00
16.	मानिकपुर	120	80.00
17.	कारेसरा	45	49.20
18.	लोहझरी	37	35.20
19.	नेऊरगांवखुर्द	25	50.00
20.	उसलापुर	32	25.00
21.	बघर्रा	30	35.00

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	बैहरसरी	57	39.70
23.	पोड़ी	32	20.00
24.	मारियाटोला	20	77.00
25.	लखनपुरखुर्द	22	29.00
26.	लेंजाखार	32	22.00
27.	खुर्सीपार	27	24.00
28.	बोड़ला	12	10.00
29.	तिलईभाठ	24	27.98
30.	बद्दो	29	31.20
	योग	**1145**	**1096.47**

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक/103/1282/प्र.अ.भू.अ./2018.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 4873/आ.भू.अ./स्था-2/2017 नया रायपुर दिनांक 13-12-2017 एवं पत्र क्रमांक-एफ/4660/2017/आ.भू.अ./स्था-2/नया रायपुर दिनांक 29-11-2017 में दिये गये निर्देशानुसार मैं भीम सिंह कलेक्टर, राजनांदगांव छ.ग. भू.रा.सं. 1959 की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिले के तहसील डोंगरगांव में संलग्न संशोधित सूची अनुसार पटवारी हल्को एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों का पुनर्गठन करता हूं.

तहसील डोंगरगांव के पुनर्गठित पटवारी हल्कों एवं राजस्व निरीक्षक मंडलों की सूची संलग्न है.

भीम सिंह,
कलेक्टर.

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का प्रस्तावित नवीन हल्काबंदी अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल गठन करने हेतु प्रपत्र वर्ष 2017—18

संशोधित

प्रस्तावित पटवारी हल्काबंदी एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल									
कमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित प.ह.नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	प0ह0नं0 में शामिल ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय का नाम	नगरीय निकाय में शामिल ग्राम	वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	डोंगरगांव	1	हरदी	कन्हारडबरी	कन्हारडबरी	–	–	तुमडीबोड	
2				टेका		–	–		
3				हरदी	हरदी	–	–		
4		2	खपरीकला	खपरीकला	खपरीकलर	–	–		
5				झिटिया		–	–		
6				बाकल	बाकल	–	–		
7		3	बोदेला	बोदेला	बोदेला	–	–		
8				सिवनीखुर्द		–	–		
9				पेटेश्री		–	–		
10				बरहापुर बीरानग्राम		–	–		बीरानग्राम
11				आरगांव	आरगांव	–	–		
12				आलीखूंटा		–	–		
13		4	तुमडीबोड	तुमडीबोड	तुमडीबोड	–	–		
14				नाथुनवागांव	नाथुनवागांव	–	–		
15		5	कोहका	कोहका	कोहका	–	–		
16				ढाबा	ढाबा	–	–		
17		6	टप्पा	टप्पा	टप्पा	–	–		
18				गाताटोला		–	–		
19				ओडारबांध	ओडारबांध	–	–		
20				मलईडबरी		–	–		
21				जामसरारखुर्द		–	–		
22	डोंगरगांव	7	पेंडरवानी	पेंडरवानी	पेंडरवानी	–	–	दीवानभेंडी	
23				जारवाही	जारवाही	–	–		
24				टोलागांव		–	–		
25		8	मचानपार	मचानपार	मचानपार	–	–		
26				दीवानझिटिया	दीवानझिटिया	–	–		
27				गोडरी		–	–		
28		9	कोपेडीह	कोपेडीह	कोपेडीह	–	–		
29				खैरी		–	–		
30				किरगी	किरगी	–	–		
31		10	केसला	केसला	केसला	–	–		
32				धौराभांठा		–	–		
33				सालिकझिटिया	सालिकझिटिया	–	–		
34				पैरी		–	–		
35		11	मारगांव	मारगांव	मारगांव	–	–		
36				दीवानभेंडी	दीवानभेंडी	–	–		
37		12	गिरगांव	गिरगांव	गिरगांव	–	–		
38				माहुलझोपडी		–	–		
39				तिलईरवार	तिलईरवार	–	–		
40		13	बम्हनीभांठा	खम्हेरा	खम्हेरा	–	–		
41				बम्हनीभांठा	बम्हनीभांठा	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	डोंगरगांव	14	तेन्दुनाला	तेन्दुनाला,	तेन्दुनाला	–	–	आसरा	
43				दर्राबांधा		–	–		
44				विचारपुर नवागांव	विचारपुरनवागांव	–	–		
45		15	आसरा	आसरा	आसरा	–	–		
46				सांगिनकछार	सांगिनकछार	–	–		
47	डोंगरगांव	16	कोकपुर	कोकपुर	कोकपुर	–	–	आरी	
48				अरसीटोला		–	–		
49				जंतर	जंतर	–	–		
50				चिचदो		–	–		
51		17	मनेरी	मनेरी	मनेरी	–	–		
52				गनेरी		–	–		
53				कासमसुर वीरानग्राम		–	–		वीरानग्राम
54				बरगांव	बरगांव	–	–		
55				जामसत्तरकला		–	–		
56		18	कोनारी	कोनारी	कोनारी	–	–		
57				साल्हे		–	–		
58				गुगेरीनवागांव	गंगेरीनवागांव	–	–		
59				घुघुवा		–	–		
60		19	अमलीडीह	अमलीडीह	अमलीडीह	–	–		
61				बीजाभांठा	बीजाभांठा	–	–		
62		20	सुखरी	सुखरी	सुखरी	–	–		
63				झीका		–	–		
64				बरसनटोला	बरसनटोला	–	–		
65		21	रातापायली	रातापायली	रातापायली	–	–		
66				रूदगांव	रूदगांव	–	–		
67				भाखरी		–	–		
68		22	आरी	आरी	आरी	–	–		
69				बगदई	बगदई	–	–		
70	डोंगरगांव	23	डोंगरगांव	डोंगरगांव		डोंगरगांव नगर	डोंगरगांव	डोंगरगांव नगर	
71				मटिया			मटिया		
72		24	करियाटोला	करियाटोला			सेवताटोला		
73				सेवताटोला			करियाटोला		
74	डोंगरगांव	25	मोहड	मोहड	मोहड			खुज्जी	
75				कोहका	कोहका				
76				माथलडबरी	माथलडबरी				
77				रेंगाकठैरा		–	–		
78		26	खुज्जी	खुज्जी	खुज्जी	–	–		
79				दर्री	दर्री	–	–		
80				बेन्दरकट्टा		–	–		
81		27	बडभूम	बडभूम	बडभूम	–	–		
82				करेठी		–	–		
83				बगमार	भटगुना	–	–		
84				भटगुना		–	–		
85		28	नादिया	नादिया	नादिया	–	–		
86				बडगांवचारभांठा	बडगांवचारभांठा	–	–		
87		29	खुर्सीपार	खुर्सीपार	खुर्सीपार	–	–		
88				परना	परना	–	–		
89		30	किरगी	किरगी	किरगी	–	–		
90				रूपाकाठी	रूपाकाठी	–	–		
91				रीवागहन		–	–		
92		31	सोनेसरार	सोनेसरार	सोनेसरार	–	–		
93				छुईखदान	छुईखदान	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94				सुखरी		–	–		
95	डौंगरगांव	32	अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी	–	–	अर्जुनी	
96				सिंगारपुर	सिंगारपुर	–	–		
97				मेढ़ा		–	–		
98		33	घोरदा	घोरदा	अर्जुनी	–	–		
99				कुब्दूमरदा	कुब्दूमरदा	–	–		
100				कविराजटोलागांव		–	–		
101		34	बनहरदी	बनहरदी	बनहरदी	–	–		
102				बनभेड़ी	बनभेड़ी	–	–		
103		35	रामपुर	रामपुर	रामपुर	–	–		
104				जंगलपुर	जंगलपुर	–	–		
105		36	कोटरासरार	कोटरासरार	कोटरासरार	–	–		
106				चमारराय टोलागांव	चमारराय टोलागांव,	–	–		
107				मोहभट्ठा		–	–		
108		37	करमतरा	करमतरा	करमतरा	–	–		
109				मोखली	मोखली	–	–		
110		38	कुतुलबोड़ भाठागांव	कु0भाठागांव	कु0भाठागांव	–	–		
111				सम्बलपुर	सम्बलपुर,	–	–		
112				मरेठानवागांव	मरेठानवागांव,	–	–		
113				भोथली		–	–		
योग :–			38	113	74	1	4	7	

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (नगर भूमि सीमा) रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 5 जून 2018

क्रमांक 116/रीडर/न.भू.सी./2018.—सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6-62/2008/सात-3/रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री जोगेन्द्र नायक (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

ओ. पी. चौधरी,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला सुकमा (छ.ग.)

सुकमा, दिनांक 28 मार्च 2017

क्रमांक/1208/भू.अ./अ.भू.अ./2017.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) एवं 105 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर, जिला सुकमा एतद्द्वारा तहसील कोन्टा, छिन्दगढ़, सुकमा के पटवारी हल्कों एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल का सूची के क्रमांक 3 एवं 4 में दर्शाए अनुसार पुनर्गठित करता हूं.

वर्तमान रा.नि.म./पटवारी हल्का /ग्राम की जानकारी							पुनगठित रा.नि.म./पटवारी हल्का /ग्राम की जानकारी						
स.क.	तहसील का नाम	रा.नि.म. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय ग्राम की नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	विरान और डुबान ग्राम का नाम	स.क.	तहसील का नाम	रा.नि.म. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय ग्राम की नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	विरान और डुबान ग्राम का नाम
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
तहसील कोन्टा							तहसील कोन्टा						
1	कोण्टा	जगरगुंडा	1 सिलगेर	सिरगेर	(1) सिलगेर		1	कोन्टा	जगरगुण्डा	1. सिलगेर	सिलगेर	सिलगेर	राजस्व
2	—,,—	—,,—	—,,—	बेदरे	—"—		2	—"—	—"—	—"—	दुरनदरभा	—"—	राजस्व
3	—,,—	—,,—	—,,—	दुरनदरभा	—"—		3	—"—	—"—	—"—	बेदरे	—"—	राजस्व
4	—,,—	—,,—	—,,—	तुमालपाड़	(2) पेन्टाचिमली		4	—"—	—"—	—"—	गोन्दपल्ली	गोन्दपल्ली	राजस्व
5	—,,—	—,,—	—,,—	पुवर्ती	—"—		5	—"—	—"—	—"—	तिम्मापुरम	—"—	विरान
6	—,,—	—,,—	—,,—	पेण्टाचिमली	—"—		6	—"—	—"—	—"—	मण्डीमरका	—"—	राजस्व
7	—,,—	—,,—	—,,—	टेकलगुड़ियम	—"—			योग :-			6		

8	–"–	–"–	–"–	जोनागुड़ा	–"–		7	कोन्टा	जगरगुण्डा	2 कुन्देड़	पेन्टाचिमली	पेन्टाचिमली	राजस्व
	योगः–			8 ग्राम			8	—"—	—"—	—"—	तुमालपाड़	—"—	राजस्व-
9	–"–	–"–	2 गोन्दपल्ली	उरसांगल	(3) कुन्देड़		9	—"—	—"—	—"—	टेकेलगुड़ियम	—"—	राजस्व
10	–"–	–"–	–"–	कुन्देड़	–"–		10	—"—	—"—	—"—	पूवर्ती	—"—	राजस्व
11	–"–	–"–	–"–	तेलेवर्ती	–"–		11	—"—	—"—	—"—	जोनागुड़ा	—"—	राजस्व
12	–"–	–"–	–"–	मेसीगुड़ा			12	—"—	—"—	—"—	कुन्देड़	कुन्देड़	राजस्व
13	–"–	–"–	–"–	गोंदपल्ली	(4) गोंदपल्ली		13	—"—	—"—	—"—	भीमापुरम उर्फ मेसीगुड़ा	—"—	राजस्व
14	–"–	–"–	–"–	मंडीमरका	–"–		14	—"—	—"—	—"—	तोलेवर्ती	—"—	राजस्व
15	–"–	–"–	–"–	तिम्मापुरम	–"–	विरान ग्राम	15	—"—	—"—	—"—	उरसांगल	—"—	राजस्व
	योगः–			7 ग्राम					योग :–		9		
16	कोण्टा	जगरगुंडा	3 जगरगुण्डा	जगरगुण्डा	(5) जगरगुण्डा		16	कोन्टा	जगरगुण्डा	3. जगरगुण्डा	जगरगुण्डा	जगरगुण्डा	राजस्व
17	–"–	–"–	–"–	विक्रमपल्ली	(6) तारलागुड़ा		17	—"—	—"—	—"—	तारलागुड़ा	तारलागुड़ा	राजस्व
18	–"–	–"–	–"–	कोडमेर	–"–		18	—"—	—"—	—"—	विकमपल्ली	—"—	राजस्व
19	–"–	–"–	–"–	तारलागुड़ा	–"–		19	—"—	—"—	—"—	बैनपल्ली	—"—	राजस्व
20	–"–	–"–	–"–	बेनपल्ली	–"–		20	—"—	—"—	—"—	कोडमेर	—"—	राजस्व
21	–"–	–"–	–"–	कन्हईगुडा	–"–		21	—"—	—"—	—"—	कन्हाईगुड़ा	—"—	राजस्व
	योगः–			6 ग्राम					योग :–		6		
22	–"–	–"–	4 गुमोड़ी	गुमोड़ी	(7) गुमोड़ी		22	कोन्टा	जगरगुण्डा	4 कोण्डासांवली	गुमोड़ी	गुमोड़ी	राजस्व
23	–"–	–"–	–"–	पोरोगुमोडी	–"–		23	—"—	—"—	—"—	पोरोगुमोड़ी	—"—	राजस्व
24	–"–	–"–	–"–	पोरोककाड़ी	–"–		24	—"—	—"—	—"—	बड़े हिरमा	—"—	राजस्व

25	–„–	–„–	–„–	बडेहिरमा	–"–		25	—"—	—"—	—"—	पोरोककाड़ी	—"—	राजस्व
26	–„–	–„–	–„–	दुरमा	–"–		26	—"—	—"—	—"—	दुरमा	—"—	राजस्व
27	–„–	–„–	–„–	कोण्डासांवली	(8) कोंडासावली		27	—"—	—"—	—"—	कोडासॉवली	कोडासॉवली	राजस्व
28	–„–	–„–	–„–	पोरोकोण्डा सांवली	–"–		28	—"—	—"—	—"—	पारलागट्टा	—"—	राजस्व
29	–„–	–„–	–„–	पारलागट्टा	–"–		29	—"—	—"—	—"—	पोरोकोडासॉवली	—"—	राजस्व
	योगः–			8 ग्राम				योग :–			8		
30	–„–	–„–	5 ऐलमपल्ली	ऐलमपल्ली	(9) ऐलमपल्ली		30	कोन्टा	जगरगुण्डा	5 कामाराम	एलमपल्ली	एलमपल्ली	राजस्व
31	–„–	–„–	–„–	चिमलीलावा	–"–		31	—"—	—"—	—"—	चिमलीलावा	—"—	राजस्व
32	–„–	–„–	–„–	बंजेपल्ली	–"–		32	—"—	—"—	—"—	बंजेपल्ली	—"—	राजस्व
33	–„–	–„–	–„–	कामाराम	(10) कामाराम		33	—"—	—"—	—"—	कामाराम	कामाराम	राजस्व
34	–„–	–„–	–„–	अचकट	–"–		34	—"—	—"—	—"—	सिंगाराम	—"—	राजस्व
35	–„–	–„–	–„–	राजपेण्टा	–"–		35	—"—	—"—	—"—	राजपेन्टा	—"—	राजस्व
36	–„–	–„–	–„–	सिंगारम	–"–		36	—"—	—"—	—"—	गोलागुड़ा	—"—	राजस्व
37	–„–	–„–	–„–	गोलागुड़ा	–"–		37	—"—	—"—	—"—	अचकट	—"—	राजस्व
	योगः–			8 ग्राम				योग :–			8		
38	–„–	–„–	6 चिन्तलनार	चिन्तलनार	(11) चिन्तलनार		38	कोन्टा	जगरगुण्डा	9 मिलमपल्ली	मिलमपल्ली	मिलमपल्ली	राजस्व
39	–„–	–„–	–„–	नरसापुरम्	–"–		39	—"—	—"—	—"—	किस्टाराम	—"—	राजस्व
40	कोण्टा	जगरगुंडा	–„–	रायगुड़ा	–"–		40	—"—	—"—	—"—	चिमली	—"—	राजस्व
41	–„–	–„–	–„–	मिलमपल्ली	(12) मिलमपल्ली		41	—"—	—"—	—"—	रामाराम	—"—	विरान ग्राम

42	–„–	–„–	–„–	किरटारम	–"–		योग :–						
43	–„–	–„–	–„–	चिमली	–"–		42	कोन्टा	चिंतलनार	7 पेदाबोडकेल	सुरपनगुड़ा	सुरपनगुड़ा	राजस्व
44	–„–	–„–	–„–	रामाराम	–"–	विरान ग्राम	43	––"––	––"––	––"––	भीमापुरम उर्फ मेसीगुड़ा	––"––	राजस्व
योगः–				7 ग्राम			44	––"––	––"––	––"––	मोरपल्ली	मोरपल्ली	राजस्व
45	–„–	–„–	7 सुरपनगुड़ा	मोरपल्ली	(13) मोरपल्ली		45	––"––	––"––	––"––	पेदाबोड़केल	––"––	राजस्व
46	–„–	–„–	–„–	पेदाबोडकेल	–"–		46	––"––	––"––	––"––	चुन्नाबोड़केल	––"––	राजस्व
47	–„–	–„–	–„–	जब्बागट्टा	–"–		47	––"––	––"––	––"––	जब्बागट्टा	––"––	राजस्व
48	–„–	–„–	–„–	चिन्नाबोडकेल	–"–		योग :–				6		
49	–„–	–„–	–„–	सुरपनगुड़ा	(14) सुरपनगुड़ा		48	कोन्टा	चिंतलनार	29 एलमागुण्डा	दुलेड़	दुलेड़	राजस्व
50	–„–	–„–	–„–	भीमापुरम्	––"––		49	––"––	––"––	––"––	मिनपा	––"––	राजस्व
योगः–				6 ग्राम			50	––"––	––"––	––"––	एलमागुण्डा	एलमागुण्डा	राजस्व
51	कोण्टा	कांकेरलंक	8 बुरकापाल	बुरकापाल	(15) बुरकापाल		51	––"––	––"––	––"––	सालातोंग	––"––	वनग्राम
52	–„–	–„–	–„–	ताड़मेटला	––"––		52	––"––	––"––	––"––	दुब्बामरका	––"––	वनग्राम
53	–„–	–„–	–„–	दुलेड़	(16) दुलेड		53	––"––	––"––	––"––	करीगुण्डम	––"––	राजस्व
54	–„–	–„–	–„–	मिनपा	––"––		54	––"––	––"––	––"––	साकलेर	––"––	राजस्व
55	–„–	–„–	–„–	करीगुण्ड़म	(17) एलमागुण्ड़ा		55	––"––	––"––	––"––	तोण्डामरका	––"––	राजस्व
योगः–				5 ग्राम			56	––"––	––"––	––"––	पोटकपल्ली	––"––	राजस्व
56	–„–	–„–	9 मुकरम	चिन्तागुफा	(18) चिन्तागुफा		57	––"––	––"––	––"––	कोसमपाड़	––"––	वनग्राम
57	–„–	–„–	–„–	तेमेलवाड़ा	––"––		58	––"––	––"––	––"––	गुदराजपाड़	––"––	वनग्राम
58	–„–	–„–	–„–	पुटेपाड़	––"––		59	––"––	––"––	––"––	पोटेभंगी	––"––	वनग्राम

59	कोण्टा	कांकेरलंक I	–,,–	करीगुण्डम	(18) चिन्तागुफा	
60	–,,–	–,,–	–,,–	मुकरम	(19) मुकरम	
61	–,,–	–,,–	–,,–	तोंगपल्ली	—"—	
62	–,,–	–,,–	–,,–	कोत्तागुड़ा	—"—	
63	–,,–	–,,–	–,,–	लखापाल	—"—	
योगः–				8 ग्राम		
64	–,,–	–,,–	10 कोर्रापाड़	गोडेलगुड़ा	(20) कोर्रापाड	
65	–,,–	–,,–	—"—	कोर्रापाड़	—"—	
66	–,,–	–,,–	—"—	रेंगरायगुड़ा	—"—	
67	–,,–	–,,–	—"—	डब्बाकोन्टा	(21) डब्बाकोन्टा	
68	–,,–	–,,–	—"—	पीड़मेर	–"–	
69	–,,–	–,,–	—"—	रामाराम	–"–	
70	–,,–	–,,–	—"—	पालामड़गू	(22) पालामडगू	
71	–,,–	–,,–	—"—	जगावरम	–,,–	
योगः–				8 ग्राम		
72	–,,–	–,,–	11 कांकेरलंका	कांकेरलंका	(23) कांकेरलंका	
73	–,,–	–,,–	—"—	चिकपल्ली	–,,–	
74	–,,–	–,,–	—"—	पुसवाड़ा	–,,–	
योगः–				3 ग्राम		
75	कोण्टा	कांकेरलंक I	12 नागारम	नागारम	(24) नागारम	
76	–,,–	–,,–	—"—	कोत्तापल्ली	–,,–	
77	–,,–	–,,–	—"—	तिम्मापेंटा	–,,–	विरान ग्राम

योग :–				12		
60	कोन्टा	चिंतलनार	8 चिन्तागुफा	चिन्तागुफा	चिन्तागुफा	राजस्व
61	—"—	—"—	—"—	तेमेलवाड़ा	—"—	राजस्व
62	—"—	—"—	—"—	पुटेपाल	—"—	वनग्राम
63	—"—	—"—	—"—	बुरकापाल	ताड़मेटला	राजस्व
64	—"—	—"—	—"—	ताड़मेटला	—"—	राजस्व
योग :–				5		
65	कोन्टा	चिंतलनार	6 चिंतलनार	चिंतलनार	चिंतलनार	राजस्व
66	—"—	—"—	—"—	नरसापुरम	—"—	राजस्व
67	—"—	—"—	—"—	रायगुड़ा	—"—	राजस्व
68	—"—	—"—	—"—	मुकरम	मुकरम	राजस्व
69	—"—	—"—	—"—	तोंगपल्ली	—"—	राजस्व
70	—"—	—"—	—"—	कोत्तागुड़ा	—"—	राजस्व
71	—"—	—"—	—"—	लखापाल	—"—	राजस्व
योग :–				7		
72	कोन्टा	चिंतलनार	12 नागाराम	नागाराम	नागाराम	राजस्व
73	—"—	—"—	—"—	कोत्तापल्ली	—"—	राजस्व
74	—"—	—"—	—"—	तिम्मापेंटा	—"—	विरान
75	—"—	—"—	—"—	गट्टापाड़	—"—	राजस्व
76	—"—	—"—	—"—	केरलापेंदा	केरलापेंदा	राजस्व
77	—"—	—"—	—"—	तोकनपल्ली	—"—	राजस्व
78	—"—	—"—	—"—	बड़ेगानगुलावा	—"—	राजस्व

78	–„–	–„–	—''—	गट्टापाड़	–„–	
79	–„–	–„–	—''—	बडेगानगुलाबा	(25) केरलापेन्दा	
80	–„–	–„–	—''—	केरलापेंदा	–„–	
81	–„–	–„–	—''—	तोकनपल्ली	–„–	
82	–„–	–„–	—''—	छोटेगानगुलाबा	–„–	
83	–„–	–„–	—''—	साकलेर	(17) एलमागुण्ड़ा	
84	–„–	–„–	—''—	सालातोंग	–„–	
85	–„–	–„–	—''—	दुब्बामरका	–„–	
86	–„–	–„–	—''—	टोंडामरका	–„–	
87	–„–	–„–	—''—	कोसमपाड़	–„–	
योगः—				13 ग्राम		
88	–„–	–„–	13 बगडेगुडा	बगड़ेगुड़ा	(26) बगड़ेगुडा	
89	–„–	–„–	—''—	मिच्चीगुड़ा	–„–	
90	–„–	–„–	—''—	गोगुण्डा	–„–	
योगः—				3 ग्राम		
91	–„–	–„–	14 मिसमा	मिसमा	(27) मिसमा	
92	–„–	–„–	–''–	मुंडपल्ली	–„–	
93	–„–	–„–	–''–	पिनाभेज्जी	–„–	
94	–„–	–„–	–''–	उपमपल्ली	–„–	
95	–„–	–„–	–''–	सामसट्टी	(28) सामसट्टी	
96	–„–	–„–	–''–	परिया	–„–	
97	–„–	–„–	–''–	नीलावाया	–„–	
98	–„–	–„–	–''–	बोंडूगपाड़	–„–	

79	—''—	—''—	—''—	छोटेगानगुलाव T	—''—	वनग्राम
योग :—				8		
80	कोन्टा	कांकेरलंका	13 बगड़ेगुड़ा	बगड़ेगुड़ा	बगड़ेगुड़ा	राजस्व
81	—''—	—''—	—''—	गोरगुण्डा	—''—	राजस्व
82	—''—	—''—	—''—	मिचीगुण्डा	—''—	राजस्व
योग :—				3		
83	कोन्टा	कांकेरलंका	14 मिसमा	मिसमा	मिसमा	राजस्व
84	—''—	—''—	—''—	उपमपल्ली	—''—	राजस्व
85	—''—	—''—	—''—	पिन्नाभेज्जी	—''—	राजस्व
86	—''—	—''—	—''—	मुण्डपल्ली	—''—	राजस्व
87	—''—	—''—	—''—	सामसट्टी	सामसट्टी	राजस्व
88	—''—	—''—	—''—	परिया	—''—	राजस्व
89	—''—	—''—	—''—	नीलावाया	—''—	वनग्राम
90	—''—	—''—	—''—	बोडुमपाड़	—''—	राजस्व
योग :—				8		
91	कोन्टा	कांकेरलंका	15 दुब्बाटोटा	दुब्बाटोटा	दुब्बाटोटा	राजस्व
92	—''—	—''—	—''—	फायदागुड़ा	—''—	राजस्व
93	—''—	—''—	—''—	पुनपल्ली	पुनपल्ली	राजस्व
94	—''—	—''—	—''—	गोंदपल्ली	—''—	राजस्व
95	—''—	—''—	—''—	नयापारा	—''—	वनग्राम
96	—''—	—''—	—''—	कुम्हारपदर	—''—	वनग्राम
97	—''—	—''—	—''—	राजपदर	—''—	वनग्राम
योग :—				7		

99	–,,–	–,,–	–"–	बड़ेकेडवाल	(29) पेन्टापाड	
योगः–				9 ग्राम		
100	कोण्टा	कांकेरलंका	14 मिसमा	छोटेकेड़वाल	(29) पेन्टापाड	
101	–,,–	–,,–	–"–	भट्टापाड़	–"–	
102	–,,–	–,,–	–"–	सिंगनमड़गू	–"–	
योगः–				3 ग्राम		
103	–,,–	–,,–	15 दुब्बाटोटा	राजपदर	–"–	
104	–,,–	–,,–	–"–	कुम्हारपदर	–"–	
105	–,,–	–,,–	–"–	दुब्बाटोटा	(30) दुब्बाटोटा	
106	–,,–	–,,–	–"–	फायदागुडा	–"–	
107	–,,–	–,,–	–"–	पुनपल्ली	(31) पुनपल्ली	
108	–,,–	–,,–	–"–	गोंदपल्ली	–,,–	
109	–,,–	–,,–	–"–	नयापारा	(17) एलमागुण्ड़ा	
110	–,,–	–,,–	–"–	नेलवाड़ा	(32) गोंरगुण्डा	
योगः–				8 ग्राम		
111	–,,–	–,,–	16 गोरगुण्ड़ा	गोरगुण्डा	–,,–	
112	–,,–	–,,–	–"–	देवरपल्ली	–"–	
113	–,,–	–,,–	–,,–	पोलमपल्ली	(33) पोलमपल्ली	
114	–,,–	–,,–	–"–	वरदेलपाड़	–"–	
योगः–				4 ग्राम		

98	कोन्टा	कांकेरलंका	11 कांकेरलंका	कांकेरलंका	कांकेरलंका	राजस्व
99	—"—	—"—	—"—	पुसवाड़ा	—"—	राजस्व
100	—"—	—"—	—"—	चिकपल्ली	—"—	राजस्व
योग :–				3		
101	कोन्टा	कांकेरलंका	10 पालामड़गु	कोर्रापाड़	कोर्रापाड़	राजस्व
102	—"—	—"—	—"—	गोडेलगुड़ा	—"—	राजस्व
103	—"—	—"—	—"—	रेंगरायगुड़ा	—"—	राजस्व
104	—"—	—"—	—"—	पालामड़गु	पालामड़गु	राजस्व
105	—"—	—"—	—"—	जगावरम	—"—	राजस्व
योग :–				5		
106	कोन्टा	कांकेरलंका	28 डब्बाकोन्टा	कोलईगुड़ा	डब्बाकोन्टा	राजस्व
107	—"—	—"—	—"—	डब्बाकोन्टा	—"—	राजस्व
108	—"—	—"—	—"—	पिड़मेल	—"—	राजस्व
109	—"—	—"—	—"—	रामाराम	—"—	राजस्व
110	—"—	—"—	—"—	पेन्टापाड़	पेन्टापाड़	राजस्व
111	—"—	—"—	—"—	पामलुर	—"—	राजस्व
112	—"—	—"—	—"—	एन्टापाड़	—"—	राजस्व
113	—"—	—"—	—"—	इतमपाड़	—"—	वनग्राम
114	—"—	—"—	—"—	बड़े केडवाल	—"—	वनग्राम
115	—"—	—"—	—"—	छोटे केडवाल	—"—	वनग्राम

115	कोण्टा	कोण्टा	17 दोरनापाल	दोरनापाल	,शहरी क्षेत्र दोरनापाल	
116	–,,–	–,,–	–"–	कामापेदागुड़ा	–,,–	
117	–,,–	–,,–	–"–	नागलगुण्ड़ा	(34) नागलगुण्ड़ा	
118	–,,–	–,,–	–"–	पेन्टा	–,,–	
119	–,,–	–,,–	–"–	मेडवाही उर्फ तोंगगुडा	(35) मेडवाही	
120	–,,–	–,,–	–"–	अरलमपल्ली	–,,–	
योगः–				6 ग्राम		
121	–,,–	–,,–	18 मनीकोन्टा	आरगट्टा	(36) आरगट्टा	
122	–,,–	–,,–	–"–	मनीकोण्टा	(37) मनीकोण्टा	
123	–,,–	–,,–	–"–	पेदाकुरती	–,,–	
124	–,,–	–,,–	–"–	बिरला	(38) मरईगुड़ा(राजस्व ग्राम)	
योगः–				4 ग्राम		
125	–,,–	–,,–	19 गगनपल्ली	मराईगुडा	–,,–	
126	–,,–	–,,–	–,,–	गगनपल्ली	(39) गगनपल्ली	
127	–,,–	–,,–	–"–	टेटराई	(40) टेटराई	
128	कोण्टा	कोण्टा	–"–	तोलनाई	(40) टेटराई	
योगः–				4 ग्राम		
129	–,,–	–,,–	20 भेज्जी	भेज्जी	(41) भेज्जी	

116	—"—	—"—	—"—	भटपाड़	—"—	वनग्राम
117	—"—	—"—	—"—	सिंगनमड़गु	—"—	वनग्राम
118	—"—	—"—	—"—	करीगुण्डम	—"—	वनग्राम
119	—"—	—"—	—"—	इतराजपाड़	—"—	वनग्राम
	योग :–			14		
120	कोन्टा	दोरनापाल	26 टेटराई	मेड़वाही उर्फ	मेड़वाही	राजस्व
121	—"—	—"—	—"—	अरलमपल्ली	—"—	राजस्व
122	—"—	—"—	—"—	टेटराई	टेटराई	राजस्व
123	—"—	—"—	—"—	तोलनई	—"—	राजस्व
	योग :–			4		
124	कोन्टा	दोरनापाल	16 पोलमपल्ली	गोरगुण्डा	गोरगुण्डा	राजस्व
125	—"—	—"—	—"—	देवरपल्ली	—"—	राजस्व
126	—"—	—"—	—"—	नेलवाड़ा	—"—	राजस्व
127	—"—	—"—	—"—	पोलमपल्ली	पोलमपल्ली	राजस्व
128	—"—	—"—	—"—	वरदेलपाड़ उर्फ तोंगगुड़ा	—"—	राजस्व
			योग :–	5		
129	कोन्टा	दोरनापाल	17 दोरनापाल	दोरनापाल	नगर पंचायत	राजस्व
130	—"—	—"—	—"—	कामापेदागुड़ा	—"—	राजस्व

130	–„–	–„–	–"–	एलारमड़गू	–„–	
131	–„–	–„–	–"–	रेगड़गट्टा	(42) रेगड़गट्टा	
132	–„–	–„–	–"–	मोसलमड़गू	–„–	
133	–„–	–„–	–"–	वीरामट्टी	–„–	
134	–„–	–„–	–"–	गोरखा	(43) कोत्ताचेरू	
135	–„–	–„–	–"–	कोत्ताचेरू	–„–	
136	–„–	–„–	–"–	चिन्तागुफा	–„–	
137	–„–	–„–	–"–	भण्डारपदर	–„–	
138	–„–	–„–	–"–	मुकुड़तोंग	–„–	
139	–„–	–„–	–"–	कोलाईगुड़ा	(21) डब्बाकोन्टा	
	योगः–			11 ग्राम		
140	–„–	–„–	21 एर्राबोर	एर्राबोर	(44) एर्राबोर	
141	–„–	–„–	–"–	राजपेण्टा उर्फ दरभागुड़ा	(45) दरभागुड़ा	
142	–„–	–„–	–"–	लेन्ड्रा	–„–	
143	–„–	–„–	–"–	मुलाकिसोली	(46) मुलाकिसोली	
	योगः–			4 ग्राम		
144	–„–	–„–	22 इंजरम	मेटागुड़ा	–„–	
145	–„–	–„–	–„–	जगारम	–„–	
146	–„–	–„–	–"–	बंजामगुड़ा	–„–	
147	कोण्टा	कोण्टा	–"–	इंजरम	(47) इंजरम	
148	–„–	–„–	–"–	आसीरगुड़ा	–„–	
149	–„–	–„–	–"–	इरपागुड़ा	–„–	

131	—"—	—"—	—"—	नागलगुण्ड़ा	नागलगुण्ड़ा	राजस्व
132	—"—	—"—	—"—	पेन्टा	—"—	राजस्व
			योग :–	4		
133	कोन्टा	दोरनापाल	18 मनीकोण्टा	आरगट्टा	आरगट्टा	राजस्व
134	—"—	—"—	—"—	पेदाकुरती	मनीकोण्टा	राजस्व
135	—"—	—"—	—"—	मनीकोण्टा	—"—	राजस्व
			योग :–	3		
136	कोन्टा	दोरनापाल	19 गगनपल्ली	गगनपल्ली	गगनपल्ली	राजस्व
137	—"—	—"—	—"—	मरईगुड़ा	मरईगुड़ा(रा.)	राजस्व
138	—"—	—"—	—"—	बिरला	—"—	राजस्व
			योग :–	3		राजस्व
139	कोन्टा	कोन्टा	21 एर्राबोर	एर्राबोर	एर्राबोर	राजस्व
			योग :–	1		
140	कोन्टा	कोन्टा	25 दरभागुड़ा	कोत्ताचेरू	कोत्ताचेरू	वनग्राम
141	—"—	—"—	—"—	गोरखा	—"—	राजस्व
142	—"—	—"—	—"—	चिंतागुफा	—"—	राजस्व
143	—"—	—"—	—"—	भण्डारपदर	—"—	वनग्राम
144	—"—	—"—	—"—	मुकुड़तोंग	—"—	वनग्राम
145	—"—	—"—	—"—	दरभागुडा	दरभागुड़ा	राजस्व
146	—"—	—"—	—"—	लेण्ड्रा	—"—	राजस्व
147	—"—	—"—	—"—	एटेगट्टा	—"—	विरान
			योग :–	8		

150	–,,–	–,,–	–''–	पेदाकिसोली	–,,–	
151	–,,–	–,,–	–''–	एटेगट्टा	(45) दरभागुडा	विरान ग्राम
152	–,,–	–,,–	–''–	कामराजपाड़	(38) मरईगुड़ा(राजस व ग्राम)	विरान ग्राम
153	–,,–	–,,–	–''–	गट्टापाड़	(48) पालाचलमा	
154	–,,–	–,,–	–''–	सिंगनपाड	–''–	
155	–,,–	–,,–	–''–	धरमारम	–''–	
156	–,,–	–,,–	–''–	कंकालतोंग	–''–	
157	–,,–	–,,–	–''–	मेटागुड़ा	–''–	
158	–,,–	–,,–	–''–	बुर्कलंका	(49) बुर्कलंका	
159	–,,–	–,,–	–''–	गचनपल्ली	–,,–	
160	–,,–	–,,–	–''–	मैलासुर	–,,–	
161	–,,–	–,,–	–''–	दंतेशपुरम	–,,–	
162	–,,–	–,,–	–''–	बोदराजपदर	–,,–	
163	–,,–	–,,–	–''–	इतराजपाड	–,,–	
164	–,,–	–,,–	–''–	इतमपाड़	(50) बण्डा	
	योग:–			21 ग्राम		
165	–,,–	–,,–	23 बण्ड़ा	बण्डा	–,,–	
166	–,,–	–,,–	–,,–	कन्हईगुड़ा	–''–	
167	–,,–	–,,–	–,,–	कन्हईगुडा उर्फ नेलमेटा	–,,–	विरान ग्राम
168	कोण्टा	कोण्टा	–,,–	नुलकातोंग	(50) बण्डा	
169	–,,–	–,,–	–,,–	उसकावाया	–,,–	
170	–,,–	–,,–	–,,–	मेहता	(51) मेहता	

148	कोन्टा	कोन्टा	20 भेज्जी	भेज्जी	भेज्जी	राजस्व
149	—''—	—''—	—''—	एलारमड़गु	—''—	राजस्व
150	—''—	—''—	—''—	रेगड़गट्टा	रेगड़गट्टा	राजस्व
151	—''—	—''—	—''—	मोसलमड़गु	—''—	राजस्व
152	—''—	—''—	—''—	वीराभट्टी	—''—	राजस्व
			योग :–	5		
153	कोन्टा	मरईगुडा	27 पालाचलमा	पालाचलमा	पालाचलमा	राजस्व
154	—''—	—''—	—''—	आमापेंटा	—''—	राजस्व
155	—''—	—''—	—''—	गट्टापाड़	—''—	वनग्राम
156	—''—	—''—	—''—	गोंदीगुड़ा	—''—	वनग्राम
157	—''—	—''—	—''—	मेट्टागुड़ा	—''—	वनग्राम
158	—''—	—''—	—''—	सिंगनपाड़	—''—	वनग्राम
159	—''—	—''—	—''—	धरमारम	—''—	वनग्राम
160	—''—	—''—	—''—	कंगालतोंग	—''—	वनग्राम
161	—''—	—''—	—''—	बुर्कलंका	बुर्कलंका	राजस्व
162	—''—	—''—	—''—	गच्चनपल्ली	—''—	राजस्व
163	—''—	—''—	—''—	मैलासुर	—''—	राजस्व
164	—''—	—''—	—''—	दन्तेशपुरम	—''—	राजस्व
165	—''—	—''—	—''—	बोदराजपदर	—''—	वनग्राम
योग :–				13		
166	कोन्टा	मरईगुडा	30 किस्टाराम	किस्टाराम	किस्टाराम	राजस्व
167	—''—	—''—	—''—	सुन्नमपेंटा	—''—	राजस्व

171	–„–	–„–	–„–	पुसगुड़ा	–"–		168	—"—	—"—	—"—	मंगलगुड़ा	—"—	राजस्व
172	–„–	–„–	–„–	गोमपाड़	–„–		169	—"—	—"—	—"—	कासाराम	—"—	राजस्व
173	–„–	–„–	–„–	दुरमा	–„–	विरान ग्राम	170	—"—	—"—	—"—	करीगुण्डम	—"—	राजस्व
174	–„–	–„–	–„–	गंगराजपाड़	–„–	विरान ग्राम	171	—"—	—"—	—"—	तिगनपल्ली	—"—	राजस्व
175	–„–	–„–	–„–	नीलामड़गु	–„–		172	—"—	—"—	—"—	अरलापेंटा	—"—	वनग्राम
176	–„–	–„–	–„–	बालेंगतोंग	–„–	विरान ग्राम	173	—"—	—"—	—"—	कुमुदतोंग	—"—	वनग्राम
177	–„–	–„–	–„–	बेलपोच्चा बटेर	–„–		174	—"—	—"—	—"—	धरमापेटा	—"—	राजस्व
178	–„–	–„–	–„–	पीलावाया	–„–		175	—"—	—"—	—"—	पालोड़ी	—"—	वनग्राम
179	–„–	–„–	–„–	दुब्बामरका	(40) टेटराई	विरान ग्राम	176	—"—	—"—	—"—	निमलगुड़ा	—"—	राजस्व
180	–„–	–„–	–„–	कन्हईगुड़ा	(49) बुर्कलंका		177	—"—	—"—	—"—	एरकनगुड़ा	—"—	राजस्व
181	–„–	–„–	–„–	डब्बापाड़ा	(52) सिगाराम		178	—"—	—"—	—"—	टेटेमड़गु	—"—	राजस्व
182	–„–	–„–	–„–	जबेली	—"—		179	—"—	—"—	—"—	तुमालपाड़–1	—"—	राजस्व
	योगः–			18 ग्राम			180	—"—	—"—	—"—	तुमालपाड़–2	—"—	वनग्राम
183	–„–	–„–	24 ढोड़रा	ढोढरा	(53) ढ़ोडरा		181	—"—	—"—	—"—	अर्रेपाड़	—"—	वनग्राम
184	–„–	–„–	–"–	सुन्नमगुड़ा	–"–		182	—"—	—"—	—"—	बुरूमपाड़	—"—	वनग्राम
185	–„–	–„–	–"–	बोजरायगुड़ा	(47) इंजरम		183	—"—	—"—	—"—	जट्टापाड़	—"—	वनग्राम
186	–„–	–„–	–"–	फन्दीगुड़ा	–„–		योग :–				18		
187	–„–	–„–	–"–	वेंक्टापाड़	(50) बण्डा	विरान ग्राम	184	कोन्टा	मरईगुडा	32 मरईगुडा	मरईगुड़ा	मरईगुड़ा	राजस्व
	योगः–			5 ग्राम			185	—"—	—"—	—"—	लिंगनपल्ली	—"—	राजस्व
188	–„–	–„–	25 कोन्टा	मंगलगुड़ा	–„–		186	—"—	—"—	—"—	पुसगुफा	—"—	राजस्व
189	–„–	–„–	–„–	मुरलीगुड़ा	–„–		187	—"—	—"—	—"—	कन्हईगुड़ा	—"—	वनग्राम
190	–„–	–„–	–„–	चिन्ताकोण्टा	(53) ढोंढरा		188	—"—	—"—	—"—	रेगड़गट्टा	—"—	राजस्व

191	–,,–	–,,–	–,,–	कोण्टा	,शहरी क्षेत्र कोन्टा	
192	कोण्टा	कोण्टा	–,,–	वेकंटपूरम	,शहरी क्षेत्र कोन्टा	विरान ग्राम
193	–,,–	–,,–	–"–	पेंटापाड़	(29) पेंटापाड़	
194	–,,–	–,,–	–"–	पामलूर	–"–	
195	–,,–	–,,–	–"–	एण्टापाड़	–"–	
196	–,,–	–,,–	–"–	तुमालपाड़ 1	–"–	
197	–,,–	–,,–	–"–	ऐलमागुड़ा	(17) ऐलमागुण्ड़ा	
198	–,,–	–,,–	–"–	पोटकपल्ली	–,,–	
199	–,,–	–,,–	–"–	करीगुण्डम	–"–	
200	–,,–	–,,–	–"–	पालाचलमा	(48) पालाचलमा	
201	–,,–	–,,–	–"–	आमापेंटा	–"–	
202	कोण्टा	कोण्टा	–"–	कासारम	(54) किस्टाराम	
203	–,,–	–,,–	–,,–	सुन्नमपेंटा	–"–	
204	–,,–	–,,–	–,,–	मंगलगुड़ा	–"–	
205	–,,–	–,,–	–,,–	तिगनपल्ली	–"–	
206	–,,–	–,,–	–,,–	किस्टाराम	–,,–	
207	–,,–	–,,–	–,,–	अरलापेंटा	–"–	
208	–,,–	–,,–	–,,–	कुमुदतोंग	–"–	
209	–,,–	–,,–	–,,–	धरमापेंटा	–"–	
210	–,,–	–,,–	–,,–	टेटेमड़गू	–"–	
211	–,,–	–,,–	–,,–	पालोड़ी	–"–	

189	––"––	––"––	––"––	कोत्तुर	––"––	राजस्व
190	––"––	––"––	––"––	बीरापुरम	––"––	वनग्राम
191	––"––	––"––	––"––	गंगलेर	गंगलेर	राजस्व
192	––"––	––"––	––"––	बंकामड़गु	––"––	राजस्व
193	––"––	––"––	––"––	सोमलगुड़ा	––"––	राजस्व
194	––"––	––"––	––"––	रेड़लापल्ली	––"––	वनग्राम
195	––"––	––"––	––"––	सिंन्दुरगुड़ा	––"––	राजस्व
196	––"––	––"––	––"––	तुंगाबांगू	––"––	वनग्राम
197	––"––	––"––	––"––	पोलमपल्ली	––"––	राजस्व
योग :–				14		
198	कोन्टा	मरईगुडा	31 गोलापल्ली	गोलापल्ली	गोलापल्ली	राजस्व
199	––"––	––"––	––"––	मामड़ीगुड़ा	––"––	राजस्व
200	––"––	––"––	––"––	तारलागुड़ा	––"––	राजस्व
201	––"––	––"––	––"––	भट्टीगुड़ा	––"––	राजस्व
202	––"––	––"––	––"––	तुमालभट्टी	––"––	वनग्राम
203	––"––	––"––	––"––	रामपुरम	––"––	वनग्राम
204	––"––	––"––	––"––	जोनागुड़ा	––"––	वनग्राम
205	––"––	––"––	––"––	भण्डारचलका	––"––	वनग्राम
206	––"––	––"––	––"––	सिगांराम	सिगांराम	राजस्व
207	––"––	––"––	––"––	डब्बापाड़	––"––	वनग्राम
208	––"––	––"––	––"––	वेरमामुंड	––"––	वनग्राम

212	–,,–	–,,–	–,,–	निमलगुड़ा	–"–	
213	कोण्टा	कोण्टा	–,,–	एलकनगुड़ा	(54) किस्टाराम	
214	–,,–	–,,–	–,,–	अर्रेपाड़	–"–	
215	–,,–	–,,–	–,,–	बोरूंगपाड़	–"–	
216	–,,–	–,,–	–,,–	जट्टापाड़	–"–	
217	–,,–	–,,–	–,,–	गुदराजपाड	(16) दुलेड	
218	–,,–	–,,–	–,,–	सिंगारम	(52) सिंगारम	
219	–,,–	–,,–	–"–	तुमालपाड़ 2	–"–	
220	–,,–	–,,–	–,,–	कोराजगुड़ा	–,,–	
221	–,,–	–,,–	–,,–	बेरमामुड	–,,–	
222	–,,–	–,,–	–,,–	रासातोंग	–"–	
223	–,,–	–,,–	–,,–	मोसलमड़गू	–"–	
224	–,,–	–,,–	–,,–	वंजलवाही	–"–	
225	–,,–	–,,–	–,,–	गोंदीगुड़ा उर्फ कन्हईगुडा	–"–	
226	–,,–	–,,–	–,,–	गोलापल्ली	(55) गोलापल्ली	
227	–,,–	–,,–	–,,–	मामडीगुडा	–"–	
228	कोण्टा	कोण्टा	–,,–	तारलागुड़ा	(55) गोलापल्ली	
229	–,,–	–,,–	–,,–	भट्टीगुड़ा	–"–	
230	–,,–	–,,–	–,,–	तुमालभट्टी	–"–	
231	–,,–	–,,–	–,,–	रामपुरम	–"–	
232	–,,–	–,,–	–,,–	भण्डारचलका	–"–	

209	—"—	—"—	—"—	कन्हईगुड़ा	—"—	वनग्राम
210	—"—	—"—	—"—	कोराजगुड़ा	—"—	राजस्व
211	—"—	—"—	—"—	जबेली	—"—	राजस्व
212	—"—	—"—	—"—	रासातोंग	—"—	राजस्व
213	—"—	—"—	—"—	वंजलवाही	—"—	राजस्व
214	—"—	—"—	—"—	मोसलमड़गु	—"—	राजस्व
			योग :–	17		
215	कोन्टा	कोन्टा	23 बण्डा	बण्डा	बण्डा	राजस्व
216	—"—	—"—	—"—	मंगलगुड़ा	—"—	राजस्व
217	—"—	—"—	—"—	मुरलीगुड़ा	—"—	राजस्व
218	—"—	—"—	—"—	कन्हईगुड़ा	—"—	राजस्व
219	—"—	—"—	—"—	नुल्कातोंग	—"—	राजस्व
220	—"—	—"—	—"—	उसकावाया	—"—	राजस्व
221	—"—	—"—	—"—	कन्हईगुड़ा उर्फ नेलमेटा	—"—	राजस्व
222	—"—	—"—	—"—	मेहता	मेहता	राजस्व
223	—"—	—"—	—"—	पुसगुड़ा	—"—	राजस्व
224	—"—	—"—	—"—	दुरमा	—"—	राजस्व
225	—"—	—"—	—"—	नीलामड़गु	—"—	राजस्व
226	—"—	—"—	—"—	बालेंगतोंग	—"—	राजस्व
227	—"—	—"—	—"—	गंगराजपाड़	—"—	राजस्व
228	—"—	—"—	—"—	बेलपोचा बटेर	—"—	वनग्राम

233	–„–	–„–	–„–	जोनागुड़ा	(40) टेटराई	
234	–„–	–„–	–„–	गंगलेर	(56) गंगलेर	
235	–„–	–„–	–„–	बंकामड़गू	–„–	
236	–„–	–„–	–„–	पोटेभंगी	–„–	
237	–„–	–„–	–„–	रेडलापल्ली	–„–	
238	–„–	–„–	–„–	पोलमपल्ली	–„–	
239	–„–	–„–	–„–	सिदुरगुड़ा	–„–	
240	–„–	–„–	–„–	तुगाबांगू	–„–	
241	–„–	–„–	–„–	सोमलगुड़ा	–"–	
242	–„–	–„–	–„–	मरईगुड़ा	(57) मरईगुड़ा(वन ग्राम)	
243	कोण्टा	कोण्टा	–„–	लिंगनपल्ली	(57) मरईगुड़ा(वन ग्राम)	
244	–„–	–„–	–„–	रेगड़गट्टा	–"–	
245	–„–	–„–	–„–	पुसगुफा.	–„–	
246	–„–	–„–	–„–	कोत्तुर	–„–	
247	–„–	–„–	–„–	वीरापुरम	–„–	
248	–„–	–„–	–„–	कन्हईगुडा	–„–	
	योगः–			61 ग्राम		

229	—"—	—"—	—"—	गोमपाड़	—"—	राजस्व
230	—"—	—"—	—"—	पीलावाया	—"—	वनग्राम
231	—"—	—"—	—"—	दुब्बामरका	—"—	विरान
			योग :–	17		
232	कोन्टा	कोन्टा	22 इंजरम	इंजरम	इंजरम	राजस्व
233	—"—	—"—	—"—	आसीरगुड़ा	—"—	राजस्व
234	—"—	—"—	—"—	कामराजपाड़	—"—	राजस्व
235	—"—	—"—	—"—	फन्दीगुड़ा	—"—	राजस्व
236	—"—	—"—	—"—	इरपागुड़ा	—"—	राजस्व
237	—"—	—"—	—"—	पेदाकिसोली	—"—	राजस्व
238	—"—	—"—	—"—	मुलाकिसोली	मुलाकिसोली	राजस्व
239	—"—	—"—	—"—	मेटागुड़ा	—"—	राजस्व
240	—"—	—"—	—"—	बंजामगुड़ा	—"—	राजस्व
241	—"—	—"—	—"—	जगावरम	—"—	राजस्व
			योग :–	10		
242	कोन्टा	कोन्टा	24 कोन्टा	कोन्टा	नगर पंचायत	राजस्व
243	—"—	—"—	—"—	वेंकटपुरम	—"—	राजस्व
244	—"—	—"—	—"—	ढोण्ढरा	ढोण्ढरा	राजस्व
245	—"—	—"—	—"—	सुन्नमगुड़ा	—"—	राजस्व
246	—"—	—"—	—"—	चिन्ताकोण्टा	—"—	राजस्व
247	—"—	—"—	—"—	वेंकटापाड	—"—	विरान
248	—"—	—"—	—"—	बोजरायगुड़ा	—"—	राजस्व
			योग :–	7		
	महायोग :–			248 ग्राम		

स.क.	तहसील का नाम	रा.नि.म. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय ग्राम की नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	विरान और डुबान ग्राम का नाम	स.क.	तहसील का नाम	रा.नि.म. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय ग्राम की नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	विरान और डुबान ग्राम का नाम
तहसील छिन्दगढ़							तहसील छिन्दगढ़						
54	छिन्दगढ़	तोंगपाल	1 कुन्ना	कुन्ना	कुन्ना		1	छिन्दगढ़	तोंगपाल	1. कुन्ना	कुन्ना	कुन्ना	राजस्व
55	–,,–	–,,–	–,,–	धनीकोड़ता	–,,–		2	––''––	––''––	––''––	धनीकोड़ता	––''––	राजस्व
		योगः–		2 ग्राम			योग :–				02		
56	–,,–	–,,–	2 डब्बा	डब्बा	डब्बा		3	छिन्दगढ़	तोंगपाल	2. डब्बा	डब्बा	डब्बा	राजस्व
57	–,,–	–,,–	–,,–	पुसगुन्ना	पुसगुन्ना		4	––''––	––''––	––''––	पुसगुन्ना	पुसगुन्ना	राजस्व
		योगः–		2 ग्राम			योग :–				02		
58	–,,–	–,,–	3 कुन्दनपाल	चुलेरास	–,,–		5	छिन्दगढ़	तोंगपाल	3. कुन्दनपाल	कुन्दनपाल	कुन्दनपाल	राजस्व
59	–,,–	–,,–	–,,–	कुन्दनपाल	कुन्दनपाल		6	––''––	––''––	––''––	फदीवार	––''––	राजस्व
60	–,,–	–,,–	–,,–	फंदीवार	–,,–		7	––''––	––''––	––''––	चुलेरास	पुसगुन्ना	राजस्व
61	–,,–	–,,–	–,,–	डोलेरास	डोलेरास		8	––''––	––''––	––''––	डोलेरास	डोलेरास	राजस्व
		योगः–		4 ग्राम						योग :–	04		
62	–,,–	–,,–	4 मिचवार	मिचवार	मिचवार		9	छिन्दगढ़	तोंगपाल	4. मिचवार	मिचवार	मिचवार	राजस्व
63	–,,–	–,,–	–,,–	गरीपाल	–,,–		10	––''––	––''––	––''––	गरीपाल	––''––	राजस्व
		योगः–		2 ग्राम			योग :–				02		
64	–,,–	–,,–	5 गोरली	गोरली	गोरली		11	छिन्दगढ़	तोंगपाल	5.गोरली	गोरली	गोरली	राजस्व
65	–,,–	–,,–	–,,–	नयानार	–,,–		12	––''––	––''––	––''––	नयानार	––''––	राजस्व
		योगः–		2 ग्राम						योग :–	02		
66	–,,–	–,,–	6 पेन्दलार	इरपा	डोलेरास		13	छिन्दगढ़	तोंगपाल	6. पेंदलनार	पेंदलनार	पेंदलनार	राजस्व
67	–,,–	–,,–	–,,–	मुण्डुम	–,,–		14	––''––	––''––	––''––	मुठेली	––''––	राजस्व
68	–,,–	–,,–	–,,–	केरातोंग	केरातोंग		15	––''––	––''––	––''––	इत्तागुफा	––''––	राजस्व

69	–„–	–„–	–„–	महिमा	–„–	
70	–„–	–„–	–„–	पेदंलनार	पेदंलनार	
71	–„–	–„–	–„–	इतागुफा	–„–	
72	–„–	–„–	–„–	रासावाया	–„–	
73	–„–	–„–	–„–	मुठेली		
	योगः–			8 ग्राम		
74	–„–	–„–	13 पालेम	कावराकोपा	कावराकोपा	
75	–„–	–„–	–„–	सगुनघाट	–„–	
76	–„–	–„–	–„–	· पालेम	पालेम	
77	–„–	–„–	–„–	साडरापाल	–"–	
	योगः–			4 ग्राम		
78	–„–	–„–	14 हमीरगढ़	पेरमारास	पेरमारास	
79	–„–	–„–	–„–	लिटिरास	–„–	
80	–„–	–„–	–„–	मारेंगा	मारेंगा	
81	–„–	–„–	–„–	हमीरगढ़	हमीरगढ़	
82	छिन्दगढ़	तोंगपाल	–„–	जैमेर	हमीरगढ़	
	योगः–			5 ग्राम		
83	–„–	–„–	15 तोंगपाल	चिड़पाल	चिड़पाल	
84	–„–	–„–	–„–	कोकालपाल	–„–	
85	–„–	–„–	–„–	तोंगपाल	तोंगपाल	
86	–„–	–„–	–„–	लेदा	लेदा	
	योगः–			4 ग्राम		
87	–„–	–„–	16 चिन्तलना	कुमाकोलेंग	कुमाकोलेंग	
88	–„–	–„–	–„–	चिउरवाड़ा	चिउरवाड़ा	
89	–„–	–„–	–„–	बाढ़नपाल	–„–	
90	–„–	–„–	–„–	चितलनार	चितलनार	
91	–„–	–„–	–„–	मुण्डवाल	–„–	
	योगः–			5 ग्राम		

16	—"—	—"—	—"—	इरपा	डोलेरास	राजस्व
17	—"—	—"—	—"—	रासावाया	पेंदलनार	राजस्व
18	—"—	—"—	—"—	मुन्डुम	डोलेरास	राजस्व
19	—"—	—"—	—"—	केरातोंग	केरातोंग	राजस्व
20	—"—	—"—	—"—	महिमा	—"—	राजस्व
			योग :–	08		
21	छिन्दगढ़	तोंगपाल	21. कुकानार	कुकानार	कुकानार	राजस्व
22	—"—	—"—	—"—	बडे गुरवे	—"—	राजस्व
23	—"—	—"—	—"—	छोटे गुरवे	—"—	राजस्व
			योग :–	03		
24	छिन्दगढ़	तोंगपाल	13 पालेम	पालेम	पालेम	राजस्व
25	—"—	—"—	—"—	साडरापाल	—"—	राजस्व
26	—"—	—"—	—"—	कावराकोपा	कावराकोपा	राजस्व
27	—"—	—"—	—"—	सगुनघाट	—"—	राजस्व
			योग :–	04		
28	छिन्दगढ़	तोंगपाल	14 हमीरगढ़	हमीरगढ़	हमीरगढ़	राजस्व
29	—"—	—"—	—"—	लिटीरास	पेरमारास	राजस्व
31	—"—	—"—	—"—	पेरमारास	पेरमारास	राजस्व
32	—"—	—"—	—"—	जैमेर	हमीरगढ़	राजस्व
			योग :–	05		
33	छिन्दगढ़	तोंगपाल	23 टाहकवाडा	ऐलेगंनार	कनकापाल	राजस्व
34	—"—	—"—	—"—	कनकापाल	—	राजस्व
35	—"—	—"—	—"—	टाहकवाड़ा	टाहकवाड़ा	राजस्व
36	—"—	—"—	—"—	जुनापानी		राजस्व
37	—"—	—"—	—"—	बैनपाल		राजस्व
			योग :–	05		
38	छिन्दगढ़	तोंगपाल	15. तोंगपाल	तोंगपाल	तोंगपाल	राजस्व
				मारेंगा	मारेंगा	राजस्व

92	–,,–	–,,–	15 टाहकवाड़ा	एलंगनार	कनकापाल		39	––''––	––''––	25. लेदा	कोकालपाल	चिडपाल	राजस्व
93	–,,–	–,,–	–,,–	कनकापाल	–,,–		40	––''––	––''––	––''––	चिडपाल	चिडपाल	राजस्व
94	–,,–	–,,–	–,,–	टाहकवाड़ा	टाहकवाड़ा		41	––''––	––''––	––''––	लेदा	लेदा	राजस्व
95	–,,–	–,,–	–,,–	बेंगपाल	–,,–					योग :–			राजस्व
96	–,,–	–,,–	–,,–	जुनापानी	–,,–		42	छिन्दगढ़	तोंगपाल	22 कोडरीपाल	कोडरीपाल	कोडरीपाल	राजस्व
	योगः–			5 ग्राम			43	––''––	––''––	––''––	इड़जेपाल	इड़जेपाल	राजस्व
97	–,,–	–,,–	17 कोकावाड़	कोकावाड़ा	कोकावाड़ा		44	––''––	––''––	––''––	गाड़मरास	––''––	राजस्व
98	–,,–	–,,–	–,,–	जांगड़पाड़	–,,–					योग :–	03		
99	–,,–	–,,–	–,,–	सौतनार	सौतनार		45	छिन्दगढ़	तोंगपाल	24 कोकावाडा	कोकावाड़ा	कोकावाड़ा	राजस्व
	योगः–			3 ग्राम			46	––''––	––''––	––''––	जांगड़पाल	––''––	राजस्व
100	–,,–	–,,–	18 कोड़रीपाल	कोड़रीपाल	कोड़रीपाल		47	––''––	––''––	––''––	सौतनार	सौतनार	राजस्व
101	–,,–	–,,–	–,,–	इड़जेपाल	इड़जेपाल					योग :–	03		
102	–,,–	–,,–	–,,–	गाडमरास	–,,–		48	छिन्दगढ़	तोंगपाल	16. चितलनार	कुमाकोलेंग	कुमाकोलेंग	राजस्व
	योगः–			3 ग्राम			49	––''––	––''––	––''––	चिऊरवाड़ा	चिऊरवाड़ा	राजस्व
103	–,,–	–,,–	19 कुकानार	कुकानार	कुकानार		50	––''––	––''––	––''––	चितलनार	चितलनार	राजस्व
104	–,,–	–,,–	–,,–	बड़ेगुरवे	–,,–		51	––''––	––''––	––''––	बाढ़नपाल	चिऊरवाड़ा	राजस्व
105	–,,–	–,,–	–,,–	छोटेगुरवे	–,,–		52	––''––	––''––	––''––	मुण्डवाल	चितलनार	राजस्व
	योगः–			3 ग्राम						योग :–	05		
106	छिन्दगढ	छिन्दगढ	7 पोन्दुम	अतकारीरास	अतकारीरास		53	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	17 पुसपाल	पुसपाल	पुसपाल	राजस्व
107	–,,–	–,,–	–,,–	भण्डाररास	–''–		54	––''––	––''––	––''––	किन्दरवाड़ा	किन्दरवाडा	राजस्व
108	–,,–	–,,–	–,,–	पोंदुम	पोंदुम		55	––''––	––''––	––''––	सुर्रेपाल	––''––	राजस्व
109	–,,–	–,,–	–,,–	चौपेल	–,,–		56	––''––	––''––	––''––	मेखावाया उर्फ भोपावाड़ा	मेखावाया	राजस्व
	योगः–			4 ग्राम						योग :–	04		

110	–,,–	–,,–	8 बिरसठपाल	कांजीपानी	कांजीपानी	
111	–,,–	–,,–	–,,–	बिरसठपाल	बिरसठपाल	
112	–,,–	–,,–	–,,–	रतिनाइकरास	–,,–	
113	–,,–	–,,–	–,,–	हिकमिरास	–,,–	
114	–,,–	–,,–	–,,–	मुर्रेपाल	मुर्रेपाल	
	योगः–			5 ग्राम		
115	–,,–	–,,–	9 पाकेला	राजामुण्डा	राजामुण्डा	
116	–,,–	–,,–	–,,–	उदलातरई	–,,–	
117	–,,–	–,,–	–,,–	चिपुरपाल	चिपुरपाल	
118	–,,–	–,,–	–,,–	चिकारास	–,,–	
119	–,,–	–,,–	–,,–	पाकेला	पाकेला	
	योगः–			5 ग्राम		
120	–,,–	–,,–	10 रोकेल	रोकेल	रोकेल	
121	–,,–	–,,–	–,,–	अंदुमपाल	–"–	
122	–,,–	–,,–	–,,–	बकुलाघाट	बकुलघाट	
123	–,,–	–,,–	–,,–	रेड्डीपाल	–,,–	
	योगः–			4 ग्राम		
124	–,,–	–,,–	11 छिन्दगढ़	गुडरा	गुडरा	
125	–,,–	–,,–	–,,–	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	
126	–,,–	–,,–	–,,–	धोबनपाल	धोबनपाल	
127	–,,–	–,,–	–,,–	पुजारीपाल	–,,–	
	योगः–			4 ग्राम		
128	–,,–	–,,–	12 उरमापाल	उरमापाल	उरमापाल	
129	–,,–	–,,–	–,,–	पतिनाइकरास	पतिनाइकरास	
130	छिन्दगढ	छिन्दगढ	–,,–	छुर्रागट्टा	पतिनाइकरास	

57	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	12 उरमापाल	उरमापाल	उरमापाल	राजस्व
58	–"–	–"–	–"–	पतिनाईकरास	पतिनाईकरास	राजस्व
59	–"–	–"–	–"–	छुर्रागट्टा	पतिनाईकरास	राजस्व
			योग :–	03		
60	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	10 रोकेल	रोकेल	राकेल	राजस्व
61	–"–	–"–	–"–	बकुलाघाट	बकुलाघाट	राजस्व
62	–"–	–"–	–"–	रेड्डीपाल	कांजीपानी	राजस्व
63	–"–	–"–	–"–	अन्दुमपाल	केरातोंग	राजस्व
			योग :–	04		
64	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	7 पोन्दुम	पोन्दुम	पोन्दुम	राजस्व
65	–"–	–"–	–"–	अतकारीरास	अतकारीरास	राजस्व
66	–"–	–"–	–"–	भण्डाररास	–"–	राजस्व
			योग :–	04		
67	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	8 बिरसठपाल	बिरसठपाल	बिरसठपाल	राजस्व
68	–"–	–"–	–"–	कांजीपानी	कांजीपानी	राजस्व
69	–"–	–"–	–"–	रतिनाईकरास	कांजीपानी	राजस्व
70	–"–	–"–	–"–	चौपेल	मुर्रेपाल	राजस्व
71	–"–	–"–	–"–	मुर्रेपाल	मुर्रेपाल	राजस्व
72	–"–	–"–	–"–	हिकमीरास	चिपुरपाल	राजस्व
योग :–				06		
73	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	9 पाकेला	पाकेला	पाकेला	राजस्व
74	–"–	–"–	–"–	चिपुरपाल	चिपुरपाल	राजस्व
75	–"–	–"–	–"–	चिकारास	चिपुरपाल	राजस्व
76	–"–	–"–	–"–	राजामुण्डा	राजामुण्डा	राजस्व
77	–"–	–"–	–"–	उदलातरई	राजामुण्डा	राजस्व

योगः–				3 ग्राम		
131	–,,–	–,,–	17 पुसपाल	किंदरवाडा	किंदरवाडा	
132	–,,–	–,,–	–,,–	सुर्रपाल	–,,–	
133	–,,–	–,,–	–,,–	पुसपाल	पुसपाल	
134	–,,–	–,,–	–,,–	मेखावाया	मेखावाया	
योगः–				4 ग्राम		
135	–,,–	–,,–	18 किकिरपाल	ओलेर	ओलेर	
136	–,,–	–,,–	–,,–	किकिरपाल	किकिरपाल	
137	–,,–	–,,–	–,,–	तुमकपाल	–,,–	
138	–,,–	–,,–	–,,–	नेतानार	नेतानार	
139	–,,–	–,,–	–,,–	जंगमपाल	–,,–	
योगः–				5 ग्राम		
140	–,,–	–,,–	19 तालनार	गुम्मा	गुम्मा	
141	–,,–	–,,–	–,,–	तालनार	तालनार	
142	–,,–	–,,–	–,,–	सीतापाल	–,,–	
योगः–				3 ग्राम		
143	–,,–	–,,–	20 गंजेनार	कोडरीपाल	कोडरीपाल	
144	–,,–	–,,–	–,,–	कवासीरास	कवासीरास	
145	–,,–	–,,–	–,,–	गंजेनार	गंजेनार	
योगः–				3 ग्राम		
महायोग				92 ग्राम		
स.क.	तहसील का नाम	रा.नि.म. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय ग्राम की नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	विरान और डुबान ग्राम का नाम
1	सुकमा	गादीरास	1 चिंगावरम	चिंगावरम	चिंगावरम	

				योग :–	05		
78	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	11 छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	छिन्दगढ	राजस्व
79	—"—	—"—	—"—	गुडरा	गुडरा	राजस्व
80	—"—	—"—	—"—	धोबनपाल	धोबनपाल	राजस्व
81	—"—	—"—	—"—	पुजारीपाल	छिन्दगढ	राजस्व
			योग :–	04		
82	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	20 गंजेनार	गंजेनार	गंजेनार	राजस्व
83	—"—	—"—	—"—	कवासीरास	कवासीरास	राजस्व
84	—"—	—"—	—"—	कोडरीपाल	कोडरीपाल	राजस्व
			योग :–	03		
85	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	19 तालनार	तालनार	तालनार	राजस्व
86	—"—	—"—	—"—	गुम्मा	गुम्मा	राजस्व
87	—"—	—"—	—"—	सीतापाल	ओलेर	राजस्व
			योग :–	03		
88	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	18 किकिरपाल	किकिरपाल	किकिरपाल	राजस्व
89	—"—	—"—	—"—	तुमकपाल	किकिरपाल	राजस्व
90	—"—	—"—	26 ओलेर	ओलेर	ओलेर	राजस्व
91	—"—	—"—	—"—	नेतानार	नेतानार	राजस्व
92	—"—	—"—	—"—	जंगमपाल	नेतानार	राजस्व
			योग :–	05		
			महायोग :–	92 ग्राम		
स.क.	तहसील का नाम	रा.नि.म. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय ग्राम की नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	विरान और डुबान ग्राम का नाम
1	सुकमा	गादीरास	1. चिगावरम	चिंगावरम	चिंगावरम	राजस्व

2	–,,–	–,,–	–,,–	मुरकी	–,,–		2	––"––			मुरकी	––"––	राजस्व
3	–,,–	–,,–	–,,–	मारोकी	मारोकी		3	सुकमा	गादीरास	18 मारोकी	मारोकी	मारोकी	राजस्व
4	–,,–	–,,–	2 कोर्रा	कोर्रा	कोर्रा		4	सुकमा	गादीरास	2 कोर्रा	कोर्रा	कोर्रा	राजस्व
5	–,,–	–,,–	3सोनाकुकानार	सोनाकुकानार	सोनाकुकानार		5	सुकमा	गादीरास	3 सोनाकुकानार	सोनाकुकानार	सोनाकुकानार	राजस्व
6	–,,–	–,,–	–,,–	डोडपाल	डोडपाल		6	सुकमा	गादीरास	19 ढोढपाल	ढोढपाल	डोडपाल	राजस्व
7	–,,–	–,,–	–,,–	तोंगरास	–,,–		7	––"––			तोंगरास	––"––	राजस्व
8	–,,–	–,,–	4 गादीरास	गादीरास	गादीरास		8	सुकमा	गादीरास	4 गादीरास	गादीरास	गादीरास	राजस्व
9	–,,–	–,,–	–,,–	नागारास	नागारास		9	सुकमा	गादीरास	20 नागारास	नागारास	नागारास	राजस्व
10	–,,–	–,,–	–,,–	डांडाबाड़ी	–,,–		10	––"––			डांडाबाडी	––"––	राजस्व
11	–,,–	–,,–	5 कोंडरे	कोंडरे	कोंडरे		11	सुकमा	केरलापाल	5 कोंडरे	कोंडरे	कोंडरे	राजस्व.
12	–,,–	–,,–	–,,–	बोड़को	बोड़को		12	––"––			बोडको	बोडकों	राजस्व
13	–,,–	–,,–	–,,–	पलिया	–,,–		13	––"––			पलिया	––"––	राजस्व
14	–,,–	–,,–	6 मानकापाल	मानकापाल	मानकापाल		14	सुकमा	केरलापाल	6 मानकापाल	मानकापाल	मानकापाल	राजस्व
15	–,,–	–,,–	–,,–	परिया	–,,–		15	––"––			परिया	––"––	राजस्व
16	–,,–	–,,–	–,,–	गुफड़ी	गुफड़ी		16	––"––			गुफडी	गुफडी	राजस्व
17	–,,–	–,,–	–,,–	पोरदेम	पोरदेम		17	सुकमा	केरलापाल	21 पोरदेम	पोरदेम	पोरदेम	राजस्व
18	–,,–	–,,–	–,,–	चिरमुर	–,,–		18	––"––			चिरमर	––"––	राजस्व
19	–,,–	–,,–	–,,–	निलावाया	–,,–		19	––"––			नीलावाया	––"––	राजस्व
20	–,,–	–,,–	7 गोंदपल्ली	गोंदपल्ली	गोंदपल्ली		20	सुकमा	केरलापाल	7 गोंदपल्ली	गोंदपल्ली	गोंदपल्ली	राजस्व
21	–,,–	–,,–	–,,–	गोड़ेरास	गोड़ेरास		21	––"––			गोडेरास	गोडेरास	राजस्व
22	–,,–	–,,–	–,,–	पुजारीपाल	–,,–		22	––"––			पुजारीपाल	––"––	राजस्व
23	–,,–	–,,–	8 बड़ेसट्टी	बड़ेसट्टी	बड़ेसट्टी		23	सुकमा	केरलापाल	8 बडेसट्टी	बडेसट्टी	बडेसट्टी	राजस्व

24	सुकमा	सुकमा	9 सिरसट्टी	सिरसट्टी	सिरसट्टी	
25	–"–	–"–	–"–	पोगाभेजी	पोगाभेजी	
26	–"–	–"–	10 कोयाबेकुर	फुलबगड़ी	फुलबगड़ी	
27	–"–	–"–	–"–	कोयाबेकुर	कोयाबेकुर	
28	–"–	–"–	–"–	गोलाबेकूर	–"–	
29	–"–	–"–	11 मुरतोण्ड़ा	मुरतोण्ड़ा	मुरतोण्ड़ा	
30	–"–	–"–	–"–	नीलावरम	नीलावरम	
31	–"–	–"–	–"–	चिचोरगुड़ा	–"–	
32	–"–	–"–	–"–	कोननगुड़ा	–"–	
33	–"–	–"–	12 जीरमपाल	जिरमपाल	जिरमपाल	
34	–"–	–"–	–"–	रामपुरम	रामपुरम	
35	–"–	–"–	–"–	गीदम	–"–	
36	–"–	–"–	13 सुकमा	सुकमा	,शहरी क्षेत्र सुकमा	
37	–"–	–"–	14 बुड़दी	बुड़दी	बुड़दी	
38	–"–	–"–	–"–	भेलवापाल	भेलवापाल	
39	–"–	–"–	–"–	जोरूतोंग	–"–	
40	–"–	–"–	15 झापरा	झापरा	झापरा	
41	–"–	–"–	–"–	मुलागुड़ा	–"–	
42	–"–	–"–	–"–	पुसपल्ली	पुसपल्ली	
43	–"–	–"–	–"–	कुड़ुकरास	–"–	
44	–"–	–"–	–"–	मंगीपाल	–"–	
45	–"–	–"–	–"–	कोसाबंदर	–"–	

24	सुकमा	केरलापाल	9 सिरसट्टी	सिरसट्टी	सिरसट्टी	राजस्व
25	—"—			पोगाभेजी	पोगाोजी	राजस्व
26	सुकमा	केरलापाल	10 कोयाबेकुर	कायाबेकुर	कोयाबेकुर	राजस्व
27	—"—			फुलबगडी	फुलबगडी	राजस्व
28	—"—			गोलाबेकुर	कोयाबेकुर	राजस्व
29	सुकमा	सुकमा	11 मुरतोंडा	मुरतोंडा	मुरतोण्ड़ा	राजस्व
30	—"—			नीलावरम	नीलावरम	राजस्व
31	—"—			चिचोरगुडा	–"–	राजस्व
32	—"—			कोननगुडा	–"–	राजस्व
33	सुकमा	गादीरास	12 जीरमपाल	जीरमपाल	जिरमपाल	राजस्व
34	सुकमा	गादीरास	22 रामपुरम	रामपुरम	रामपुरम	राजस्व
35	—"—			गीदम	–"–	राजस्व
36	सुकमा	सुकमा	13 सुकमा	सुकमा	,शहरी क्षेत्र सुकमा	राजस्व
37	सुकमा	सुकमा	14 बुडदी	बुडदी	बुड़दी	राजस्व
38	सुकमा	सुकमा	23 भेलवापाल	भेलवापाल	भेलवापाल	राजस्व
39	—"—			जोरूतोंग	–"–	राजस्व
40	सुकमा	सुकमा	15 झापरा	झापरा	झापरा	राजस्व
41				मुलागुंडा	–"–	राजस्व
42	सुकमा	सुकमा	24 पुसपल्ली	पुसपल्ली	पुसपल्ली	राजस्व
43	—"—			कुडुकरास	–"–	राजस्व
44	—"—			मंगीपाल	–"–	राजस्व
45	—"—			कोसाबंदर	–"–	राजस्व

46	–„–	–„–	16 रामाराम	रामाराम	रामाराम		46	सुकमा	केरलापाल	16 रामाराम	रामाराम	रामाराम	राजस्व
47	–„–	–„–	–„–	कुड़केल	–„–		47	––"––			कुडकेल	–„–	राजस्व
48	–„–	–„–	–„–	गोंगला	गोंगला		48	––"––			नाडीगुफा	गोंगला	राजस्व
49	–„–	–„–	–„–	बोरगुड़ा	–„–		49	सुकमा	सुकमा	25 गोंगला	गोंगला	–„–	राजस्व
50	–„–	–„–	–„–	तेलावर्ती	–„–		50	––"––			बोरगुडा	–„–	राजस्व
51	सुकमा	सुकमा	–„–	नाड़ीगुफा उर्फ पातासुकमा	गोंगला		51	––"––			तेलावर्ती	गोंगला	राजस्व
52	–„–	–„–	17 केरलापाल	केरलापाल	केरलापाल		52	सुकमा	केरलापाल	17 केरलापाल	केरलापाल	केरलापाल	राजस्व
53	–„–	–„–	–„–	चिकपाल	चिकपाल		53	––"––			चिकपाल	चिकपाल	राजस्व
याग				53 ग्राम			योग :–				53 ग्राम		
महायोग:– 393 ग्राम													

नीरज कुमार बनसोड,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1055/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-जांजगीर के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर	1 सिवनी	सिवनी	सिवनी	884.590
2.		—,,—	पाली	पाली	770.268
3.		2 सरखो	सरखो	सरखो	1299.537
4.		3 तेंदुभांठा	तेंदुभांठा	तेंदुभाठा	481.877
5.		—,,—	करमंदी	करमंदी	236.122
6.		4 मड़वा	मड़वा	मड़वा	441.704
7.		—,,—	बसंतपुर	बसंतपुर	329.232
8.		5 लछनपुर	लछनपुर	लछनपुर	402.928
9.		—,,—	कुदरी	कुदरी	134.746
10.		—,,—	घुठिया	—,,—	236.912
11.		6 खोखसा	खोखसा	खोखसा	661.781
12.		—,,—	खैरा	—,,—	228.199
13.		—,,—	कुलीपोटा	कुलीपोटा	301.531
14.		—,,—	दर्राभांठा	—,,—	80.563
15.		7 नैला	नैला	न.पा. जांजगीर-नैला	480.100
16.		—,,—	कन्हई बंद	कन्हई बंद	445.075
17.		8 बोड़सरा	बोड़सरा	बोड़सरा	844.467
18.		—,,—	मरकाडीह	मरकाडीह	185.251
19.		9 बनारी	बनारी	बनारी	958.492
20.		—,,—	हाथीटिकरा	हाथीटिकरा	246.920
21.		10 जांजगीर	जांजगीर	न.पा.जांजगीर-नैला	1455.537
22.		11 बिरगहनी (च)	बिरगहनी (च)	बिरगहनी (च)	680.284
23.		—,,—	जर्वे (च)	जर्वे (च)	586.621
24.		12 पिसौद	पिसौद	पिसौद	687.906
25.		—,,—	उदेबंद	उदेबंद	335.969
26.		—,,—	देवरहा	—,,—	183.672
27.		13 पिथमपुर	पिथमपुर	पिथमपुर	498.428
28.		—,,—	अकलतरी	अकलतरी	290.468
29.		—,,—	गांडापाली	—,,—	168.035
30.		14 गौद	गौद	गौद	608.436
31.		—,,—	कनाई	कनाई	202.903
32.		—,,—	नवापारा	—,,—	149.866
33.		15 पेन्डरी	पेन्डरी	पेन्डरी	594.516
34.		16 खोखरा	खोखरा	खोखरा	1496.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.		17 पुटपुरा	पुटपुरा	पुटपुरा	726.113
36.		—,,—	धाराशिव	धाराशिव	737.024
37.		18 मेहदा	मेहदा	मेहदा	537.562
38.		—,,—	सेवई	सेवई	339.014
39.		—,,—	कुटरा	कुटरा	569.398
40.		19 भड़ेसर	भड़ेसर	भड़ेसर	711.403
41.		—,,—	धनेली	धनेली	344.235
42.		20 सुकली	सुकली	सुकली	699.118
43.		—,,—	मुन्नुद	मुन्नुद	543.352
44.		21 धुरकोट	धुरकोट	धुरकोट	1176.894
45.		—,,—	पचेड़ा	पचेड़ा	402.778
46.		22 भैंसदा	भैंसदा	भैंसदा	562.586
47.		—,,—	मौंहाडीह	मौंहाडीह	184.319
48.		—,,—	कसौंदी	—,,—	211.245
49.		23 अमोदा	अमोदा	अमोदा	668.682
50.		—,,—	नवापारा	नवापारा	331.040
51.		—,,—	भादा	—,,—	383.843
52.		—,,—	केवा	—,,—	229.199
		योग	**52**	**41 पं. 1 न. पा.**	**26946.766**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1056/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-अकलतरा के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अकलतरा	1 सोनादुला	सोनादुला	सोनादुला	235.722
2.		—,,—	चंगोरी	चंगोरी	597.992
3.		2 सांकर	सांकर	सांकर	634.230
4.		—,,—	कोसमंदा (वि)	—,,—	155.313
5.		—,,—	अमलीपाली	अमलीपाली	177.878
6.		—,,—	दल्हादमामी	—,,—	1035.929
7.		—,,—	सोनडीह	—,,—	212.578
8.		—,,—	झिरिया	—,,—	158.650
9.		3 पंडरिया	पंडरिया	पंडरिया	422.563
10.		—,,—	पिपरदा	पिपरदा	455.552
11.		—,,—	चंदनिया	—,,—	279.197

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.		4 परसाही (बा)	परसाही (बा)	परसाही (बा)	453.023
13.		—,,—	बूचीहरदी	बूचीहरदी	287.585
14.		—,,—	करहीडीह	—,,—	402.507
15.		5 भैंसतरा (मा)	भैंसतरा (मा)	भैंसतरा (मा)	454.383
16.		—,,—	भैंसतरा (दमामी)	—,,—	173.078
17.		—,,—	बरपाली	बरपाली	270.360
18.		—,,—	बरबसपुर	—,,—	230.639
19.		6 हरदी	हरदी	हरदी	962.067
20.		—,,—	सरईपाली	—,,—	159.338
21.		7 पचरी	पचरी	पचरी	309.959
22.		—,,—	सुवरमाल	—,,—	117.265
23.		—,,—	बिरकोनी	बिरकोनी	275.295
24.		—,,—	नवापारा	—,,—	161.807
25.		8 कटनई	कटनई	कटनई	283.701
26.		—,,—	देवरी	—,,—	192.652
27.		—,,—	साजापाली	साजापाली	185.267
28.		—,,—	मौंहाडीह	—,,—	178.128
29.		—,,—	सोनाईडीह	—,,—	90.552
30.		9 बरगवां	बरगवां	बरगवां	338.612
31.		—,,—	महमदपुर	महमदपुर	248.701
32.		—,,—	खोड़	खोड़	326.560
33.		10 कोटगढ़	कोटगढ़	कोटगढ़	440.178
34.		—,,—	बम्हनी	बम्हनी	417.456
35.		—,,—	बाना	बाना	524.920
36.		11 कटघरी	कटघरी	कटघरी	596.518
37.		—,,—	सराईगुहन	—,,—	114.756
38.		—,,—	खटोला	खटोला	411.098
39.		12 पोंड़ीदलहा	पोंड़ीदलहा	पोंड़ीदलहा	1173.855
40.		—,,—	पचरी (दल्हा)	—,,—	356.831
41.		—,,—	परसाही (ना.)	परसाही (ना.)	435.355
42.		13 मधुवा	मधुवा	मधुवा	310.887
43.		—,,—	फरहदा	फरहदा	376.498
44.		14 अकलतरी	अकलतरी	अकलतरी	382.245
45.		—,,—	पिपरसत्ती	पिपरसत्ती	696.354
46.		15 कोटमी सोनार	कोटनी सोनार	कोटमी सोनार	1420.377
47.		—,,—	अमेरी	—,,—	177.997
48.		16 लटिया	लटिया	लटिया	365.968
49.		—,,—	कल्याणपुर	कल्याणपुर	388.303
50.		—,,—	दर्री टांड़	—,,—	220.893
51.		17 पकरिया (ल)	पकरिया (ल)	पकरिया (ल)	523.307
52.		—,,—	रसेड़ा	रसेड़ा	527.770
53.		18 अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी	677.722
54.		—,,—	करूमहू	करूमहू	591.900
55.		19 परसदा	परसदा	परसदा	547.300
56.		—,,—	आरसमेटा	आरसमेटा	519.437
57.		—,,—	गोंदाडीह	—,,—	329.133

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.		20 अमोरा	अमोरा	अमोरा	901.905
59.		—,,—	घघराबोड़ (वि)	—,,—	49.153
60.		—,,—	सोनसरी	सोनसरी	655.843
61.		21 नरियरा	नरियरा	नरियरा	1736.753
62.		—,,—	बनाहिल	बनाहिल	403.070
63.		22 पकरिया (झु)	पकरिया (झु)	पकरिया (झु)	1229.373
64.		—,,—	झिलमला	झिलमला	797.469
65.		23 किरारी	किरारी	किरारी	1289.353
66.		—,,—	अमरताल	अमरताल	512.551
67.		—,,—	गढ़ोला	—,,—	201.802
68.		24 तरौंद	तरौंद	तरौंद	1048.513
69.		—,,—	मुरलीडीह	मुरलीडीह	671.589
70.		—,,—	रोगदा	रोगदा	297.593
71.		25 अकलतरा	अकलतरा	न.पा. अकलतरा	1971.385
72.		26 कापन	कापन	कापन	685.954
73.		—,,—	खपरीडीह	—,,—	268.512
74.		—,,—	खिसोरा	खिसरा	350.538
75.		—,,—	लिलवाडीह	—,,—	126.430
76.		27 तिलई	तिलई	तिलई	981.369
77.		—,,—	धनवा	—,,—	178.468
78.		—,,—	मुड़पार	मुड़पार	267.630
79.		—,,—	परसदा	—,,—	198.909
80.		28 तागा	तागा	तागा	961.502
81.		—,,—	पौंना	पौंना	651.250
82.		—,,—	मुरलीडीह	—,,—	268.347
				योग	**39699.582**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1057/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-बलौदा के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बलौदा	1	बुड़गहन	बुड़गहन	728.780
2.		—,,—	पनोरा	पनोरा	270.829
3.		—,,—	कुरमा	कुरमा	309.316
4.		2	नवापारा (ख)	नवापारा (ख)	282.133
5.		—,,—	लेवई	—,,—	263.091
6.		—,,—	डोंगीपेन्डरी वन.ग्रा.	—,,—	133.416

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.		2	बगडबरी	बगडबरी	268.271
8.		—,,—	सोनबरसा	सोनबरसा	105.841
9.		—,,—	अचानकपुर	—,,—	180.026
10.		3	खिसोरा	खिसोरा	673.193
11.		—,,—	हरदीविशाल	हरदीविशाल	392.617
12.		4	बक्सरा	बक्सरा	455.953
13.		—,,—	हेड़सपुर	हेड़सपुर	709.764
14.		5	पन्तोरा	पन्तोरा	591.642
15.		—,,—	अगारखार	अगारखार	242.796
16.		—,,—	छितापाली	—,,—	197.723
17.		6	गतवा	गतवा	318.252
18.		—,,—	केराकछार	केराकछार	641.587
19.		—,,—	करमा	करमा	253.063
20.		—,,—	खारी	—,,—	311.312
21.		7	कन्डरा	कन्डरा	609.003
22.		—,,—	देवरी	देवरी	536.569
23.		—,,—	पुरेना	पुरेना	231.097
24.		8	पहरिया	पहरिया	519.764
25.		—,,—	गोवाबंद	—,,—	117.054
26.		—,,—	बोकरामुड़ा	बोकरामुड़ा	205.266
27.		—,,—	टिंगीपुर	—,,—	77.507
28.		9	खैजा	खैजा	649.851
29.		—,,—	बेलटुकरी	बेलटुकरी	305.237
30.		—,,—	मधईपुर	—,,—	188.863
31.		10	नवगवॉ	नवगवॉ	566.924
32.		—,,—	बोकरेल	बोकरेल	370.954
33.		—,,—	कोलिहादेवरी	—,,—	246.924
34.		11	रसौदा	रसौटा	696.867
35.		—,,—	पोंच	पोंच	401.693
36.		12	डोंगरी	डोंगरी	720.954
37.		—,,—	कोरबी	कोरबी	395.579
38.		13	भिलाई	भिलाई	377.942
39.		—,,—	झर्राडीह	—,,—	132.202
40.		14	महुदा (ब)	महुदा (ब)	328.062
41.		—,,—	जुनाडीह	जुनाडीह	352.286
42.		—,,—	बिरगहनी (ब)	बिरगहनी (ब)	314.222
43.		—,,—	कटरा वन ग्राम	पनोरा	134.786
44.		15	बछौंद	बछौंद	388.441
45.		—,,—	नवापारा (ब)	नवापारा (ब)	282.022
46.		—,,—	सुल्ताननार	—,,—	265.385
47.		16	चारपारा	चारपारा	613.333
48.		—,,—	ढ़ोरला	ढ़ोरला	380.157
49.		—,,—	शनिचरा मा. गु.	—,,—	90.458
50.		—,,—	शनिचरा दमामी	—,,—	119.073
51.		17	न.पं. बलौंदा	न.पं. बलौंदा	1419.674

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52.		18	जावलपुर	जावलपुर	1119.968
53.		—,,—	झपेली	झपेली	131.500
54.		—,,—	बेलन्दियाडीह	—,,—	155.227
55.		19	जर्वे (ब)	जर्वे (ब)	972.167
56.		—,,—	औराईकला	औराईकला	814.397
57.		20	खोहा	खोहा	253.803
58.		—,,—	घाटादेई	—,,—	87.836
59.		—,,—	उसलापुर	—,,—	163.697
60.		—,,—	दहकोनी	दहकोनी	345.509
61.		—,,—	परसदा	परसदा	296.424
62.		21	करमंदा	करमंदा	374.973
63.		—,,—	बैजलपुर	—,,—	205.116
64.		—,,—	औंराईखुर्द	औंराईखुर्द	245.477
65.		—,,—	परसाभांठा	—,,—	47.237
66.		22	नवागांव	नवागांव	587.458
67.		—,,—	खरमोरा	—,,—	105.637
68.		—,,—	सक्तीगुड़ी	—,,—	244.775
69.		—,,—	रैंनपुर	रैंनपुर	235.925
70.		—,,—	मदनपुर	—,,—	316.865
				योग	**26071.745**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1058/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-पामगढ़ के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पामगढ़	1	मुलमुला	मुलमुला	1049.797
2.	—,,—	—,,—	तावनडीह (वि.)	—,,—	98.181
3.	—,,—	—,,—	मस्तुरीडीह (वि.)	—,,—	115.221
4.	—,,—	—,,—	कोनार	कोनार	918.354
5.	—,,—	2	कोसा	कोसा	2047.814
6.	—,,—	3	बोरसी	बोरसी	653.501
7.	—,,—	—,,—	डिघोरा	डिघोरा	319.635
8.	—,,—	—,,—	बोहारडीह	—,,—	235.902
9.	—,,—	—,,—	सेमरिया (डि)	—,,—	244.623
10.	—,,—	4	जेवरा	जेवरा	988.474
11.	—,,—	—,,—	सेमरिया (जे.)	सेमरिया (जे.)	846.701

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	पामगढ़	5	भैंसो	भैंसो	1252.418
13.	—,,—	—,,—	झिलमिली	झिलमिली	308.685
14.	—,,—	—,,—	नन्देली	नन्देली	503.294
15.	—,,—	6	चण्डीपारा	चण्डीपारा	783.808
16.	—,,—	—,,—	रोझनडीह	—,,—	214.636
17.	—,,—	—,,—	झुलन	झुलन	371.954
18.	—,,—	7	लगरा	लगरा	646.087
19.	—,,—	—,,—	पचरी	पचरी	268.617
20.	—,,—	—,,—	हेड़सपुर	—,,—	209.707
21.	—,,—	8	चोरभट्ठी	चोरभट्ठी	769.143
22.	—,,—	—,,—	खपरी	खपरी	589.569
23.	—,,—	9	सिरली	सिरली	577.400
24.	—,,—	—,,—	जोगीडीपा	जोगीडीपा	301.942
25.	—,,—	10	डुड़गा	डुड़गा	409.229
26.	—,,—	—,,—	मुड़पार (डु)	मुड़पार (डु)	383.954
27.	—,,—	11	भदरा	भदरा	429.434
28.	—,,—	—,,—	कुटराबोड़	कुटराबोड़	386.335
29.	—,,—	12	कोसला	कोसला	762.879
30.	—,,—	—,,—	पेन्डरी	पेन्डरी	385.846
31.	—,,—	16	पामगढ़	पामगढ़	687.077
32.	—,,—	17	डोंगा कोहरौद	डोंगा कोहरौद	1483.856
33.	—,,—	18	भिलौनी	भिलौनी	1082.626
34.	—,,—	—,,—	केसला	केसला	561.333
35.	—,,—	19	ससहा	ससहा	814.529
36.	—,,—	—,,—	शुक्लाभांठा	—,,—	202.014
37.	—,,—	—,,—	कोसीर	कोसीर	964.407
38.	—,,—	20	धनगांव	धनगांव	566.910
39.	—,,—	—,,—	हिर्री	हिर्री	443.550
40.	—,,—	—,,—	सिर्री	सिर्री	194.907
41.	—,,—	21	खरखोद	खरखोद	474.407
42.	—,,—	—,,—	खैराडीह	—,,—	84.720
43.	—,,—	—,,—	मुड़पार (चु)	मुड़पार (चु)	438.495
44.	—,,—	—,,—	चुरतेला	चुरतेला	281.417
45.	—,,—	13	भंवतरा	भंवतरा	665.556
46.	—,,—	—,,—	पनगांव	पनगांव	366.960
47.	—,,—	14	मेंहन्दी	मेंहन्दी	704.859
48.	—,,—	—,,—	बुदेला	बुदेला	778.564
49.	—,,—	15	मेउ	मेउ	1211.317
50.	—,,—	—,,—	चेउडीह	चेउडीह	304.306
51.	—,,—	—,,—	बारगांव	बारगांव	593.506
52.	—,,—	22	रसौटा	रसौटा	856.390
53.	—,,—	—,,—	मेकरी	मेकरी	303.011
54.	—,,—	23	भुईगांव	भुईगांव	766.926
55.	—,,—	—,,—	कोड़ाभाट	कोड़ाभाट	954.311
56.	—,,—	24	तनौद	तनौद	953.428
57.	—,,—	—,,—	खरगहनी	खरगहनी	405.671

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	पामगढ़	24	कमरीद	कमरीद	642.246
59.	—,,—	—,,—	देवरघटा	—,,—	347.328
60.	—,,—	25	पकरिया	पकरिया	544.567
61.	—,,—	—,,—	महका	महका	297.455
62.	—,,—	—,,—	खोखरी	खोखरी	431.705
63.	—,,—	—,,—	रींवापार	—,,—	259.558
64.	—,,—	26	राहौद	न.प. राहौंद	1193.973
65.	—,,—	—,,—	बिलारी	बिलारी	633.063
66.	—,,—	27	धरदेई	धरदेई	1032.139
67.	—,,—	—,,—	कोहका	कोहका	326.807
68.	—,,—	28	खोरसी	खोरसी	708.799
69.	—,,—	—,,—	पड़रिया	पड़रिया	328.826
70.	—,,—	—,,—	सिंघलदीप	—,,—	160.440
71.	—,,—	—,,—	हड़हा	—,,—	297.043
72.	—,,—	29	लोहर्सी	लोहर्सी	955.499
73.	—,,—	—,,—	देवरी	देवरी	442.590
74.	—,,—	30	सुकुलपारा	न.प. खरौद	703.547
75.	—,,—	—,,—	जरहापारा	—,,—	76.214
76.	—,,—	—,,—	तिवारीपारा	—,,—	667.113
77.	—,,—	—,,—	भड़ेरियापारा	—,,—	129.321
78.	—,,—	—,,—	मांझापारा	—,,—	136.524
		योग	**78**		**44532.950**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1059/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-नवागढ़ के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नवागढ़	1	कुथुर	कुथुर	480.702
2.	—,,—	—,,—	सेन्दरी	सेन्दरी	367.211
3.	—,,—	2	खैरा	खैरा	238.888
4.	—,,—	—,,—	घुटिया	घुटिया	382.289
5.	—,,—	3	महन्त	महन्त	1136.313
6.	—,,—	—,,—	दर्री	दर्री	281.069
7.	—,,—	4	अमोरा	अमोरा	860.835
8.	—,,—	—,,—	चौराभांठा	चौराभांठा	221.056

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	नवागढ़	5	अवरीद	अवरीद	721.852
10.	—,,—	—,,—	चोरभट्ठी	चोरभट्ठी	333.471
11.	—,,—	—,,—	चोरगांव (वि.)	—,,—	95.878
12.	—,,—	6	जगमहन्त	जगमहन्त	459.432
13.	—,,—	—,,—	बुड़ेना	बुड़ेना	542.547
14.	—,,—	7	भैंसमुड़ी	भैंसमुड़ी	600.995
15.	—,,—	—,,—	हरदी	हरदी	666.633
16.	—,,—	—,,—	डिडोलडीह (वि.)	—,,—	70.079
17.	—,,—	8	कर्रा	कर्रा	200.673
18.	—,,—	—,,—	बरबसपुर	बरबसपुर	200.012
19.	—,,—	—,,—	दहिदा	दहिदा	527.355
20.	—,,—	9	धाराशिव	धाराशिव	846.448
21.	—,,—	—,,—	रोगदा	रोगदा	658.155
22.	—,,—	10	पेन्डरी	पेन्डरी	527.984
23.	—,,—	—,,—	ठकुरदिया	ठकुरदिया	355.606
24.	—,,—	11	नवागढ़	न.पं. नवागढ़	1858.570
25.	—,,—	12	सिउड़	सिउड़	437.027
26.	—,,—	—,,—	टूरी	टूरी	263.773
27.	—,,—	13	सेमरा	सेमरा	932.446
28.	—,,—	—,,—	कुटराबोड़	—,,—	226.388
29.	—,,—	—,,—	तेन्दुआ	तेन्दुआ	238.593
30.	—,,—	14	पोड़ी	पोड़ी	590.078
31.	—,,—	—,,—	गीधा	गीधा	383.676
32.	—,,—	15	मुड़पार	मुड़पार	678.145
33.	—,,—	—,,—	बरभांठा	बरभांठा	464.144
34.	—,,—	29	किरित	किरित	893.374
35.	—,,—	—,,—	खैरताल	खैरताल	337.028
36.	—,,—	—,,—	खपरीडीह	—,,—	188.062
37.	—,,—	30	बरगांव	बरगांव	467.361
38.	—,,—	—,,—	पिपरा	—,,—	272.866
39.	—,,—	—,,—	उदयभांठा	उदयभांठा	380.006
40.	—,,—	—,,—	पथर्रा	—,,—	248.848
41.	—,,—	16	खिसोरा	खिसोरा	548.841
42.	—,,—	—,,—	कचंदा	कचंदा	794.156
43.	—,,—	17	सलखन	सलखन	1480.962
44.	—,,—	18	कामता	कामता	426.268
45.	—,,—	—,,—	बोरदा	बोरदा	277.673
46.	—,,—	19	कुकदा	कुकदा	576.950
47.	—,,—	—,,—	रिगनी	रिगनी	241.770
48.	—,,—	20	गोधना	गोधना	868.616
49.	—,,—	—,,—	कांसा	कांसा	306.077
50.	—,,—	21	कुरियारी	कुरियारी	696.929
51.	—,,—	—,,—	तेन्दुवा	—,,—	248.553
52.	—,,—	—,,—	बेल्हा	बेल्हा	281.175
53.	—,,—	22	तुसमा	तुसमा	836.201
54.	—,,—	—,,—	दुरपा	दुरपा	580.294

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55.	नवागढ़	23	भोगहापारा	न.प. शिवरीनारायण	573.890
56.	—,,—	—,,—	महन्तपारा	—,,—	188.103
57.	—,,—	24	मुड़पार	मुड़पार	656.163
58.	—,,—	—,,—	सिंघुल	सिंघुल	541.400
59.	—,,—	25	कनस्दा	कनस्दा	563.304
60.	—,,—	—,,—	नगारीडीह	नगारीडीह	456.537
61.	—,,—	26	पचरी	पचरी	264.683
62.	—,,—	—,,—	केसला	केसला	373.070
63.	—,,—	—,,—	करमंदी	—,,—	258.030
64.	—,,—	27	कटौद	कटौद	980.992
65.	—,,—	—,,—	नेगुरडीह	नेगुरडीह	349.583
66.	—,,—	—,,—	कोटिया	कोटिया	287.025
67.	—,,—	28	मिस्दा	मिस्दा	771.191
68.	—,,—	—,,—	गंगाजल	गंगाजल	335.930
69.	—,,—	31	तुलसी	तुलसी	480.233
70.	—,,—	—,,—	भठली	भठली	746.881
71.	—,,—	—,,—	बर्रा	—,,—	420.889
72.	—,,—	32	केरा	केरा	1063.497
73.	—,,—	—,,—	देवरी	देवरी	349.050
74.	—,,—	—,,—	मोहतरा	—,,—	355.663
				योग	**37816.447**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1060/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-चाम्पा के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चाम्पा	1	महुदा	महुदा	603.074
2.	—,,—	—,,—	उच्चभिट्ठी	उच्चभिट्ठी	212.716
3.	—,,—	—,,—	अमझर	—,,—	223.905
4.	—,,—	2	सिवनी	सिवनी	1176.721
5.	—,,—	—,,—	बालपुर	बालपुर	324.019
6.	—,,—	3	जगदल्ला	न.पा.चाम्पा	183.016
7.	—,,—	—,,—	बरपाली	—,,—	51.483
8.	—,,—	—,,—	कुरदा	कुरदा	843.297
9.	—,,—	4	चाम्पा	न.पा.चाम्पा	1618.053
10.	—,,—	5	कोसमंदा	कोसमंदा	1202.119

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	चाम्पा	6	कमरीद	कमरीद	829.659
12.	—,,—	—,,—	जाटा	जाटा	363.961
13.	—,,—	—,,—	बहेराडीह	—,,—	162.378
14.	—,,—	7	हथनेवरा	हथनेवरा	1181.147
15.	—,,—	8	अफरीद	अफरीद	905.893
16.	—,,—	—,,—	मुड़पार	—,,—	285.380
17.	—,,—	9	सारागांव	न.प. सारागांव	1477.778
18.	—,,—	10	देवरी	देवरी	442.045
19.	—,,—	—,,—	अमरूवा	अमरूवा	441.590
20.	—,,—	11	दारंग	दारंग	419.783
21.	—,,—	—,,—	पोड़ीकला	पोड़ीकला	239.546
22.	—,,—	—,,—	पोड़ीखुर्द	—,,—	107.244
23.	—,,—	—,,—	हर्राभांठा	—,,—	56.218
24.	—,,—	12	कड़ारी	कड़ारी	383.017
25.	—,,—	—,,—	फेटफोरवा	—,,—	128.620
26.	—,,—	—,,—	बघौदा	बघौदा	242.767
27.	—,,—	—,,—	कुम्हारीखुर्द	—,,—	167.659
28.	—,,—	13	लछनपुर	लछनपुर	229.499
29.	—,,—	—,,—	दर्रीबंजर	दर्रीबंजर	104.905
30.	—,,—	—,,—	हनुमंता	—,,—	228.008
31.	—,,—	—,,—	कुम्हारीकला	कुम्हारीकला	257.587
32.	—,,—	14	झरना	झरना	338.078
33.	—,,—	—,,—	कचंदा	कचंदा	293.721
34.	—,,—	—,,—	झीका	—,,—	139.485
35.	—,,—	15	गिधोरी	गिधौरी	341.161
36.	—,,—	—,,—	मौहाडीह	—,,—	239.413
37.	—,,—	—,,—	खम्हिया	खम्हिया	166.158
38.	—,,—	—,,—	भुरकाडीह	—,,—	176.807
39.	—,,—	16	रिस्दा	रिस्दा	305.294
40.	—,,—	—,,—	परसापाली	—,,—	197.897
41.	—,,—	—,,—	नवागांव	नवागांव	198.358
42.	—,,—	—,,—	दर्री	—,,—	152.423
43.	—,,—	—,,—	सोनियापाठ	—,,—	159.626
44.	—,,—	17	चोरिया	चोरिया	1308.476
45.	—,,—	—,,—	संजयग्राम	संजयग्राम	267.562
46.	—,,—	20	सोंठी	सोंठी	1074.329
47.	—,,—	—,,—	पिपरदा	पिपरदा	396.966
48.	—,,—	—,,—	भंवरमाल	—,,—	363.920
49.	—,,—	18	सरवानी	सरवानी	353.803
50.	—,,—	—,,—	परसापाली	परसापाली	378.007
51.	—,,—	—,,—	लखाली	लखाली	633.745
52.	—,,—	19	झर्रा	झर्रा	494.034
53.	—,,—	—,,—	मोहगांव	मोहगांव	315.404
54.	—,,—	—,,—	पचोरी	पचोरी	591.265
55.	—,,—	21	पुछेली	पुछेली	418.929
56.	—,,—	—,,—	खपराडीह	खपराडीह	171.936
57.	—,,—	—,,—	अमोदी	—,,—	244.960

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	चाम्पा	21	रोहदा	रोहदा	278.489
59.	—,,—	—,,—	भंवरेली	मोहगांव (19)	224.108
60.	—,,—	22	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	824.818
61.	—,,—	23	लखुर्री	लखुर्री	564.869
62.	—,,—	—,,—	भदरा	भदरा	195.719
63.	—,,—	—,,—	औंराडीह	—,,—	134.520
64.	—,,—	—,,—	मौहाडीह	मौहाडीह	178.695
65.	—,,—	—,,—	कोनियापाट	—,,—	113.545
66.	—,,—	24	पोड़ीशंकर	पोड़ीशंकर	1183.896
67.	—,,—	—,,—	कनकपुर	—,,—	181.325
68.	—,,—	—,,—	सोनाईडीह	सोनाईडीह	203.008
69.	—,,—	—,,—	बरगड़ी	—,,—	267.862
70.	—,,—	—,,—	चारपारा	—,,—	103.683
71.	—,,—	25	करनौद	करनौद	1034.099
72.	—,,—	—,,—	गोविन्दा	गोविन्दा	452.517
73.	—,,—	26	कपिस्दा	कपिस्दा	532.899
74.	—,,—	—,,—	बनसुला	बनसुला	367.469
75.	—,,—	27	नक्टीडीह	नक्टीडीह	378.629
76.	—,,—	—,,—	सेमरिया	सेमरिया	669.515
77.	—,,—	—,,—	चोरहादेवरी	चोरहादेवरी	271.173
78.	—,,—	—,,—	बरकुट	—,,—	197.434
79.	—,,—	28	सोनादह	सोनादह	363.204
80.	—,,—	—,,—	डभराखुर्द	—,,—	263.203
81.	—,,—	—,,—	बनडभरा	बनडभरा	393.945
82.	—,,—	29	तालदेवरी	तालदेवरी	680.489
83.	—,,—	—,,—	बोरसी	बोरसी	417.524
84.	—,,—	—,,—	गतवा	गतवा	202.840
85.	—,,—	30	सीलादेही	सीलादेही	749.238
86.	—,,—	—,,—	मौहाडीह	—,,—	305.861
87.	—,,—	—,,—	देवरानी	देवरानी	473.848
88.	—,,—	31	बिर्रा	बिर्रा	1383.671
89.	—,,—	—,,—	बसंतपुर	बसंतपुर	233.724
90.	—,,—	—,,—	देवरहा	—,,—	226.683
		योग	**90**		**38867.346**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1061/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-सक्ती के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा

104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सक्ती	1	धनपुर	धनपुर	263.769
2.	—,,—	—,,—	गुढ़वा	—,,—	167.381
3.	—,,—	—,,—	सोनगुढ़ा	सोनगुढ़ा	149.437
4.	—,,—	—,,—	बहेरा	—,,—	238.791
5.	—,,—	2	जर्वे	जर्वे	576.433
6.	—,,—	—,,—	सुन्दरेली	सुन्दरेली	299.917
7.	—,,—	—,,—	गतवा	—,,—	159.189
8.	—,,—	3	सकरेलीखुर्द	सकरेलीखुर्द	283.977
9.	—,,—	—,,—	बोकरामुड़ा	बोकरामुड़ा	117.628
10.	—,,—	—,,—	कुधरीटार	—,,—	112.479
11.	—,,—	4	नगरदा	नगरदा	557.808
12.	—,,—	—,,—	मानिकपुर	—,,—	143.936
13.	—,,—	—,,—	कुरदा	कुरदा	388.894
14.	—,,—	5	ऋषभतीर्थ	ऋषभतीर्थ	145.312
15.	—,,—	—,,—	रैनखोल	—,,—	97.646
16.	—,,—	—,,—	सलिहाभांठा	—,,—	164.855
17.	—,,—	—,,—	बासिनपाठ	—,,—	96.751
18.	—,,—	—,,—	घुईचुंवा	घुईचुंवा	277.395
19.	—,,—	—,,—	बुढ़नपुर	—,,—	178.673
20.	—,,—	—,,—	नवागांव	—,,—	152.908
21.	—,,—	6	बरपालीकला	बरपालीकला	343.496
22.	—,,—	—,,—	खरींपारा	—,,—	87.123
23.	—,,—	—,,—	गहरीनमुड़ा	गहरीनमुड़ा	96.496
24.	—,,—	—,,—	छिन्दमुंड़ा	—,,—	136.398
25.	—,,—	—,,—	जामचुंवा	—,,—	133.205
26.	—,,—	—,,—	जोबा	—,,—	237.479
27.	—,,—	7	पतेरापालीकला	पतेरापालीकला	317.519
28.	—,,—	—,,—	जुनवानी	—,,—	91.818
29.	—,,—	—,,—	मोहगांव	मोहगांव	205.311
30.	—,,—	—,,—	घोघरा	—,,—	240.817
31.	—,,—	8	सेन्दरी	सेन्दरी	350.202
32.	—,,—	—,,—	पुटेकेला	पुटेकेला	226.868
33.	—,,—	—,,—	जिरलाडीह	—,,—	55.175
34.	—,,—	9	अचानकपुर	अचानकपुर	149.659
35.	—,,—	—,,—	डड़ई	—,,—	171.756
36.	—,,—	—,,—	बासीन	बासीन	297.987
37.	—,,—	—,,—	खैरा	—,,—	210.142
38.	—,,—	—,,—	तुर्री	—,,—	159.921
39.	—,,—	10	असौंदा	असौंदा	379.298
40.	—,,—	—,,—	जामपाली	जामपाली	215.915
41.	—,,—	—,,—	जगदल्ला	—,,—	117.578
42.	—,,—	—,,—	ढोलनार	—,,—	84.686

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	सक्ती	11	देवरमाल	देवरमाल	302.437
44.	—,,—	—,,—	देवरी	देवरी	515.900
45.	—,,—	—,,—	उपकाचुंवा	—,,—	160.346
46.	—,,—	12	जांजंग	जांजंग	637.597
47.	—,,—	—,,—	बैलाचुंवा	बैलाचुंवा	163.161
48.	—,,—	—,,—	डंगबोर	—,,—	78.156
49.	—,,—	—,,—	पाली	—,,—	99.583
50.	—,,—	—,,—	जगदल्ली	—,,—	182.631
51.	—,,—	13	जुड़गा	जुड़गा	324.519
52.	—,,—	—,,—	अंजोरीपाली	—,,—	118.682
53.	—,,—	—,,—	पनारी	—,,—	152.157
54.	—,,—	—,,—	जोंगरा	जोंगरा	328.030
55.	—,,—	—,,—	चमरवाह	—,,—	178.306
56.	—,,—	14	सकरेलीकला	सकरेलीकला	326.354
57.	—,,—	—,,—	आमापाली	आमापाली	136.230
58.	—,,—	—,,—	पुजेरीपाली	—,,—	52.179
59.	—,,—	—,,—	भेड़ापाली	—,,—	166.579
60.	—,,—	15	तेन्दुटोहा	तेन्दुटोहा	163.065
61.	—,,—	—,,—	सरवानी	—,,—	192.357
62.	—,,—	—,,—	पतेरापालीखुर्द	पतेरापालीखुर्द	128.179
63.	—,,—	—,,—	रींवापाली	—,,—	71.127
64.	—,,—	—,,—	कर्रापाली	—,,—	65.312
65.	—,,—	16	रगजा	रगजा	416.023
66.	—,,—	—,,—	मसनियाकला	मसनियाकला	348.426
67.	—,,—	—,,—	मसनियाखुर्द	—,,—	251.056
68.	—,,—	17	अमलडीहा	अमलडीहा	282.681
69.	—,,—	—,,—	अमलीटिकरा	—,,—	106.710
70.	—,,—	—,,—	रतनपाली	—,,—	62.802
71.	—,,—	—,,—	गढ़गोढ़ी	गढ़गोढ़ी	360.064
72.	—,,—	18	परसदाखुर्द	परसदाखुर्द	249.616
73.	—,,—	—,,—	मरकामगोढ़ी	मरकामगोढ़ी	249.016
74.	—,,—	—,,—	कान्दानारा	—,,—	216.576
75.	—,,—	19	केरीबन्धा	केरीबन्धा	235.451
76.	—,,—	—,,—	अर्जुनी	अर्जुनी	252.359
77.	—,,—	—,,—	सरजुनी	—,,—	94.564
78.	—,,—	20	बोइरडीह	बोइरडीह	89.936
79.	—,,—	—,,—	हरदा	हरदा	151.786
80.	—,,—	—,,—	गौरमुड़ा	—,,—	85.635
81.	—,,—	21	सोठी	सोठी	307.186
82.	—,,—	22	सक्ती	न.पा. सक्ती	519.083
83.	—,,—	23	नन्देली	नन्देली	204.435
84.	—,,—	—,,—	बोरदा	बोरदा	209.479
85.	—,,—	—,,—	कंचनपुर	—,,—	19.077
86.	—,,—	24	डोड़की	डोड़की	190.184
87.	—,,—	—,,—	बगबुड़वा	—,,—	108.405
88.	—,,—	—,,—	नवापाराखुर्द	नवापाराखुर्द	229.939
89.	—,,—	—,,—	टोहिलाडीह	—,,—	163.786

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
90.	सक्ती	25	नन्दौरकला	नन्दौरकला	472.302
91.	—,,—	—,,—	नन्दौरखुर्द	नन्दौरखुर्द	525.028
92.	—,,—	26	खुंटादरहा	खुंटादरहा	215.706
93.	—,,—	—,,—	भुरसीडीह	—,,—	181.102
94.	—,,—	—,,—	पासीद	पासीद	391.261
95.	—,,—	—,,—	सराईपाली	—,,—	149.724
96.	—,,—	27	किरारी	किरारी	573.598
97.	—,,—	—,,—	चमरा बरपाली	चमरा बरपाली	222.703
98.	—,,—	28	लहंगा	लहंगा	240.998
99.	—,,—	—,,—	रेड़ा	रेड़ा	533.732
100.	—,,—	29 दुरपा	दुरपा	दुरपा	476.519
101.	—,,—	—,,—	सरवानी (ब)	सरवानी (ब)	424.073
102.	—,,—	30 सरहर	सरहर	सरहर	772.967
103.	—,,—	—,,—	भागोडीह	—,,—	152.339
104.	—,,—	31 न.प. बाराद्वार	नया बाराद्वार	न.पं. बाराद्वार	476.705
105.	—,,—	—,,—	मुक्ताराज	—,,—	191.448
106.	—,,—	32 पलाड़ीकला	पलाड़ीकला	पलाड़ीकला	426.824
107.	—,,—	—,,—	पलाड़ीखुर्द	पलाड़ीखुर्द	405.405
108.	—,,—	33 बाराद्वार बस्ती	बाराद्वार बस्ती	बाराद्वार बस्ती	776.872
109.	—,,—	34 डुमरपारा	डुमरपारा	डुमरपारा	1032.776
110.	—,,—	—,,—	डेरागढ़	डेरागढ़	451.154
111.	—,,—	35 सकरेली (ब)	सकरेली (ब)	सकरेली (ब)	997.707
112.	—,,—	36 लवसरा	लवसरा	लवसरा	374.349
113.	—,,—	—,,—	बेल्हाडीह	बेल्हाडीह	207.664
114.	—,,—	—,,—	रानीगांव	—,,—	90.062
115.	—,,—	37 जेठा	जेठा	जेठा	268.154
116.	—,,—	—,,—	भक्तुडेरा	—,,—	73.696
117.	—,,—	—,,—	भदरीपाली	—,,—	187.261
118.	—,,—	—,,—	परसदाकला	परसदाकला	295.150
119.	—,,—	—,,—	साजाडेरा	—,,—	22.039
120.	—,,—	38 पोरथा	पोरथा	पोरथा	842.447
121.	—,,—	—,,—	हरेठी	हरेठी	179.735
122.	—,,—	—,,—	सिपाहीमुड़ा	—,,—	87.484
123.	—,,—	39 सिंघनसरा	सिंघनसरा	सिंघनसरा	462.630
124.	—,,—	40 टेमर	टेमर	टेमर	652.086
125.	—,,—	—,,—	नवापाराकला	नवापाराकला	275.508
126.	—,,—	41 सपनईपाली	सपनईपाली	सपनईपाली	112.161
127.	—,,—	—,,—	कनेटी	—,,—	88.345
128.	—,,—	—,,—	चारपारा	—,,—	119.745
129.	—,,—	—,,—	लिमतरा	लिमतरा	161.629
		योग	**129**		**33411.278**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1062/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-मालखरौदा के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मालखरौदा	1-मन्द्रागोढ़ी	मन्द्रागोढ़ी	मन्द्रागोढ़ी	309.893
2.	—,,—	—,,—	डिक्सी	डिक्सी	233.329
3.	—,,—	—,,—	मोहदीखुर्द	—,,—	103.489
4.	—,,—	2-आडिल	आडिल	आडिल	350.409
5.	—,,—	—,,—	दर्राभांठा	—,,—	256.149
6.	—,,—	—,,—	मोहदीकला	मोहदीकला	255.996
7.	—,,—	3-औरदा	औरदा	औरदा	248.047
8.	—,,—	—,,—	नौरंगपुर	नौरंगपुर	223.054
9.	—,,—	—,,—	गोरखपाली	गोरखपाली	111.940
10.	—,,—	—,,—	बसंतपुर	—,,—	86.362
11.	—,,—	4-कटारी	कटारी	कटारी	171.887
12.	—,,—	—,,—	चंदेलाडीह	—,,—	207.660
13.	—,,—	—,,—	सुलौनी	सुलौनी	332.890
14.	—,,—	—,,—	सुकलीपाली	—,,—	87.903
15.	—,,—	—,,—	पिकरीपार	—,,—	69.323
16.	—,,—	5-सकर्रा	सकर्रा	सकर्रा	575.967
17.	—,,—	—,,—	सोनादूला	सोनादूला	333.544
18.	—,,—	6-बुन्देली	बुन्देली	बुन्देली	350.982
19.	—,,—	—,,—	सकर्री	—,,—	242.508
20.	—,,—	—,,—	ढ़िमानी	ढिमानी	369.175
21.	—,,—	7-अड़भार	अड़भार	नगर पंचायत अड़भार	1153.659
22.	—,,—	—,,—	हरदी	—,,—	235.430
23.	—,,—	8-सपिया	सपिया	सपिया	590.205
24.	—,,—	—,,—	बोकरेल	बोकरेल	155.775
25.	—,,—	—,,—	खरताल	—,,—	97.330
26.	—,,—	—,,—	छतौना	—,,—	46.446
27.	—,,—	—,,—	टाटा	—,,—	118.488
28.	—,,—	9-फगुरम	फगुरम	फगुरम	584.664
29.	—,,—	—,,—	झर्रा	झर्रा	216.077
30.	—,,—	—,,—	तौलीपाली	—,,—	113.594
31.	—,,—	10-बोड़ासागर	बोड़ासागर	बोड़ासागर	268.849
32.	—,,—	—,,—	सेरो	सेरो	311.331
33.	—,,—	—,,—	कुधरी	कुधरी	260.188
34.	—,,—	—,,—	कुलबा	कुलबा	224.472
35.	—,,—	11-भाटा	भाटा	भाटा	381.948
36.	—,,—	—,,—	परसा	परसा	328.138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	मालखरौदा	12–लीमगांव	लीमगांव	लीमगांव	381.185
38.	—,,—	—,,—	कर्रापाली	कर्रापाली	146.657
39.	—,,—	—,,—	बन्जारी	—,,—	188.801
40.	—,,—	—,,—	संजारी (विरान ग्राम)	—,,—	29.639
41.	—,,—	—,,—	दारीमुड़ा	—,,—	163.643
42.	—,,—	13–बन्दोरा	बन्दोरा	बन्दोरा	524.103
43.	—,,—	—,,—	करीगांव	करीगांव	460.852
44.	—,,—	14–पोता	पोता	पोता	945.204
45.	—,,—	19–बड़े पडरमुड़ा	बड़े पडरमुड़ा	बड़े पडरमुड़ा	336.963
46.	—,,—	—,,—	चरौदी	चरौदी	353.784
47.	—,,—	—,,—	चरौदा	चरौदा	473.750
48.	—,,—	20–सारसकेला	सारसकेला	सारसकेला	309.506
49.	—,,—	—,,—	परसी	बोड़ासागर (10)	139.226
50.	—,,—	—,,—	अण्डी	अण्डी	122.726
51.	—,,—	—,,—	अण्डा	—,,—	224.005
52.	—,,—	15–आमनदूला	आमनदूला	आमनदूला	634.512
53.	—,,—	—,,—	नवागांव	नवागांव	337.053
54.	—,,—	16–भठोरा	भठोरा	भठोरा	336.275
55.	—,,—	—,,—	सारसडोल	—,,—	235.437
56.	—,,—	—,,—	अमेराडीह	अमेराडीह	163.008
57.	—,,—	—,,—	संतगढ़	—,,—	267.144
58.	—,,—	17–कलमी	कलमी	कलमी	421.335
59.	—,,—	—,,—	मोहतरा	मोहतरा	327.473
60.	—,,—	—,,—	बीरभांठा	—,,—	146.791
61.	—,,—	18–मालखरौदा	मालखरौदा	मालखरौदा	584.965
62.	—,,—	—,,—	मुक्ता	मुक्ता	364.912
63.	—,,—	21–किरारी	किरारी	किरारी	260.308
64.	—,,—	—,,—	बड़ेमुड़पार	बड़ेमुड़पार	401.713
65.	—,,—	—,,—	तुलसीडीह	—,,—	150.165
66.	—,,—	22–जमगहन	जमगहन	जमगहन	265.946
67.	—,,—	—,,—	किरकार	किरकार	216.307
68.	—,,—	—,,—	दलालपाली	—,,—	99.558
69.	—,,—	—,,—	छोटे कोट	चिखली (25)	117.043
70.	—,,—	23–सिंघरा	सिंघरा	सिंघरा	717.272
71.	—,,—	—,,—	परसाडीह	—,,—	176.357
72.	—,,—	24–चांटीपाली	चांटीपाली	चांटीपाली	213.471
73.	—,,—	—,,—	खेमड़ा	खेमड़ा	296.908
74.	—,,—	—,,—	बेल्हाडीह	बेल्हाडीह	172.137
75.	—,,—	—,,—	कनाईडीह	—,,—	150.778
76.	—,,—	—,,—	खर्री	—,,—	149.108
77.	—,,—	25–चारापारा	चारापारा	चारापारा	258.903
78.	—,,—	—,,—	छोटे सीपत	छोटे सीपत	250.309
79.	—,,—	—,,—	चिखली	चिखली	255.472
80.	—,,—	—,,—	बड़ेकोट	—,,—	156.190
81.	—,,—	26–पिहरीद	पिहरीद	पिहरीद	719.000
82.	—,,—	—,,—	भूतहा	भूतहा	220.709
83.	—,,—	—,,—	छोटे रबेली	—,,—	232.949

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84.	मालखरौदा	27-बड़े रबेली	बड़े रबेली	बड़े रबेली	546.268
85.	—,,—	—,,—	भड़ोरा	भड़ोरा	340.139
86.	—,,—	—,,—	जोगीडीपा	—,,—	109.767
87.	—,,—	—,,—	बरभांठा	—,,—	99.109
88.	—,,—	28-बड़े सीपत	बड़े सीपत	बड़े सीपत	757.545
89.	—,,—	—,,—	नगझर	नगझर	541.447
90.	—,,—	29-कुरदा	कुरदा	कुरदा	557.003
91.	—,,—	—,,—	कुरदी	—,,—	130.976
92.	—,,—	—,,—	नवापारा	नवापारा	396.101
93.	—,,—	—,,—	बिलाईगढ़	बरभांठा (31)	139.822
94.	—,,—	30-पिरदा	पिरदा	पिरदा	594.860
95.	—,,—	—,,—	डोंगरीडीह	भेड़ीकोना (33)	135.920
96.	—,,—	—,,—	अमलीडीह	अमलीडीहा	457.643
97.	—,,—	—,,—	माहूलद्वीप	माहूलद्वीप	290.904
98.	—,,—	31-छपोरा	छपोरा	छपोरा	560.542
99.	—,,—	—,,—	घोघरी	घोघरी	202.280
100.	—,,—	—,,—	बरभांठा	बरभांठा (31)	139.825
101.	—,,—	32-अचरितपाली	डोमा	डोमा	249.459
102.	—,,—	—,,—	अचरितपाली	—,,—	296.876
103.	—,,—	—,,—	बासीन	बासीन	207.572
104.	—,,—	—,,—	बरपाली	—,,—	124.968
105.	—,,—	33-रनपोटा	रनपोटा	रनपोटा	325.376
106.	—,,—	—,,—	मुड़पार	मुड़पार	365.823
107.	—,,—	—,,—	भेड़ीकोना	भेड़ीकोना (33)	246.906
108.	—,,—	34-नरियरा	नरियरा	नरियरा	379.736
109.	—,,—	—,,—	मिरौनी	मिरौनी	632.557
110.	—,,—	35-देवगांव	देवगांव	देवगांव	311.346
111.	—,,—	—,,—	मरघटी	मरघटी	820.574
		योग	**111**		**34067.997**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1063/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-डभरा के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डभरा	1-सिंघीतराई	सिंघीतराई	सिंघीतराई	304.172
2.	—,,—		बेनापाली	—,,—	91.344

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	डभरा	1-सिंघीतराई	निमोही	निमोही	193.677
4.	—,,—		कठर्रापाली	—,,—	92.603
5.	—,,—		ओड़ेकेरा	ओड़ेकेरा	247.757
6.	—,,—		सराईपाली (चे)	—,,—	230.990
7.	—,,—	7-देवरघटा	देवरघटा	देवरघटा	298.696
8.	—,,—		कानाकोट	निमोही (1)	181.389
9.	—,,—		घिवरा	घिवरा	271.916
10.	—,,—		धोबनीपाली	—,,—	165.469
11.	—,,—	8-सुखदा	सूखदा	सुखदा	922.780
12.	—,,—		बरतुंगा	बरतूंगा	391.294
13.	—,,—	9-चुरतेली	चुरतेली	चुरतेली	207.706
14.	—,,—		लटियाडीह	लटियाडीह	145.081
15.	—,,—		कौडिया	—,,—	173.401
16.	—,,—		कुसमूल	कुसमूल	481.055
17.	—,,—	10-फरसवानी	फरसवानी	फरसवानी	688.264
18.	—,,—		खैरा	खैरा	236.981
19.	—,,—		रामभांठा	रामभांठा	447.875
20.	—,,—	11-गोबरा	गोबरा	गोबरा	515.283
21.	—,,—		छुहीपाली	छुहीपाली	218.281
22.	—,,—	12-कांसा	कांसा	कांसा	802.096
23.	—,,—		कटेकोनी छोटे	कटेकोनी छोटे	344.904
24.	—,,—		तुरकापाली	—,,—	129.758
25.	—,,—	13-कटौद	कटौद	कटौद	434.345
26.	—,,—		चुरतेला	चुरतेला	430.637
27.	—,,—	21-कटेकोनी बड़े	कटेकोनी बड़े	कटेकोनी बड़े	458.491
28.	—,,—		ठाकुरपाली	ठाकुरपाली	186.202
29.	—,,—		सेमराडीह	—,,—	96.448
30.	—,,—		हरदीडीह	—,,—	156.344
31.	—,,—	22-डभरा	डभरा	नगर पंचायत डभरा	1087.363
32.	—,,—		बसन्तपुर	बसन्तपुर	262.621
33.	—,,—	23-ठनगन	ठनगन	ठनगन	399.901
34.	—,,—		खोंधर	खोंधर	398.403
35.	—,,—		तेन्दूमुड़ी	—,,—	200.984
36.	—,,—	24-कंवलाझर	कंवलाझर	कंवलाझर	295.032
37.	—,,—		झनकपुर	—,,—	91.374
38.	—,,—		सूखापाली	सूखापाली	246.826
39.	—,,—	25-सिरियागढ़	सिरियागढ़	सिरियागढ़	346.697
40.	—,,—		माजरकुद	—,,—	368.958
41.	—,,—		कुसूमझर	कुसूमझर	368.473
42.	—,,—		खुरघटी	खुरघटी	237.476
43.	—,,—	26-उपनी	उपनी	उपनी	568.891
44.	—,,—		नवापारा ड	नवापारा ड	310.665
45.	—,,—	27-भेंडीकोना	भेंड़ीकोना	भेंड़ीकोना	253.427
46.	—,,—		बरभांठा	—,,—	113.877
47.	—,,—		पुटीडीह	पुटीडीह	295.340
48.	—,,—		चुराघाठा	—,,—	202.623
49.	—,,—	28-सकराली	सकराली	सकराली	1067.914

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.	डभरा	29-जवाली	जवाली	जवाली	435.468
51.	—,,—		पुरेनाबुढ़ा	—,,—	239.233
52.	—,,—		साराडीह	साराडीह	673.887
53.	—,,—	2-कंवली	कंवली	कंवली	656.458
54.	—,,—		बाड़ादरहा	बाड़ादरहा	458.826
55.	—,,—	3-टुण्ड्री	टुण्ड्री	टुण्ड्री	1076.002
56.	—,,—	4-अकोलजमोरा	अकोलजमोरा	अकोलजमोरा	355.771
57.	—,,—		डूमरपाली	डूमरपाली	289.004
58.	—,,—		खैरमुड़ा	—,,—	377.748
59.	—,,—	5-धुरकोट	धुरकोट	धुरकोट	558.458
60.	—,,—		कोमो	कोमो	319.826
61.	—,,—		सराईपाली	सराइपाली (5)	232.646
62.	—,,—	6-केनापाली	केनापाली	केनापाली	233.460
63.	—,,—		बांधापाली	बांधापाली	325.833
64.	—,,—		उच्चपिंडा	—,,—	271.556
65.	—,,—	14-कबारीपाली	कबारीपाली	कबारीपाली	356.992
66.	—,,—		केकराभांठा	केकराभांठा	392.055
67.	—,,—	15-कोटमी	कोटमी	कोटमी	850.554
68.	—,,—	16-बघौद	बघौद	बघौद	434.610
69.	—,,—		शंकरपाली	शंकरपाली	224.306
70.	—,,—		ढेंकनाभांठा	सराईपाली (5)	146.029
71.	—,,—	17-गिरगिरा	गिरगिरा	गिरगिरा	230.095
72.	—,,—		बघनीपाली	—,,—	144.346
73.	—,,—		बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ (17)	384.001
74.	—,,—		दर्री	दर्री	252.087
75.	—,,—		खैराखुर्द	—,,—	221.864
76.	—,,—	18-अमलीपाली	अमलीपाली	अमलीपाली	208.655
77.	—,,—		पुरेनातेली	—,,—	248.981
78.	—,,—		पुजेरीपाली	बिलाईगढ़ (17)	164.200
79.	—,,—		बिनौधा	बिनौधा	265.415
80.	—,,—		साल्हे	—,,—	196.355
81.	—,,—	19-रेड़ा	रेड़ा	रेड़ा	648.257
82.	—,,—		खरकेना	खरकेना	334.314
83.	—,,—	20-किरारी	किरारी	किरारी	808.785
84.	—,,—		छूछूभांठा	छूछूभांठा	284.478
85.	—,,—		धौराभांठा	धौराभांठा	216.739
86.	—,,—		गांड़ामोर	—,,—	222.166
87.	—,,—	30-बगरेल	बगरेल	बगरेल	351.278
88.	—,,—		मौहापाली	—,,—	420.503
89.	—,,—		गांड़ापाली	गांड़ापाली	290.313
90.	—,,—		कोसमन्दा	—,,—	275.313
91.	—,,—		फलियामुड़ा	—,,—	246.055
92.	—,,—	31-मेढ़ापाली	मेढ़ापाली	मेढ़ापाली	152.758
93.	—,,—		छवारीपाली	छवारीपाली	200.407
94.	—,,—		भजपुर	—,,—	230.583

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95.	डभरा	32–बारापीपर	बारापीपर	बारापीपर	351.133
96.	—,,—		सुरसी	सुरसी	224.594
97.	—,,—		मुक्ता	—,,—	195.873
98.	—,,—	33–अमलीडीहा	अमलीडीहा	अमलीडीहा	111.036
99.	—,,—		राधापुर	—,,—	393.052
100.	—,,—		खोरसिया	परसापाली (35)	241.543
101.	—,,—		पेण्डरवा	पेण्डरवा	557.857
102.	—,,—	34–डोमनपुर	डोमनपुर	डोमनपुर	182.487
103.	—,,—		गोविन्दपुर	—,,—	168.741
104.	—,,—		बोरसी	बोरसी	453.755
105.	—,,—	35–मड़वा	मड़वा	मड़वा	303.790
106.	—,,—		सिरौली	—,,—	254.948
107.	—,,—		नवापारा (म)	नवापारा (म)	332.270
108.	—,,—		परसापाली	परसापाली (35)	114.696
109.	—,,—	36–सपोस	सपोस	सपोस	732.293
110.	—,,—		लटेसरा	लटेसरा	332.460
111.	—,,—	37–मिरौनी	मिरौनी	मिरौनी	232.335
112.	—,,—		कुन्दरूझांझ	—,,—	147.466
113.	—,,—		काशीडीह	काशीडीह	520.573
114.	—,,—	38–चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	नगर पंचायत चन्द्रपुर	632.288
115.	—,,—	39–गोपालपुर	गोपालपुर	गोपालपुर	245.584
116.	—,,—		हीरापुर	—,,—	132.484
117.	—,,—		बरहागुड़ा	बरहागुड़ा	165.178
118.	—,,—		हरदी	हरदी	155.809
119.	—,,—		भैंसामुहान	—,,—	193.939
120.	—,,—	40–चंदली	चन्दली	चन्दली	212.165
121.	—,,—		बिलाईगढ़	—,,—	140.902
122.	—,,—		पलसदा	पलसदा	252.624
123.	—,,—		बिरहाभाठा	—,,—	195.695
124.	—,,—	41–बालपुर	बालपुर	बालपुर	714.357
125.	—,,—		कलमा	कलमा	421.806
126.	—,,—		महादेवपाली	—,,—	182.470
			योग	**126**	**42064.957**

जांजगीर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्रमांक 1064/रा.नि./प.ह. पुर्नगठन/2014.—छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/राजस्व/सात-3/2004 रायपुर, दिनांक 20-08-2005 में दिये गये निर्देशानुसार जिला जांजगीर-चाम्पा, तहसील-जैजैपुर के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान पटवारी हल्कों की सीमाओं को परिवर्तन करते हुए 2 ग्राम पंचायत में 1 पटवारी हल्के के मान से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन पटवारी हल्कों का गठन किया जाता है :—

क्र.	तहसील का नाम	पुर्नगठित हल्का बंदी का स्वरूप			
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जैजैपुर	1–दर्राभांठा	दर्राभांठा	दर्राभांठा	573.280

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	जैजैपुर	1-दर्राभांठा	छितापड़रिया	छितापड़रिया	462.751
3.	—,,—		तलवा	—,,—	198.782
4.	—,,—	2-रायपुरा	रायपुरा	रायपुरा	615.458
5.	—,,—		तान्दूलडीह	लोहराकोट (4)	65.168
6.	—,,—		सिरली	सिरली	592.727
7.	—,,—		कुम्हारीपठान	—,,—	238.218
8.	—,,—	3-आमापाली	आमापाली	आमापाली	259.516
9.	—,,—		बिंछिया	—,,—	125.443
10.	—,,—		हरदी	हरदी	240.052
11.	—,,—		बोइरडीह	—,,—	78.820
12.	—,,—	4-झालरौंदा	झालरौंदा	झालरौंदा	730.865
13.	—,,—		लोहारकोट	लोहारकोट (4)	264.015
14.	—,,—		बर्रा	लोहारकोट (4)	191.261
15.	—,,—		चिखलरौंदा	चिखलरौंदा	338.182
16.	—,,—	5-डोंगिया	डोंगिया	डोंगिया	329.352
17.	—,,—		सेन्दुरस	सेन्दुरस	552.130
18.	—,,—	6-भोथिया	भोथिया	भोथिया	1050.198
19.	—,,—		मलनी	मलनी	363.850
20.	—,,—	7-अकलसरा	अकलसरा	अकलसरा	880.367
21.	—,,—		केकराभाठा	—,,—	357.182
22.	—,,—		खम्हरिया	खम्हरिया	633.301
23.	—,,—	8-ठठारी	ठठारी	ठठारी	1192.132
24.	—,,—		ठूठी	ठूठी	422.640
25.	—,,—		धौराभांठा	—,,—	142.046
26.	—,,—	9-कोटेतरा	कोटेतरा	कोटेतरा	741.913
27.	—,,—		दतौद	दतौद	640.698
28.	—,,—		पथर्रा	—,,—	174.599
29.	—,,—	10-आमगांव	आमगांव	आमगांव	954.103
30.	—,,—		बेलकर्री	बेलकर्री	256.970
31.	—,,—		बावनबुड़ी	—,,—	184.566
32.	—,,—	11-कांशीगढ़	कांशीगढ़	कांशीगढ़	856.639
33.	—,,—		नन्देली	नन्देली	509.460
34.	—,,—		झकहाडीह (विरान ग्राम)	—,,—	71.763
35.	—,,—	12-गुचकुलिया	गुचकुलिया	गुचकुलिया	345.683
36.	—,,—		पाड़ाहरदी	पाड़ाहरदी (12)	307.181
37.	—,,—		भोथीडीह	भोथीडीह	395.477
38.	—,,—		शिकारीनार	—,,—	195.050
39.	—,,—	13-खजुरानी	खजुरानी	खजुरानी	550.940
40.	—,,—		कलमीडीह	कलमीडीह	276.153
41.	—,,—		खम्हारडीह	—,,—	275.632
42.	—,,—	14-सलनी	सलनी	सलनी	385.951
43.	—,,—		धनुहारपारा	—,,—	133.800
44.	—,,—		करौवाडीह	करौवाडीह	275.343
45.	—,,—		मुरलीडीह	—,,—	280.066
46.	—,,—	15-कचंदा	कंचदा	कंचदा	835.793
47.	—,,—		बेलादूला	बेलादूला	821.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48.	जैजैपुर	16-तुषार	तुषार	तुषार	721.794
49.	—,,—		गलगलाडीह	—,,—	191.961
50.	—,,—		बोड़सरा	बोड़सरा	262.350
51.	—,,—		करमनडीह	—,,—	125.723
52.	—,,—		सेमराडीह	पाड़ाहरदी (12)	148.885
53.	—,,—	17-जैजैपुर	जैजैपुर	नगर पंचायत जैजैपुर	1600.407
54.	—,,—	18-मुक्ता	मुक्ता	मुक्ता	508.807
55.	—,,—		चोरभट्ठी	चोरभट्ठी	454.894
56.	—,,—	19-परसाडीह	परसाडीह	परसाडीह	526.719
57.	—,,—		अरसिया	अरसिया	444.807
58.	—,,—	20-ओड़ेकेरा	ओड़ेकेरा	ओड़ेकेरा	1164.014
59.	—,,—		जर्वे	जर्वे	230.689
60.	—,,—		गांडामोर	गांडामोर	209.165
61.	—,,—		जुनवानी	—,,—	166.359
62.	—,,—	21-कुटराबोड़	कुटराबोड़	कुटराबोड़	505.468
63.	—,,—		बहेराडीह	बहेराडीह	250.084
64.	—,,—		छिर्राडीह	—,,—	160.398
65.	—,,—	22-आमाकोनी	रीवाडीह	रीवाडीह	301.795
66.	—,,—		आमाकोनी	—,,—	308.190
67.	—,,—		हरदीडीह	हरदीडीह	312.996
68.	—,,—		अमलीडीह	—,,—	170.743
69.	—,,—	23-भातमाहूल	भातमाहूल	भातमाहूल	593.097
70.	—,,—		बोइरडीह	बोइरडीह	274.836
71.	—,,—		खैरझिटी	—,,—	226.915
72.	—,,—		बरकेलखुर्द	पिसौद (24)	240.242
73.	—,,—	24-देवरघटा	देवरघटा	देवरघटा	440.829
74.	—,,—		बैहागुडरू	—,,—	191.593
75.	—,,—		गुंजियाबोड़	गुंजियाबोड़	207.622
76.	—,,—		पिसौद	पिसौद (24)	262.221
77.	—,,—		लालमाटी	लालमाटी	216.407
78.	—,,—		भनेतरा	—,,—	214.597
79.	—,,—	25-बरदुली	बरदुली	बरदुली	302.522
80.	—,,—		तुमीडीह	—,,—	247.850
81.	—,,—		हरेठीकला	हरेठीकला	479.952
82.	—,,—	26-जमड़ी	जमड़ी	जमड़ी	363.921
83.	—,,—		डोमाडीह	डोमाडीह	181.871
84.	—,,—		हरेठीखुर्द	हरेठीखुर्द	179.011
85.	—,,—		घोराडीपा	—,,—	150.290
86.	—,,—	27-सेन्दरी	सेन्दरी	सेन्दरी	551.627
87.	—,,—		घिवरा	घिवरा	689.418
88.	—,,—	28-मल्दाकला	मल्दाकला	मल्दाकला	883.190
89.	—,,—	29-किकिरदा	किकिरदा	किकिरदा	1297.937
90.	—,,—	30-करही	करही	करही	743.396
91.	—,,—		देवरीमठ	देवरीमठ	469.292
92.	—,,—	31-कैथा	कैथा	कैथा	624.078
93.	—,,—		गुडरूकला	गुडरूकला	252.811
94.	—,,—		नगारीडीह	नगारीडीह	267.243

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95.	जैजैपुर		झरप	झरप	308.221
96.	—,,—	32-हसौद	हसौद	हसौद	889.171
97.	—,,—	33-चिस्दा	चिस्दा	चिस्दा	489.412
98.	—,,—		पेण्ड्री	पेण्ड्री	327.236
99.	—,,—		डोटमा	डोटमा	390.600
100.	—,,—	34-परसदा	परसदा	परसदा	534.671
101.	—,,—		बरेकेल कला	बरेकेल कला	350.627
102.	—,,—	35-धमनी	धमनी	धमनी	310.059
103.	—,,—		अमोदा	अमोदा	741.014
		योग	**126**		**44026.546**

अजीत बसंत,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्रमांक 905/चेकर/तीन-10-8/2000 (VII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-763/चेकर/तीन-10-8/2000 (VII), दिनांक 24-01-2018 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 858/264/XXI-B/18 दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 01-02-2018 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	2	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	बलरामपुर मुख्यालय, रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	2	1. बलरामपुर	1
						2. वाड्रफनगर	1
						3. राजपुर	1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1
				3. बिल्हा	1	3. कोटा	2
						4. मरवाही	1
						5. तखतपुर	1
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	3	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	5	1. दुर्ग	16
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	2
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
11.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	3	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	2	2. कटघोरा	2	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
		2. सरायपाली	1	2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	1	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	1
						2. लोरमी	1
18.	रायगढ़	1. रायगढ़	6	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	2
19.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
		3. डोंगरगढ़	1	3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
22.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर	5
						2. सीतापुर	2
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**88**		**91**		**131**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 905/Checker/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 763/checker/III-10-8/2000 (VII), dated 24-01-2018, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. 858/264/XXI-B/18 dated 25-01-2018 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 01-02-2018 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Balrampur Headquarter at Ramanujganj	1. Ramanujganj	2	1. Ramanujganj	2	1. Balrampur	1
						2. Wadrafnagar	1
						3. Rajpur	1
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
5.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
6.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1
				3. Bilha	1	3. Kota	2
						4. Marwahi	1
						5. Takhatpur	1
7.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	3	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
8.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
9.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	5	1. Durg	16
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	2
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
12.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2 Narayanpur	1	2. Keshkal	1
14.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	3	1. Korba	1
		2. Katghora	2	2. Katghora	2	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
		2. Saraipali	1	2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
17.	Mungeli	1. Mungeli	1	1. Mungeli	2	1. Mungeli	1
						2. Lormi	1
18.	Raigarh	1. Raigarh	6	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	2
19.	Raipur	1. Raipur	10	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Gariyaband	1	2. Gariyaband	2	2. Gariyaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
		3. Dongargarh	1			3. Khairagarh	1
				3. Dongargarh	1	4. Chhuikhadan	1
				4. Khairagarh	1		
21.	Surajpur	1. Surajpur	3	1. Surajpur	3	1. Surajpur	2
		2. Pratappur	1	2. Pratappur	1		
22.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	6	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur	5
						2. Sitapur	2
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
		2. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1
		Total	**88**		**91**		**131**

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

Bilaspur, the 21st February 2018

No. 67/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following candidates as mentioned in Column no. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadere of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 05-03-2018—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Shweta Patel, D/o Shri Brijendra Patel	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Ku. Shweta Mishra, D/o Shri Akhil Mishra.	II Civil Judge Class-II, Bemetara
3.	Shri Deepak Kumar Sharma, S/o Shri Mohan Lal Sharma.	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon.
4.	Ku. Ruchita Agrawal, D/o Shri Ashok Agrawal.	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Korba.
5.	Shir Ishan Vyas, S/o Shri Virendra Vyas	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
6.	Ku. Preeti Pandey, D/o Shri Suresh Kumar Pandey	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Jagdalpur.
7.	Shri Amit Matre, S/o Shri Samaru Lal Matre	Civil Judge Clas-II, Mungeli
8.	Ku. Ankita Madanlal Gupat, D/o Shri Madan Lal Gupta.	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar.
9.	Shri Arun Norge, S/o Shri Hemudas Norge	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Kanker.
10.	Ku. Geeta Brij, D/o Manmohan Brij	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Mahasamund.
11.	Shri Suresh Toppo, S/o Late Shri Patras Toppo	Civil Judge. Class-II, Baikunthpur
12.	Ku. Aarti Thakur, D/o Shri Chandrabhan Singh	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Kondagaon.

Bilaspur, the 21st February 2018

No. 74/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column (2) of the table below, are, hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) untill further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Smt. Yogita Vinay Wasnik, I Civil Judge Class-I & C.J.M., Dhamtari.	Labour Court, Dhamtari
2.	Ku. Sweta, II Civil Judge Class-I, Jagdalpur.	Labour Court, Jagdalpur

Bilaspur, the 21st February 2018

No. 1643/Checker/III-6-1/2007/(Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procideure, 1973 (Act. No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present Place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Niraj Shrivastava, J.M.S.C., Raipur	Raipur	Raipur
2.	Shri amit Pratap Chandra, J.M.S.C. Mahasamund.	Mshasamind	Mshasamind
3.	Shri Rahul Sharma, J.M.S.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon
4.	Ku. Leenam Bansode, J.M.S.C., Jashpur	Jashpur	Jashpur

Bilaspur, the 21st February 2018

No. 1645/Checker/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (C) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present Place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Radheshyam Dhruw, J.M.F.C., Nagari	Nagari	Dhamtari
2.	Ku. Bharti Kuldeep, J.M.F.C., Dhamtari	Dhamtari	
3.	Shri Pawan Kumar Agrawal, J.M.F.C., Keshkal	Keshkal	Kondagaon
4.	Shri Anand Kumar Singh, J.M.F.C., Kondagaon	Kondagaon	
5.	Smt. Nidhi Sharma, J.M.F.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
6.	Smt. Prateeksha Sharma, J.M.F.C., Bilaspur		
7.	Shri Dilli Singh Baghel, J.M.F.C., Kota	Kota	
8.	Ku. Deepa Suchita Tirkey, J.M.F.C., Takhatpur	Takhatpur	
9.	Mohd. Jahangir Tigala, J.M.F.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon
10.	Smt. Antia Dhruw, J.M.F.C., Bilaigarh	Bilaigarh	Balodabazar
11.	Shri Pallve Raghuvanshi, J.M.F.C., Bhatgaon	Bhatgaon	
12.	Ku. Amba Shah, J.M.F.C., Bemetara	Bemetara	Bemetara

बिलासपुर, दिनांक 21 फरवरी 2018

क्रमांक 1647/चेकर/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 3255 तीन-6-7/2000 दिनांक 20-04-2016 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री अवध किशोर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, जी जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

No. 1647/Checker/III-6-7/2000.—In exercise of the powers Conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 3255/III-6-7/2000, dated 20-04-2016 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoint Shri Awadh Kishore, Judicial Magistrate First Class, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Juddicial Magistrate, (Specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/ 2262/21/B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Headquarter of the Court shall be at Raipur.

Bilaspur, the 26th February 2018

No. 157/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following candidates as mentioned in Column no. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 12-03-2018 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Shri Mayank Soni, S/o Shri Lal Bahadur Soni	IV Addl. Judge to the Court of 1 Civil Judge Class-II, Surajpur.
2.	Ku, Anita Kahyap, D/o Late Shri Tileshwar Prasad Kashyap.	V Addl, Judge to the Court of 1 Civil judge Class-II, Durg.
3.	Shri Anshul Minz, S/o Shri Linus Minz	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
4.	Shri Virendra Singuh, S/o Shri Dilharan Singh	V Additional judge to the Court of 1 Civil Judge Class-II, Raipur.

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIA, Registrar General.

Bilaspur, the 9th February 2018

No. 20/L.G./2018/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 03 days from 30-10-2017 to 01-11-2017 along with permission to remain out of headquarters from 29-10-2017 to 01-11-2017 and earned leave for 07 days from 30-11-2017 to 06-12-2017 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 29-11-2017 till before the court hours of 07-12-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 282 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 9th February 2018

No. 21/L.G./2018/II-2-7/2013.—Shri Satish Kumar Singh, Principal Judge, Family court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 22-01-2018 to 27-01-2018 along with permission to leave headquarters from 22-01-2018 to 28-01-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 260 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 9th February 2018

No. 22/L.G./2018/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 07 days i.e. on 22-01-2018 & 23-01-2018 and from 27-01-2018 to 31-01-2018 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 226 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 9th February 2018

No. 23/L.G./2018/II-2-55/2007.—Smt. Vimla Singh Kapoor, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted commuted leave for 04 days from 09-01-2018 to 12-01-2018.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 485 days of half-pay leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 24/L.G./2018/II-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, judge, Family court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 04 days from 27-11-2017 to 30-11-2017 along with permission to leave headauarters from 26-11-2017 till the morning of 02-12-2017, earned leave for 05 days from 08-01-2018 to 12-01-2018 along with permission to leave headquarters and earned leave for 24 days from 01-02-2018 to 24-02-2018 along with permission to leave headquarters after Court hours of 31-01-2018 till 25-02-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 79 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 25/L.G./2018/II-2-36/2011.—Shri Ashok Kumar Luniya, district & Session judge, Balrampur at Ramanujgunj is hereby, granted earned leave for 06 days from 19-02-2018 to 24-02-2018 along wiht permission to remain out of headquarters from the evening 17-02-2018 till 25-02-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Luniya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 288 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 26/L.G./2018/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, judge, family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-03-2018 to 09-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 190 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 27/L.G./2018/II-3-29/2012.—Smt. Sushma Sawant, District & Sessions judge, Mahasamund, is hereby, granted earned leave for 05 days from 20-02-2018 to 24-02-2018 along with permission to leave headquarters from 20-02-2018 till before the Court hours of 26-02-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Swant, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 277 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 28/L.G./2018/II-2-36/2004.—Shri Radhakishan Agrawal, District & Sessions judge, Durg, is hereby, granted earned leave for 08 days from 22-02-2018 to 01-03-2018 along with permission to leave headquarters from 22-02-2018 to 04-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Agrawal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 287 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 29/L.G./2018/II-2-13/2017.—Shri Yogesh Pareek, Special judge (Atrocities), Korba, is hereby, granted earned leave for 04 days from 26-02-2018 to 01-03-2018 along with permission to remain out of headquarters from 26-02-2018 till before the office hours of 05-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pareek, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 120 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 30/L.G./2018/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, judge Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 09 days from 15-02-2018 to 23-02-2018 along with permission to remain out of headquarters from 14-02-2018 to 23-02-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 31/L.G./2018/II-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, District & Sessions judge Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 16 days from 29-01-2018 to 13-02-2018 along with permission to remain out of headquarters from 28-01-2018 to 14-02-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 121days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 32/L.G./2018/II-3-4/2010.—Smt. Rajani Dubey, Registrar (vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, is hereby, granted earned leave for 06 days from 02-02-2018 to 07-02-2018 and earned leave for 11 days from 19-02-2018 to 01-03-2018 along with permission to leave headquarters from 19-02-2018 to 04-03-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 70 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 33/L.G./2018/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions judge, Korba is hereby, granted earned leave for 06 days from 19-02-2018 to 24-02-2018 along with permission to remian out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 265 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 34/L.G./2018/II-2-4/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District & Sessions judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 07 days from 09-02-2018 to 15-02-2018 along with permission to leave headquarters from the evening of 08-02-2018 till 15-02-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 35/L.G./2018/II-2-13/2009.—Shri Goutam Chourdiya, Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted enared leave for 05 days from 12-02-2018 to 16-02-2018 along with permission to leave headquarters from 10-02-2018 till the evening of 18-02-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chourdiya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 281 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th March 2018

No. 36/L.G./2018/II-3-10/2005.—Smt. Minkshi Gondaley, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-12-2017 to 08-12-2017, commuted leave for 29 days from 04-01-2018 to 01-02-2018 and earned leave for 15 days from 02-02-2018 to 16-02-2018 along with persmission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 170 of earned leave & 01 days of half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 37/L.G./2018/II-3-13/2007.—Shri N.D. Tigala, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 19-03-2018 to 21-03-2018 along with permission to leave headquarters from the morning of 17-03-2018 till the evening of 21-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 38/L.G./2018/II-3-38/2007.—Shri Ram Kumar Tiwari, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 31-03-2018 to 05-04-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 39/L.G./2018/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 26-02-2018 to 01-03-2018 along with permission to remain out of headquarters from 26-02-2018 to 04-03-2018 and earned leave for 03 days from 26-03-2018 to 28-03-2018 along with permission to reamin out of headquarters from 25-03-2018 to 30-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 176 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 40/L.G./2018/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, the then I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted commuted leave for 04 days from 20-03-2018 to 23-03-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 222 days half-pay- leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 41/L.G./2018/II-3-26/2014.—Shri Sirajuddin Qureshi, Judge, Family Court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 06 days from 19-03-2018 to 24-03-2018 along with permission to remain out of headquarters from 17-03-2018 to 25-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 156 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 42/L.G./2018/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, grated earned leave for 06 days from 23-03-2018 to 28-03-2018 along with permission to leave headquarters from the evening of 22-3-2018 till the morning of 31-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 43/L.G./2018/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 02 days on 05-03-2018 & 06-03-2018 along with permission to remain out of headquarters from 02-03-2018 to 06-03-2018 and earned leave for 03 days from 14-03-2018 to 16-03-2018 along with permission to remian out of headquarter after the office hours of 13-03-2018 till 18-03-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 277 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th April 2018

No. 44/L.G./2018/II-3-46/2007.—Smt. Kiran Chaturvedi, Judge, Family Court, Jashpur is hereby, granted earned leave for 27 days from 12-03-2018 to 07-04-2018 along with persmission to remian out of headquarters after noon of 10-03-2018 till 07-04-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Chaturvedi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 97 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th May 2018

No. 45/L.G./2018/II-2-15/2007.—Smt. Vimal Singh Kapoor, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 04 days from 24-04-2018 to 27-04-2018 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 279 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th May 2018

No. 46/L.G./2018/II-2-18/2016.—Shri Santosh Kumar Tiwari, Additional Director-II, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 11 days from 18-04-2018 to 28-04-2018 along with permission to remian out of headquarters from the evening of 17-04-2018 till 29-04-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 83 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th May 2018

No. 47/L.G./2018/II-3-43/2007.—Shri Rajendra Pradhan, Judge, Family Court, Jagdalpur is hereby, granted earned leave for 04 days from 25-04-2018 to 28-04-2018 along with permission to remain out of headquarters from the night 08.00 p.m. of 24-04-2018 till before the Court hours of 30-04-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradhan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 221 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th May 2018

No. 48/L.G./2018/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, Special Judge, under SC & ST (P.A.) Act, Janjgir-Champa is hereby. granted earned leave for 05 days from 09-04-2018 to 13-04-2018 along with permission to remain out of headquarters from 08-04-2018 to 12-04-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th May 2018

No. 49/L.G./2018/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 05 days from 24-04-2018 to 28-04-2018 along with permission to remain out of headquarters from 24-04-2018 to 29-04-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th May 2018

No. 50/L.G./2018/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, Judge, Family Court, Bemetara is hereby, granted earned leave for 07 days from 25-04-2018 to 01-05-2018 along with permission to remian out of headquarters after the Court hours of 24-04-2018 till before the Court hours of 02-05-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 16th May 2018

No. 51/L.G./2018/II-2-12/2008.—Shri B. Ram Judge, Family Court Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 05 days from 30-04-2018 to 04-05-2018 along with permission to remain out of headquarters from 29-04-2018 till before the Court hours of 05-05-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ram, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN)

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018

क्रमांक 38/दो-2-17//2006.—श्री ए. एल. जोशी, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-01-2018 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018

क्रमांक 39/दो-2-4//2009.—श्री अशोक कुमार साहू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-01-2018 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2018

क्रमांक 55/दो-2-11//2017.—डॉ. प्रज्ञा पचौरी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-01-2018 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 12 मार्च 2018

क्रमांक 59/दो-3-18//2007.—श्री डॉक्टर लाल कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-02-2018 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.